मध्यप्रदेश शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2016–17

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2016–17

मंत्री	–	श्रीमती माया सिंह
प्रमुख सचिव	–	श्री मलय श्रीवास्तव
आयुक्त–सह–सचिव	–	श्री विवेक अग्रवाल
वित्तीय सलाहकार	–	अजय कुमार शर्मा
अपर सचिव	–	श्री राजीव शर्मा
उप सचिव	–	श्री गोपाल चंद डाड
उप सचिव	–	श्री सी.के. साधव
आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश	–	श्री संदीप यादव
आयुक्त, म.प्र. गृह निर्माण मण्डल	–	श्री नितेश व्यास

प्रस्तावना

नगरीय विकास एवं आवास विभाग का वर्ष 2016–17 का प्रशासकीय प्रतिवेदन प्रस्तुत है।

(मलय श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2016–17
–: विषय सूची :–

क्र.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	विभागीय संरचना	
2.	विभाग के अधीनस्थ प्रमुख कार्यालय एवं संस्थाएं	
3.	विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम	
4.	विभाग के अंतर्गत प्रतिपादित नीति संबंधी विषय	
5.	संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास	
6.	संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश	
7.	राजधानी परियोजना प्रशासन	
8.	मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल	
9.	राज्य नगर नियोजन संस्थान	
10.	मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम	
11.	परिशिष्ट	

विभागीय संरचना

1 नगरीय विकास एवं आवास विभाग की प्रशासनिक संरचना निम्नानुसार हैः–

1.1 राज्य मंत्रालय

मंत्रालय स्तर पर प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अधीन एक अपर सचिव, एक वित्तीय सलाहकार, दो उप सचिव तथा दो अवर सचिव पदस्थ हैं।

2. विभाग के अधीनस्थ प्रमुख कार्यालय/संस्थाएं

(1) संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास।
(2) संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश।
(3) राजधानी परियोजना प्रशासन।
(4) मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल।
(5) राज्य नगर नियोजन संस्थान।
(6) मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम।

3. विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम

3.1 राज्य शासन द्वारा नगरीय विकास एवं आवास विभाग को निम्नांकित अधिनियमों के प्रशासन का दायित्व सौंपा गया है :–

(1) मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956
(2) मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961
(3) पशु अतिचार अधिनियम, 1971 (जहां तक कि वह नगरीय स्थानीय क्षेत्रों मे लागू है)
(4) विदिशा (भेलसा) रामलीला विधान, 1956
(5) सिंहस्थ मेला अधिनियम, 1955
(6) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम (जहां तक कि वह नगरीय स्थानीय क्षेत्रों मे लागू है)
(7) स्लाटर ऑफ एनीमल्स एक्ट (जहां तक कि वह नगरीय स्थानीय क्षेत्रों मे लागू है)
(8) मध्यप्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984
(9) मध्यप्रदेश गंदी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा निर्मूलन) अधिनियम, 1976
(10) मध्यप्रदेश पथ पर विक्रय करने वालों की जीविका का संरक्षण और पथ पर विक्रय का विनियमन अधिनियम, 2011
(11) मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973
(12) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974
(13) मध्यप्रदेश आवास नियंत्रण अधिनियम, 1961
(14) मध्यप्रदेश भूमि उपयोग विनियमन अधिनियम, 1948
(15) मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसरंचना विकास मण्डल अधिनियम, 1972
(16) मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम, 1976
(17) मध्यप्रदेश नगर तथा परिक्रमा नियंत्रण अधिनियम, 1960
(18) मध्यप्रदेश अर्जन अधिनियम, 1948
(19) अचल संपत्ति (अधिग्रहण तथा अर्जन) अधिनियम, 1952
(20) मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012
(21) मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 1975

4. विभाग के अंतर्गत प्रतिपादित नीति संबंधी विषय

विभाग के अंतर्गत संपादित किये जाने वाले मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं :–

(1) पट्टे के दस्तावेजों के वितरण की प्रगति का परिवीक्षण
(2) नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय शासन अर्थात नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद और नगर परिषद एवं अन्य विभागों को न सौंपे गए निकायों से संबंधित समस्त विषय
(3) यात्रियों पर सीमा कर को छोड़कर नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा अधिरोपित किए गए कर का प्रशासन
(4) मध्यप्रदेश चुंगी प्रतिकर निधि का प्रशासन
(5) नगरीय क्षेत्रो में कांजी हाउस और उनमे पशु अतिचार की रोकथाम
(6) नगरपालिक निगमों, नगरपालिका परिषदों और नगर परिषदों के प्रबंध के अधीन बाजार और नगरीय क्षेत्रों में मेले
(7) नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता
(8) विभिन्न अभिकरणों द्वारा क्रियान्वित गंदी बस्ती उन्मूलन तथा सुधार योजनाओं की प्रगति का परिवीक्षण एवं गंदी बस्ती निवारण एवं सुधार से संबंधित योजनाएं
(9) नगरीय महायोजनाओं और उससे संबंधित अन्य क्रियाकलापों में संशोधन
(10) नगरीय क्षेत्रो में गरीबों के लिए आवास नीतियों का निर्धारण तथा समन्वयन। गरीबों के उन्नयन के लिए योजनाएं तैयार करना और उनका परिवीक्षण करना
(11) विभाग से संबंधित सेवाओं में नियुक्तियां, पदस्थापना, स्थानांतरण, वेतन, अवकाश, सेवा निवृत्ति वेतन, प्रतिनियुक्तियां, पदोन्नतियां, भविष्य निधियां एवं दण्ड तथा अभ्यावेदन से संबंधित कार्यवाही
(12) UIDSSMT, IHSDP, DAY-NULM, अमृत, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्मार्ट सिटी योजना, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल/अधोसंरचना विकास योजनाओं का क्रियान्वयन
(13) बाह्य सहायता प्राप्त योजनाओं का क्रियान्वयन
(14) नगरीय निकायों के कर्मचारियों की पेंशन, परिवार कल्याण एवं समूह बीमा योजनाओं का क्रियान्वयन
(15) स्वच्छ भारत मिशन
(16) म.प्र. शहरी अधोसंरचना कोष का प्रशासन
(17) म.प्र. अर्बन डेवलपमेंट कंपनी का प्रशासन
(18) म.प्र. मेट्रो रेल कंपनी का प्रशासन
(19) मध्यप्रदेश प्रापर्टी टैक्स बोर्ड का प्रशासन
(20) शहरी यातायात एवं परिवहन का प्रशासन
(21) प्रदेश के शहरों में संवहनीय लोक परिवहन एवं यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना
(22) शहरी अधोसंरचना
(23) शहरी गरीबों के लिये आवास
(24) शहरी पेयजल
(25) आग की रोकथाम
(26) शहरी सुधार कार्यक्रम
(27) मल–जल शोधन संयंत्रों की स्थापना में निकायों को सहयोग
(28) ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण
(29) प्राकृतिक जल स्त्रोतों का संरक्षण
(30) नगर विकास योजना तैयार करना
(31) शहरी गरीबों का कौशल उन्नयन
(32) नगर तथा ग्राम निवेश

(33) वास्तुकला
(34) नगरीय विकास
(35) राज्य की नगरीय गृह निर्माण नीति से संबंधित समस्त विषय तथा नगरीय गृह निर्माण योजनाओं का क्रियान्वयन एवं समन्वय
(36) आवास स्थान को भाड़े या उप—भाड़े पर देना जिसमें उसका अर्जन तथा अधिग्रहण सम्मिलित है।
(37) कामन पूल के आवासीय भवनों के निर्माण के लिए निधियों का आवंटन तथा प्रशासकीय अनुमोदन
(38) राजधानी परियोजना तथा उसके प्रशासन से संबंधित समस्त विषय

———————

संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास

भाग — एक

विभागीय संरचना

विभाग के अंतर्गत आयुक्त के अधीन संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास का विभागाध्यक्ष कार्यालय गठित है।

1. संभागीय कार्यालय

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास के अधीन संभाग स्तर पर संयुक्त संचालक के कार्यालय इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर और रीवा में गठित हैं। संभाग स्तर पर नगरीय निकायों को तकनीकी मार्गदर्शन और उनकी परियोजनाओं के पर्यवेक्षण के लिये अधीक्षण यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री पदस्थ हैं।

2. राज्य शहरी विकास अभिकरण

राज्य शासन द्वारा प्रदेश में शहरी गरीबों के कल्याण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये विभागीय मंत्रीजी की अध्यक्षता में ''राज्य शहरी विकास अभिकरण'' का गठन किया गया है। प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग इसके उपाध्यक्ष हैं, तथा आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, अभिकरण के पदेन मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं।

3. जिला शहरी विकास अभिकरण

नगरीय निकायों में गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन संबंधी कार्यो के पर्यवेक्षण के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में प्रदेश के सभी जिलों में जिला शहरी विकास अभिकरण गठित हैं। इन अभिकरणों में विभाग द्वारा परियोजना अधिकारी पदस्थ किये गये हैं।

4. विभाग के अंतर्गत स्थापित संचालनालय, उसके संभागीय कार्यालयों और जिला शहरी विकास अभिकरणों के लिए स्वीकृत अमले का विवरण **परिशिष्ट—एक** पर है।

5. नगरीय स्थानीय निकाय

प्रदेश में कुल 386 नगरीय स्थानीय निकाय हैं, जिनका श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक	निकाय की श्रेणी	संख्या
1	नगरपालिक निगम	16
2	नगरपालिका परिषद	98
3	नगर परिषद	272
	योग	386

5.1 प्रदेश में गठित नगरीय स्थानीय निकायों की जिलेवार सूची **परिशिष्ट—दो** पर है।

————————

भाग—दो

बजट विहंगावलोकन

1. संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2016—17 के लिए विभागीय बजट में कुल रूपये 1164350.53 लाख का प्रावधान किया गया था, उक्त प्रावधान के विरूद्ध दिसम्बर, 2016 तक कुल रूपये 559891.30 लाख का व्यय किया गया है।

2. उपरोक्तानुसार प्रावधानित राशि में से **आयोजना** मदों तथा **आयोजनेतर** मदों में मदवार/योजनावार व्यय की जानकारी क्रमशः **परिशिष्ट—तीन (एक)** एवं **परिशिष्ट—तीन (दो)** पर है।

3. बजट में आयोजना मद के अंतर्गत मुख्य रूप से केन्द्र प्रवर्तित एवं केन्द्रीय अंशदान प्राप्त अमृत, हाउसिंग फॉर ऑल, स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय शहरी अजीविका मिशन एवं बाह्य वित्त पोषित योजनाओं के लिये प्रावधान है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर निकायों को देय अनुदान का प्रावधान भी इसी मद के अंतर्गत रखा गया है। राज्य आयोजना में मुख्यतः सिंहस्थ 2016, मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना तथा शहरी क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु मास रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सर्वे हेतु बजट रखा गया है।

4. राज्य शासन द्वारा नगरीय निकायों को अन्य संस्थाओं से प्रदाय किए गए ऋणों की प्रतिभूति के विरूद्ध पुर्नभुगतान की व्यवस्था बजट में की गई है।

5. आयोजनेतर मद में मुख्य रूप से नगरीय निकायों को भुगतान किए जाने वाले चुंगी क्षतिपूर्ति /यात्री कर क्षतिपूर्ति, राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर निकायों को मूलभूत सेवाओं के लिए देय अनुदान आदि तथा संचालनालय एवं उसके संभागीय कार्यालयों के वेतन भत्तों के लिये प्रावधान किए गए हैं।

———————

भाग–तीन

राष्ट्रीय, राज्य एवं बाह्य सहायता प्राप्त योजनाएं

(अ) राष्ट्रीय योजनाएं

1 स्मार्ट सिटी मिशन

1.1 भारत सरकार द्वारा 25 जुलाई 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन के लिए गाईडलाईन जारी की गई हैं, जिसके अन्तर्गत प्रथम चरण में प्रतिस्पर्धा के आधार पर 100 शहरों का चयन किया जाना था। स्मार्ट सिटी मिशन का मुख्य उद्देश्य शहरों का समुचित विकास, आर्थिक सुधार तथा नागरिकों की जीवन शैली में सुधार तथा क्षेत्रीय विकास है।

1.2 शहरों के लिये 100 करोड़ प्रति वर्ष प्रति शहर के मान से कुल 500 करोड़ रूपये तथा इतनी ही राशि राज्य शासन को मिलाये जाने का प्रावधान है।

1.3 भारत सरकार द्वारा जारी गार्डलाईन अनुसार प्रथम चरण में प्रदेश के 14 नगर निगमों को प्रति स्पर्धा हेतु आमंत्रित किया गया था तथा गाईडलाईन में जारी प्रावधान अनुसार 7 शहरों का चयन किया गया जिसमें भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सतना एवं सागर का चयन हुआ।

1.4 उक्त सातों शहर ने भारत सरकार द्वारा जारी प्रतिस्पर्धा में भाग लिया तथा प्रथम 20 शहरों की सूची में प्रदेश के सर्वाधिक 3 शहर **भोपाल, इन्दौर एवं जबलपुर** का चयन किया गया।

1.5 भारत सरकार द्वारा जारी द्वितीय सूची में **उज्जैन एवं ग्वालियर** शहर चयन का स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत किया गया है तथा प्रतिस्पर्धा के तृतीय चरण में (मार्च/अप्रैल 2017) **सागर एवं सतना** शहरों द्वारा भाग लिया जायेंगा।

1.6 स्मार्ट सिटी के सुचारू संचालन एवं मॉनिटरिंग हेतु मुख्य सचिव, म.प्र. शासन की अध्यक्षता में हाई पॉवर स्टेरिंग कमेटी का गठन किया गया है तथा शहर स्तर पर गाईडलाईन में दिये गये निर्देशानुसार स्पेशल परपस व्हीकल्स (एसपीवी) का गठन किया गया है। एसपीवी के अध्यक्ष जिले के कलेक्टर, कार्यपालक संचालक–नगर निगम के आयुक्त होगें तथा प्रत्येक शहर में मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) भी नियुक्त किये गये है । एसपीवी अर्न्तगत अन्य मनोनीत अधिकारियों में चीफ प्लानर, चीफ फॉयनेंस ऑफिसर, प्रबंधक ई–गवर्नेन्स अधिकारी, कंपनी सेक्रेटरी, अधीक्षण यंत्री आदि को शामिल किया गया है ।

1.7 प्रदेश के अन्तर्गत कुल रू. 20107.00 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की योजना बनाई गई है, जिसके अन्तर्गत केन्द्र–सरकार एवं राज्य सरकार की अन्य योजनाओं से राशि (Seed Funding) रूपये 11,678 करोड़ (अमृत, हाउसिंग फॉर ऑल, स्वच्छ भारत मिशन आदि) लीवरेजिंग किया गया है।

2 भोपाल स्मार्ट सिटी

2.1 स्मार्ट स्ट्रीट लाईट पोलः–भोपाल स्मार्ट सिटी कॉरपोशन द्वारा पब्लिक प्राईवेट पार्टनशिप (पीपीपी) के आधार पर रू. 690 करोड़ का अनुबंध किया गया है, जिसके अन्तर्गत 400 इंटेलिजेन्टस पोल, 20,000 एलईडी आधारित एनर्जी एफीसिएन्ट एलईडी स्ट्रीट लाईट लगाये जायेगें । इस कार्य हेतु नगर निगम को कोई राशि व्यय नही करना होगी तथा कम्पनी द्वारा रूपये 47.00 करोड़ की राशि नगर निगम को भुगतान की जायेगी। कम्पनी द्वारा उपरोक्त विवरण अनुसार 20400 खम्बों को ऑपटिकल फाईबर द्वारा जोड़ा जायेगा तथा कम्पनी उक्त केबल को अन्य कम्पनियों को लीज पर दे सकेगी। इसके अतिरिक्त कम्पनी को इन खम्बों पर विज्ञापन लगाये जाने के अधिकार भी होगें।

2.2 पब्लिक बाईक शेयरिंगः–इसके अन्तर्गत 50 साईकल स्टेशन बनाये जायेगें जिसमें प्रत्येक डॉकिंग स्टेशन पर 10 साईकल उपलब्ध रहेगी। इसके लिये 5 मीटर चौड़ा एवं 12 कि.मी. लम्बाई का सायकिल

ट्रेक बीआरटीएस के साथ–साथ निर्माण कराया जा रहा है। इसके लिये भी Next बाईक कम्पनी से अनुबंध कर लिया गया है।

2.3 क्षेत्र आधारित विकास (Area Based Development) :–इसके अन्तर्गत टाटा कंसलटिंग इंजीनियर को प्रोजेक्ट मेनेजमेंट कंसलटिंग का कार्य आंवटित किया गया है। भोपाल स्मार्ट सिटी कॉरपोशन द्वारा जारी मुख्य निविदाओं की जानकारी निम्नानुसार है:–

Project name	Status	Project Timeline	
		Start	Completion
Real - Time tracking of Solid Waste Management Vehicles	PPP model	Jan 2017	**Jul 2017**
Smart Parking Management System	PPP model	Jan 2017	**Oct 2017**
Green and Blue Master Plan	RFP issued	Oct 2016	**Jun 2017**

3 इन्दौर स्मार्ट सिटी

3.1 स्मार्ट स्ट्रीट लाईट पोलः–इन्दौर स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट लि. द्वारा पब्लिक प्राईवेट पार्टनशिप (पीपीपी) के आधार पर रू. 500 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिये ई ओ आई (Expression of interest) 16 कम्पनियों से प्राप्त हुए है। चयन हेतु अग्रिम कार्रवाई जारी है।

3.2 स्मार्ट रोडः– इन्दौर स्मार्ट सिटी एरिया में दो रोड़ सेक्शन को स्मार्ट रोड़ बनाने के लिये अनुबंध किये जा चुके है। योजना का क्रियान्वयन प्रगति में है।

3.3 Heritage Conservation (Rajwada and Krishnapura Chhatris) (धरोहर संरक्षण):– डीपीआर बनाई जा रही है तथा निर्धारित समय अवधि अनुसार परियोजना की लागत 15 करोड़ होगी तथा जनवरी 2018 तक पूर्ण किया जाना लक्ष्यित है।

इन्दौर स्मार्ट सिटी कॉपरेशन द्वारा किये जा रहे कार्यो का मुख्य विवरण निम्नानुसार है:–

Project name	Status	Project Timeline	
		Start	Completion
Smart Pole along with LED Lights (under PPP Mode)	EOI Received	Dec 2016	**May 2017**
Vehicle Tracking and Management System	RfP Issued	Nov 2016	**Dec 2016**
Citizen App 311	Implemented	App Live From 2nd Oct'16	
Housing For All	Tendering Stage	Nov 2016	**Nov 2018**
PAN City GIS	Implementation Started	Oct 2016	**Jun 2017**
Solar Power	MoU Signed	Jan 2017	**Dec 2019**

4 जबलपुर स्मार्ट सिटी

4.1 Waste-to-Energy Plant:–जबलपुर स्मार्ट सिटी कॉरपोशन द्वारा पब्लिक प्राईवेट पार्टनशिप (पीपीपी) के आधार पर रू. 178 करोड़ का अनुबंध किया गया है जिसके अन्तर्गत शहर के समस्त ठोस

अपशिष्ट का संग्रहण कर बिजली बनाये जाने का कार्य प्रांरभ हो चुका है तथा प्रतिदिन 11.7 मेगावॉट बिजली का उत्पादन प्रांरभ हो गया है।

4.2 क्षेत्र आधारित विकास (Area Based Development) :– इसके अन्तर्गत आईपीई ग्लोबल को प्रोजेक्ट मेनेजमेंट कंसलटिंग का कार्य आंवटित किया गया है। जबलपुर स्मार्ट सिटी कॉरपोशन द्वारा जारी मुख्य निविदाओं की जानकारी निम्नानुसार है।

Project name	Status	Project Timeline	
		Start	Completion
Smart Poles along with OFC and LED Fixtures	EOI Floated	Jan 2017	**Sep 2017**
RFID Tag for households dustbin	Draft RFP prepared	Dec 2016	**Mar 2017**
Capping of Ranital & Kathonda Landfill site	DPR Under Preparation	Feb 2017	**Oct 2017**
Area Command and Control center and public facilitation center	EOI Floated	Jan 2017	**Sep 2017**

5 अमृत मिशन

5.1 भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 25 जून 2015 को एक लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहरो में अधोसंरचना विकास हेतु अटल नवीकरण और शहरी परिर्वतन मिशन (अमृत) का शुभारंभ किया गया है।

5.2 मिशन के अंतर्गत प्राथमिक रूप से शहरों में परिवारों को बुनियादी सेवायें (अर्थात, जलापूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन आदि) उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अधोसंरचना का सृजन करना है, जिससे विशेष रूप से गरीबों और वंचितों सभी के जीवन स्तर में सुधार होगा।

5.3 प्रदेश में मिशन शहरों के अंतर्गत नागरिकों की सुविधा के लिये अमृत मार्गदर्शिका के अनुसार विभिन्न सेवा स्तरीय बेंच मार्क को प्राप्त किया जाना है।

5.4 अमृत परियोजना के घटकों में क्षमता निर्माण, सुधार कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, जलापूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, वर्षा जल निकासी, शहरी परिवहन और हरित स्थल और पार्क शामिल हैं । आयोजन के दौरान, शहरी स्थानीय निकायों को भौतिक अवसंरचना घटकों में कुछ स्मार्ट विशेषताओं को शामिल करने का प्रयास करना होगा। मिशन घटकों का विवरण निम्नानुसार है:–

5.1 जलापूर्ति

5.1.1 प्रत्येक परिवार को निश्चित जलापूर्ति (135 LPCD) उपलब्ध कराना।

5.1.2 मौजूदा जलापूर्ति में वृद्धि करने जल शोधन संयंत्रों और सभी जगहों पर मीटर लगाने सहित वर्षा जल आपूर्ति प्रणाली।

5.1.3 शोधन संयंत्रों सहित पुरानी जलापूर्ति प्रणालियों का पुर्नस्थापन।

5.1.4 विशेषतया पेयजल आपूर्ति और भूमिगत जल पुनःभरण के लिए जलाशयों का पुर्नरूद्वार।

5.2 सीवरेज एवं सेप्टेज मैनेजमेंट

5.2.1 प्रत्येक परिवार को जल–मल निस्तारण के लिये सीवेज कनेक्शन सुलभ हो ।

5.2.2 मौजूदा सीवरेज प्रणालियों और सीवेज शोधन संयंत्रों के संवर्धन सहित विकेन्द्रीकृत, नेटवर्कबद्ध भूमिगत सीवरेज प्रणालियाँ।

5.2.3 पुरानी सीवरेज प्रणालियों और शोधन संयंत्रों का पुर्नस्थापना।

5.2.4 लाभकारी प्रयोजन के लिये शोधित जल का पुर्नचक्रण एवं अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग।

5.2.5 मल गाद प्रबंधन, कम लागत पर सफाई, परिवहन एवं शोधन।

5.2.6 सीवर और सेप्टिक टैंकों की यांत्रिकी और जैविक सफाई और प्रचालन की पूरी लागत वसूली।

5.2.7 सीवरेज परियोजनाओं को लागू करने में विशिष्ट घटकों जैसे–ऊर्जा उत्पादन, सोलार सेलों का उपयोग (जिससे अनुरक्षण एवं प्रबंधन व्यय में कमी की जा सके) ।

5.3 लोक परिवहन सुविधा को बढ़ावा देना

5.3.1 गैर मोटरीकृत परिवहन (एन.एम.टी.) के लिये फुटपाथ, फुट ओव्हर ब्रिज का निर्माण।

5.3.2 बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण।

5.3.3 द्रुत बस परिवहन प्रणाली (BRTS)

5.4 वर्षा जल नालों का विकास

5.4.1 बाढ़ को कम करने और समाप्त करने के उद्देश्य से नालों एवं वर्षा जल नालों का निर्माण एवं सुधार।

5.5 हरित क्षेत्र एवं सुव्यवस्थित पार्कों का विकास

5.5.1 हरित स्थान एवं शिशु अनुकूल घटकों हेतु विशेष प्रावधान के साथ पार्कों का विकास, प्रबंधन के साथ पार्कों निर्माण एवं उन्नयन।

5.5.2 पार्क में बच्चों के खेलने के लिये झूले आदि की व्यवस्था।

5.5.3 नागरिकों को पार्क भ्रमण के लिये वाकिंग ट्रेक (पाथ वे) का निर्माण।

5.5.5 निकाय को स्थानीय निवासी भागीदारी के साथ रखरखाव हेतु प्रणाली की स्थापना करना।

5.6 वित्तीय प्रबंधन

5.6.1 वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर 10 लाख एवं इससे अधिक जनसंख्या वाली नगरीय निकायों के लिये

केन्द्रांश : 33 प्रतिशत, राज्यांश : 50 प्रतिशत, निकाय अंश : 17 प्रतिशत।

5.6.2 वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर 10 लाख से कम जनसंख्या वाली नगरीय निकायों के लिये

केन्द्रांश : 50 प्रतिशत, राज्यांश : 40 प्रतिशत, निकाय अंश : 10 प्रतिशत।

5.6.3 अधोसंरचना विकास के हरित क्षेत्र एवं पार्क निर्माण घटक हेतु सभी मिशन शहरों के लिये

केन्द्रांश : 50 प्रतिशत, राज्यांश : 40 प्रतिशत, निकाय अंश : 10 प्रतिशत।

5.6.4 अमृत मिशन के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाऐ एवं उनकी प्रगति का विवरण **परिशिष्ट–चार** पर है

6. प्रधानमंत्री आवास योजना

6.1 भारत सरकार, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ दिनांक 25.06.2015 को माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा किया गया है, इस योजना के

अंतर्गत (भारत सरकार, राज्य सरकार, नगरीय निकाय एवं हितग्राही के सहयोग से) शहरी गरीबों को वर्ष 2022 तक सबको आवास उपलब्ध कराना है।

6.2 योजनातंर्गत शहरी गरीबों को निम्न 4 घटकों के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराई जानी हैः–

- "स्व स्थाने" स्लम पुर्नविकास ("In Situ" Slum Redevelopment).
- क्रैडिट से जुड़ी सब्सिडी के माध्यम् से किफायती आवास (Affordable Housing through Credit Linked Subsidy).
- भागीदारी में किफायती आवास (Affordable Housing in Partnership).
- लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिये सब्सिडी (Subsidy for beneficiary-led individual house construction).
-

6.3 नगरीय निकाय अथवा राज्य की अन्य निर्माण एजेंसियां उक्त चारों में से एक या एक से अधिक सभी विकल्पों पर योजना तैयार कर सकती है।

6.4 योजना अंतर्गत निम्नलिखित आय वर्ग के लोगों को लाभ दिया जाना हैः–

- आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के लिये परिवार की वार्षिक आय राशि रू. 3.00 लाख तक।
- निम्न आय वर्ग के लिये परिवार की वार्षिक आय राशि रू. 3.00 लाख से अधिक राशि रू. 6.00 लाख तक।

6.5 योजना अंतर्गत निम्नानुसार हितग्राहियों को वित्तीय सहायता दिया जाना हैः–

क्रं.	योजना के विकल्प	केन्द्रांश	राज्यांश	पात्र हितग्राही
1	"In-Situ" Slum Redevelopment with participation of private developers using land as a resource.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) हितग्राहियों को राशि **रू. 1.00** लाख प्रति आवासीय इकाई	केवल भूमि उपलब्ध कराई जाएगी ।	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)
2	Affordable Housing through Credit Linked Subsidy.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) एवं निम्न आय वर्ग (LIG) के हितग्राहियों को 15 वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए राशि रु. 6.00 लाख तक के गृह ऋण पर 6.5 प्रतिशत ब्याज अनुदान (Interest Subsidy)	.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) और निम्न आय वर्ग (LIG)
3	Affordable Housing in Partnership with Public & Private sectors.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) आय–वर्ग के हितग्राहियों को राशि रु. 1.50 लाख प्रति आवासीय इकाई	केवल मलिन बस्तियों में निवासरत हितग्राहियों के लिए : **राशि रु. 1.50 लाख प्रति आवासीय इकाई**	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)
4	Subsidy for Beneficiary -Led Individual House	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) आय–वर्ग के हितग्राहियों को राशि	राशि रु. 1.00 लाख	आर्थिक रूप से

क्रं.	योजना के विकल्प	केन्द्रांश	राज्यांश	पात्र हितग्राही
	Construction.	रु. 1.50 लाख प्रति आवासीय इकाई	प्रति आवासीय इकाई	कमजोर (EWS)

6.6 भारत सरकार, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा प्रदेश के 378 नगरीय निकायों को योजना में सम्मिलित किया गया है।

6.7 योजना के अंतर्गत प्रदेश के 79 शहरों के हाउसिंग फॉर ऑल प्लान ऑफ एक्शन (HFAPOA) भारत सरकार, आवास और शहरी गरीबी उपशमन, मंत्रालय को प्रस्तुत किये जा चुके हैं।

6.8 प्रदेश के 85 शहरों की 132 परियोजनाओं में आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के लिए 172032 आवासीय इकाई कुल लागत राशि रू. 15099.80 करोड़ की भारत सरकार, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय से स्वीकृत किये जा चुके हैं।

6.9 योजनांतर्गत भारत सरकार से राशि रू. 346.23 करोड़ प्राप्त हो चुकी है, जिसमें राज्यांश़ सम्मिलित करते हुए कुल राशि रू. 502.74 करोड़ निकायों को आवंटित किया जा चुका है।

6.10 स्वीकृत योजनाओं में निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है 50 हजार आवासीय इकाईयां निर्माणाधीन हैं। लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिये 10 हजार आवासीय इकाईयां निर्माणाधीन हैं।

7 स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) मध्यप्रदेश

7.1. भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा नगरीय स्वच्छता को उन्नत करने के लिये स्वच्छ भारत मिशन आरंभ किया गया है। जिसके उद्देश्य निम्नानुसार हैं :–

7.1.1 खुले में शौच से मुक्त करना

7.1.2 हाथ से मैला उठाने वाले की प्रथा समाप्त करना

7.1.3 शहरी ठोस अपशिष्ट का आधुनिक एवं वैज्ञानिक प्रबंधन

7.1.4 स्वच्छता प्रयासों के संबंध में व्यवहारिक बदलाव लाना

7.1.5 स्वच्छता हेतु लोगों को जागरूक करना एवं लोक स्वास्थ्य से जोडना

7.1.6 नगरीय निकायों को क्षमतावर्धन बनाना

7.1.7 कैपेक्स (पूंजीगत व्यय) और ओपेक्स (संचालन और संधारण) में निजी क्षेत्रों की भागीदारी के लिए अनुकूल वातावरण बनाना

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत वर्ष 2014–19 तक कार्ययोजना निम्नानुसार हैं :–

राशि रु करोड़ में

समस्त घटकों में प्रावधान अनुदान	वर्ष 2014–2019 तक कार्ययोजना	
	कुल योजना अनुमानित	केन्द्रांश
कुल	5209.14	1428.10

निर्धारित लक्ष्य		
क्र.	**विवरण**	**वर्ष 2014–2019 तक अनुमानित भौतिक लक्ष्य**
1.	व्यक्तिगत स्वच्छ शौचालयों का निर्माण	731971

2.	सामुदायिक शौचालयों का निर्माण (1 सीट/25 महिलायें एवं 1 सीट/35 पुरूष के मान से)	1200
3.	सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण (1 सीट/25 महिलायें एवं 1 सीट/35 पुरूष के मान से)	500
4.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	378
5.	क्षमतावर्धन	378
6.	जन–जागरूकता एवं सूचना, शिक्षा–संप्रेषण	378

7.2 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण :–

7.2.1 परिभाषा :–व्यक्तिगत शौचालय से आशय ऐसे शौचालय जो एक परिवार के सदस्यों के उपयोग को उनके आवास सीमा में निर्मित किये जाये, व्यक्तिगत शौचालयों के रूप में नामांकित किये जायेगे।

7.2.2 वित्तीय प्रावधान :–योजना की इकाई लागत के लिये निम्नलिखित वित्तीय प्रावधान होंगे :–

राशि रु. में

क्र	इकाई लागत	केन्द्रांश	राज्यांश	निकाय अंशदान	हितग्राही अंशदान
1	13600/–	4000/–	6880/–	1360/–	1360/–

प्रगति :– वर्ष 2016–17

(राशि रूपये लाख में)

क्र.	निकायों की संख्या	व्यक्तिगत शौचालय		कुल राशि निकायो को प्रदान की गयी	
		कुल स्वीकृत	कुल निर्मित फरवरी माह तक	केंद्रांश	राज्यांश
कुल	378	494260	333593	13248.96	22312.48

राज्य के 58 नगरीय क्षेत्र खुले में शौच की समस्या से मुक्त के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके हैं, साथ ही 14 शहरों को खुले में शौच से मुक्त घोषित करने के लिये प्रस्ताव क्वालिटी काउन्सिल आफ इण्डिया को प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तावित :– वर्ष 2017–18

1. 237711 व्यक्तिगत शौचालय हेतु स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. 221801 व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण किया जायेगा।

7.3 सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों का निर्माण :–

7.3.1 परिभाषा :–सामुदायिक शौचालय से आशय ऐसे शौचालय से है, जिन्हें गंदी बस्ती क्षेत्रों , अल्प आय वर्गों को लक्षित कर तैयार किया गया है एवं उसके उपयोगकर्ता अधिकतम गंदी बस्ती क्षेत्र के निवासी हों, सामुदायिक शौचालय के रूप से नामांकित किये जायेगें। नगरीय निकायों को प्रस्ताव के साथ इस हेतु प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।

7.3.2 वित्तीय प्रावधान :– सामुदायिक शौचालयों के निर्माण हेतु वित्तीय प्रावधान निम्नानुसार हैं:– स्वच्छ भारत मिशन के प्रावधान अंतर्गत प्रति सीट (डब्ल्यू.सी.) केंद्रांश की अधिकतम राशि रु. 39200.00 का प्रावधान हैं। इस आधार पर अधिकतम प्रति सीट (डब्ल्यू.सी.) लागत निम्नानुसार होगी। प्रति सीट राशि से अधिक व्यय की स्थिति में वित्तीय भार निकाय द्वारा वहन किया जायेगा:–

क्र.	निकाय	केन्द्रांश	राज्य शासन अनुदान	निकाय अंशदान
1	नगर परिषद	39200	32500	6500
2	नगर पालिका परिषद	39200	32500	6500
3	नगर निगम (भोपाल एवं इन्दौर को छोड़कर)	39200	29250	9750
4	नगर निगम (भोपाल एवं इन्दौर के लिये)	39200	26000	13000

प्रगति :–

क्र.	स्वीकृत शौचालय की संख्या	फरवरी 2017 तक निर्मित सीट	स्वीकृत सीट का निर्माण शेष
1	**14280**	**7070**	**7210**

7.3.3 राज्य स्तर पर भ्रमणशील जनसामान्य जैसेः– तीर्थ यात्री आदि के लिये मोबाईल टायलेट नगरीय निकायों को प्रदान किये गये है जिसके अंतर्गत कुल 118 इकाई मोबाईल टॉयलेट प्रदान कर नदियों एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्यवाही की गयी है। जिससे खुले में शौच की समस्या को स्थाई रूप से समाप्त किया जा सके।

1. **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन :–**निकाय स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की कार्यवाही की जा रही है। इस हेतु निजी जन भागीदारी के माध्यम से क्षेत्रीय आधार पर लेण्डफिल साईट एवं प्रसंस्करण इकाई का गठन करने हेतु राज्य स्तर पर निर्णय लिया गया है। जिसके अनुसार आगामी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की योजना निजी जन भागादारी (पी.पी.पी.) के माध्यम से बनाई जायेगी। जिसमें स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रावधानित भारत सरकार से 20 प्रतिशत व्ही.जी.एफ. का लाभ लिया जा सकेगा। राज्य शासन की तरफ से इस हेतु 20 प्रतिशत तक अतिरिक्त व्ही.जी.एफ. दिया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त 30 प्रतिशत तक आसान ऋण 5 प्रतिशत ब्याज पर देने का प्रावधान राज्य के मद से किया जाएगा। राज्य द्वारा देय अनुदान अधिकतम 20 प्रतिशत तक सीमित रहेगा तथा फिजिबिलिटी स्टडी के आधार पर निजी जन भागीदार का अंशदान बढाये जाने पर राज्य द्वारा प्रदान किये जाने वाले ऋण में कमी की जा सकेगी। इस हेतु स्वच्छ भारत मिशन में राज्य की भागीदारी की व्ही.जी.एफ. एवं ऋण मिलाकर 50 प्रतिशत तक सीमित रहेगी।

   घर–घर कचरा संग्रहण हेतु नगरीय निकायों को 955 छोटा कचरा वाहन एवं 535 साईकिल रिक्शा एवं 52 काम्पेक्टर हेतु अनुदान प्रदान किया गया है।

प्रगति

क्रं.	क्लस्टर का नाम	संलग्न निकाय	कार्ययोजना लागत (करोड़)	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का प्रकार	वर्तमान स्थिति
1	कटनी	5	35.39	कचरे से खाद	कार्य आरंभ
2.	सागर	11	70.54	कचरे से खाद	
3.	जबलपुर	1	178	कचरे से विद्युत	

4.	भोपाल	8	465.76	कचरे से विद्युत	अनुबंध हस्ताक्षरित
5.	रीवा	28	158.67	कचरे से विद्युत	अनुबंध हस्ताक्षरित
6.	इंदौर	8	470.00	कचरे से विद्युत	निविदा प्रक्रिया पूर्ण
7.	ग्वालियर	16	259.00	कचरे से विद्युत	निविदा प्रक्रिया पूर्ण

प्रस्तावित :– वर्ष 2017–18

सभी 27 क्लस्टरो हेतु निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर कन्सेसनायर के साथ अनुबंध संपादित करना।

2. **सूचना, शिक्षा, संप्रेषण तथा प्रचार–प्रसार :**–स्वच्छ भारत मिशन के विहित प्रावधानों के अनुसार जन सामान्य के स्वच्छता व्यवहार में परिवर्तन एवं योजना के प्रचार–प्रसार हेतु प्रावधान किये गये है। जिसके अंतर्गत स्वच्छता व्यवहार में परिवर्तन हेतु **रोको–टोको** अभियान संचालित किया जा रहा है। शहर प्रबुद्ध नागरिकों को खुले में शौच, कचरा फेकने, गन्दगी फेलाने वाले लोगों को रोकने टोकने हेतु जागरूक किया जा रहा है।

   जनसामान्य के व्यवहार हेतु सभी नगरीय निकायों को सूचना शिक्षा संप्रेषण के प्रचार–प्रसार, व्यवहार परिवर्तन हेतु नगरीय निकायों को राशि रू. 59.00 करोड़ प्रदान किये गये है। जिसके सकारात्मक परिणाम स्थानीय स्तर पर दिखने लगे है।

––––

8 दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)

8.1 दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन केन्द्र प्रवर्तित योजना है, जिसमें 75 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा तथा 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। यह योजना शहरी गरीबों के उत्थान के लिये स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के स्थान पर अक्टूबर, 2013 से लागू की गई है।

8.2 यह योजना वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर प्रदेश के 55 शहरों में लागू की गई है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	जनसंख्या	शहर का नाम
1	10 लाख से अधिक	इन्दौर, भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर
2	05 लाख से 10 लाख	उज्जैन
3.	03 लाख से 05 लाख	सागर
4.	01 लाख से 03 लाख	देवास, सतना, रतलाम, रीवा, कटनी, सिंगरौली, खण्डवा, मुरैना, भिण्ड, बुरहानपुर, गुना, विदिशा, छतरपुर, शिवपुरी, मंदसौर, छिंदवाड़ा, खरगौन, नीमच, दमोह, होशंगाबाद, सिवनी, बैतूल, दतिया, इटारसी, नागदा, पीथमपुर एवं डबरा
5.	01 लाख से कम (जिला मुख्यालय शहर)	शहडोल, बालाघाट, अशोकनगर, टीकमगढ़, श्योपुर, शाजापुर, हरदा, नरसिंहपुर, सीधी, सिहोर, मण्डला, रायसेन, पन्ना, बड़वानी, झाबुआ, उमरिया, राजगढ़, अलीराजपुर, अनूपपुर, डिण्डौरी, धार एवं आगर

- **वित्तीय वर्ष 2017–18 में शेष शहरों में योजनाओं का विस्तार किया जायेगा ।**

8.3 मिशन के प्रमुख घटक निम्नानुसार है :–

8.3.1 **सामाजिक जागरूकता एवं संस्थागत विकास** : इस घटक के अंतर्गत राज्य स्तर पर एक त्रिस्तरीय संगठनात्मक संरचना परिकल्पित की गयी है, इसके अंतर्गत जहां बस्ती स्तर पर स्व–सहायता समूह बनाए जायेंगे वहीं 10–20 स्व सहायता समूह आपस में मिलकर क्षेत्र स्तरीय फेडरेशन (Area Level Federation) तथा 10–20 क्षेत्र स्तरीय फेडरेशन मिलकर एक नगर स्तरीय फेडरेशन (City Level Federation) का गठन करेंगे। इस संघीय संरचना से बैंक लिंकेज, प्रशिक्षण, मार्केटिंग, ऋण, मूल्यांकन, हितग्राहियों की पहचान एवं भागीदारी तथा समूहों के निर्माण में सहायता मिलेगी। इस प्रक्रिया को सुलभ बनाने के लिए स्त्रोत संगठनों का चयन किया गया है। इन कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए प्रत्येक शहर में शहरी आजीविका केन्द्रों की स्थापना प्रस्तावित की गई है। इन केन्द्रों का संचालन समुदाय आधारित संस्थाओं, एनजीओ, स्व–सहायता समूह के फेडरेशन आदि के द्वारा होगा। वर्ष 2016–17 में माह दिसम्बर, 2016 तक 2421 स्व सहायता समूहों का गठन एवं 2107 स्व सहायता समूहों को आवर्ती निधि प्रदान की गई ।

8.3.2 **कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार** : इस घटक के अंतर्गत शहरी गरीबों को कौशल प्रशिक्षणों के द्वारा उन्नत रोजगार से जोडा जाएगा। घटक के उद्देश्य पूर्ति हेतु निम्नानुसार गतिविधियॉं संचालित की जाएंगी :–

- बाजार की मांग के अनुसार दक्षता की कमी का विश्लेषण तथा रोजगारोन्मुख व्यवसायों की सूची तैयार करना।
- गरीब तथा कमजोर वर्गों के अकुशल प्रशिक्षणार्थियों का चयन।

- प्रशिक्षण संस्थाओं का पारदर्शी तरीके से चयन।
- पाठ्यक्रम निर्धारण।
- प्रमाणीकरण।
- प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराना तथा छः माह तक सतत् संपर्क।
- प्रशिक्षण की अवधि न्यूनतम 200 घण्टे की होगी ।

वर्ष 2016–17 में माह दिसम्बर, 2016 तक 44,432 हितग्राहियों को प्रशिक्षित किया गया है, 42,453 का प्रमाणीकरण एवं 18,598 प्रशिक्षणार्थियों का नियोजन किया गया है ।

8.3.3 स्वरोजगार कार्यक्रम : इस घटक के अंतर्गत व्यक्तिगत एवं समूह उद्यम के लिए ऋण द्वारा वित्त पोषण सुनिश्चित किया जाएगा।

- व्यक्तिगत (रूपये 2.00 लाख) एवं समूह (रूपये 10.00 लाख अधिकतम) ऋण पर बैंकों द्वारा प्रचलित ब्याज दर की जगह मात्र 7 प्रतिशत ब्याज दर देय होगी तथा शेष ब्याज का वहन योजनांतर्गत किया जाएगा। महिला स्व–सहायता समूहों को 3 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान का लाभ दिया जाएगा। व्यक्तिगत उद्यमियों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा सुलभ होगी। ऋण अवधि 5–7 वर्ष के लिए प्रावधान है।
- इस कार्यक्रम के द्वारा 18 वर्ष या अधिक आयु के हितग्राहियों की पहचान नगरीय निकायों के द्वारा प्रस्तावित है। हितग्राहियों को 3–7 दिन तक उन्मुखीकरण प्रशिक्षण (ओरिएन्टेशन) प्रदान किया जायेगा। कार्यक्रम से लाभ उठाने के लिए कोई न्यूनतम शिक्षा का बंधन नहीं हे। इस घटक का प्रबंधन नगर स्तर पर गठित टास्कफोर्स के द्वारा किया जाएगा।

वर्ष 2016–17 में माह दिसम्बर, 2016 तक 8,188 हितग्राहियों को स्वरोजगार स्थापना हेतु ऋण आवंटित किया गया है एवं 352 स्व सहायता समूहों का बैंक लिंकेज किया गया है ।

8.3.4 क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण : इस घटक के अंतर्गत राज्य तथा निकाय स्तर पर मिशन प्रबंधन इकाई का गठन किया जायेगा, जिसमें राज्य स्तर पर 6 तकनीकी विशेषज्ञों को सम्मिलित किया जाएगा तथा निकाय स्तर पर 2–4 विशेषज्ञ जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। राज्य स्तर पर 6 तथा निकाय स्तर पर 117 विशेषज्ञ नियुक्त किये गये हैं ।

8.3.5 शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता : इस घटक में पथ विक्रेताओं की पहचान कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा, कौशल उन्नयन (1–2 दिन के प्रशिक्षण), बैंक लिंकेज एवं ऋण सुविधा, पहचान–पत्र, विक्रेता हेतु सुनिश्चित स्थान आदि सुविधाओं से लाभांवित किया जाएगा। इस घटक पर आवंटन की 5 प्रतिशत राशि व्यय की जाएगी तथा प्रशिक्षण पर प्रति व्यक्ति अधिकतम रूपये 750/– का व्यय किया जा सकेगा। 63,663 पथ विक्रेताओं की पहचार कर पहचान पत्र प्रदान किये गये हैं ।

8.3.6 शहरी गरीबों के लिए आश्रय योजना : इस घटक के अंतर्गत सामुदायिक आश्रय भवन का निर्माण कर गरीबों एवं बेघर लोगों के (50–100 व्यक्तियों के लिए) रहने का स्थान एवं मूलभूत सुविधायें (किचन, पानी, शौचालय, बिजली, मनोरंजन आदि) उपलब्ध करायी जायेगी। आश्रय भवन सभी मिशन नगरों में रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड, मण्डी, अस्पताल आदि के समीप निर्मित किए जाएंगे। आश्रय भवनों एवं सुविधाओं का संचालन एवं प्रबंधन, इस कार्य हेतु गठित प्रबंधन समिति/पूर्ण कालिक कर्मचारियों/अन्य के द्वारा किया जाएगा। राज्य शासन द्वारा प्रदेश में एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले 24 शहरों में आश्रयहीन व्यक्तियों के लिये 100 आश्रय स्थलों का संचालन किया जा रहा है । आश्रय स्थलों में आवश्यक सुविधायें जैसे– बिस्तर, प्रकाश, पेयजल, शौचालय, टेलीविजन, समाचार पत्र, लॉकर, सर्दी में कम्बल एवं अलाव आदि की व्यवस्था उपलब्ध करायी जा रही है ।

दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजनांतर्गत 33 शहरों में आश्रय स्थल निर्माणाधीन है । जिसमें से 29 शहरों में निर्माण पूर्ण होकर संचालन प्रारंभ किया जा रहा है । आश्रय स्थलों के संचालन एवं संधारण हेतु दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अंतर्गत वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करायी जा रही है ।

9. छोटे एवं मझोले शहरों के लिए शहरी अधोसंरचना विकास योजना (UIDSSMT)

1.1 भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2005 में छोटे एवं मझौले शहरों के अधोसंरचनात्मक विकास के उद्देश्य से यूआईडीएसएसएमटी योजना प्रारंभ की गई है।

1.2 योजना के अंतर्गत परियेाजना लागत की 80 प्रतिशत राशि भारत सरकार से केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त होती है, जिसके विरूद्व राज्यांश 10 प्रतिशत एवं निकाय अंश 10 प्रतिशत देय होता है।

1.3 योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं के चयन, उनके क्रियान्वियन, पर्यवेक्षण, अनुश्रवण से संबंधित कार्यो के क्रियान्वयन के लिये मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय साधिकार का गठन किया गया है।

1.4 संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को यूआईडीएसएसएमटी योजना के लिये राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी मनोनीत है।

1.5 योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 31 मार्च, 2014 तक रू. 2849.36 करोड़ राशि की 114 नगरों की 179 परियोजनायें (पेयजल, सड़क, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन) स्वीकृत की गई है। इसमें से 100 परियोजनाओं (57 जलप्रदाय, 39 सड़क एवं 04 सीवरेज) का कार्य पूर्ण हो चुका है।

1.6 योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का शहरवार विवरण **परिशिष्ट–पांच** पर है।

(ब) राज्य योजनाएं

1. हाथठेला एवं साइकिल रिक्शा चालकों के कल्याण की योजना, 2009

प्रदेश के शहरों में मुख्यमंत्री हाथठेला एवं साइकिल रिक्शा चालक कल्याण योजना वर्ष 2009 में प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत सदस्यों को स्वरोजगार स्थापना हेतु मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराई जाती है। वर्तमान तक 53102 सदस्यों को सहायता उपलब्ध करा दी गई है। योजना के अंतर्गत प्रसूती सहायता, छात्रवृत्ति, विवाह सहायता, चिकित्सा सहायता, अनुग्रह सहायता एवं जनश्री बीमा योजना आदि सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं भी प्रदान की जाती है।

2. शहरी घरेलू कामकाजी महिलाओं के कल्याण की योजना, 2009

शहरी घरेलू कामकाजी बहनों के कल्याण के लिये मुख्यमंत्री शहरी घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना वर्ष 2009 में प्रारंभ की गई है। योजना में घरेलू कामकाजी महिलाओं का पंजीयन कर आईटीआई एवं अन्य संस्थाओं से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण अवधि में रूपये 2,000.00 पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है। वर्तमान तक 52128 कामकाजी बहनों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। योजना के अंतर्गत प्रसूती सहायता, छात्रवृत्ति, विवाह सहायता, चिकित्सा सहायता, अनुग्रह सहायता एवं जनश्री बीमा योजना आदि सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं भी प्रदान की जाती है।

3. **मुख्यमंत्री (पथ पर विक्रय करने वाले) शहरी गरीबों के लिए कल्याण योजना, 2012**

प्रदेश में शहरी फेरी वालों के कल्याण के लिये मुख्यमंत्री (पथ पर विक्रय करने वाले) शहरी गरीबों के लिए कल्याण योजना वर्ष 2012 में लागू की गई है। योजना के अंतर्गत पंजीकृत सदस्यों को रोजगार स्थापना हेतु मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराई जाती है। वर्तमान तक 27350 सदस्यों को सहायता उपलब्ध करा दी गई है। योजना के अंतर्गत प्रसूती सहायता, छात्रवृत्ति, विवाह सहायता, चिकित्सा सहायता, अनुग्रह सहायता एवं जनश्री बीमा योजना आदि सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं भी प्रदान की जाती है।

4. **केश शिल्पी कल्याण योजना, 2013**

राज्य शासन द्वारा प्रदेश के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में केश शिल्प का कार्य कर रहे केश शिल्पियों के कल्याण के लिए केश शिल्पी कल्याण योजना, 2013 लागू की गई है। योजना के अंतर्गत पंजीकृत सदस्यों को स्वरोजगार स्थापना हेतु मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराई जाती है। वर्तमान तक 8340 सदस्यों को सहायता उपलब्ध करा दी गई है। योजना के अंतर्गत प्रसूती सहायता, छात्रवृत्ति, विवाह सहायता, चिकित्सा सहायता, अनुग्रह सहायता एवं जनश्री बीमा योजना आदि सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं भी प्रदान की जाती है।

4. **मुख्यमंत्री मानव श्रम रहित ई–रिक्शा एवं ई–लोडर योजना, 2017**

राज्य शासन द्वारा शहरी गरीबों के शारिरिक श्रम को न्यूनतम कर उच्च आय अर्जित करने के युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से जनवरी, 2017 से मुख्यमंत्री मानव श्रम रहित ई–रिक्शा एवं ई–लोडर योजना प्रारंभ की गई है । उक्त योजना मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अंतर्गत अतिरिक्त घटक के रूप में वित्त पोषित होगी ।

5. **मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना**

राज्य शासन द्वारा यह योजना वित्तीय वर्ष 2015–16 से प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु परियोजना लागत रूपये 50,000.00 तक बैंक के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। परियोजना लागत का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान तथा बैंक द्वारा प्रचलित ब्याज दर में 7 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर के अंतर की राशि को ब्याज अनुदान के रूप में अधिकतम 7 वर्ष तक दिए जाने का प्रावधान है। वर्ष 2016–17 में माह दिसम्बर, 2016 तक 6308 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है ।

6. **मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना**

राज्य शासन द्वारा यह योजना वित्तीय वर्ष 2015–16 से प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को व्यक्तिगत स्वरोजगार स्थापित करने हेतु परियोजना लागत रूपये 2.00 लाख तक बैंक के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। परियोजना लागत का 20 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान तथा बैक द्वारा प्रचलित ब्याज दर में 7 प्रतिशत से अधिक के अंतर की राशि को ब्याज अनुदान के रूप में अधिकतम 7 वर्ष तक दिए जाने का प्रावधान है। उपरोक्त के अतिरिक्त समूह के लिए रोजगार स्थापित करने हेतु परियोजना लागत रूपये 10.00 लाख तक बैंक के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। परियोजना लागत 15 प्रतिशत मर्जिन मनी अनुदान तथा बैंक द्वारा प्रचलित ब्याज दर में 7 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर के अंतर की राशि को ब्याज अनुदान के रूप में अधिकतम 7 वर्ष तक दिए जाने का प्रावधान है। वर्ष 2016–17 में माह दिसम्बर, 2016 तक 7251 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है ।

7. मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना

7.1 प्रदेश के शहरों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिये मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना वर्ष 2012 से प्रारंभ की गई है। योजना के अंतर्गत 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिये परियोजना लागत का 20 प्रतिशत एवं 50,000 से कम जनसंख्या वाले शहरों के लिये परियोजना लागत का 30 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा अनुदान दिया जाता है। शेष 80 प्रतिशत एवं 70 प्रतिशत राशि की पूर्ति नगरीय निकायों द्वारा ऋण लेकर की जाती है, जिसमें ऋण का 75 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा एवं 25 प्रतिशत नगरीय निकाय द्वारा भुगतान किये जाने की व्यवस्था है।

7.2 निकायों द्वारा ऋण हुडको से लिया जा रहा है, जिसके लिए राज्य शासन द्वारा रू. 1000.00 करोड़ की शासकीय प्रत्याभूति प्रदान की गई है । इसी प्रकार बैंको/वित्तीय संस्थाओं से ऋण लिये जाने हेतु भी रू. 500.00 करोड़ की अतिरिक्त शासकीय प्रत्याभूति प्रदान की गई है। इस प्रकार इस योजना हेतु कुल राशि रू. 1500.00 करोड़ की शासकीय प्रत्याभूति प्रदान करने की स्वीकृति प्राप्त है। योजना अन्तर्गत वर्तमान में 146 नगरीय निकायों को कुल रू. 1997.24 करोड़ की स्वीकृत प्रदान की गई है।

7.3 योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में 54 नगरों की पेयजल योजना के लिये अनुदान राशि रू. 132.25 करोड़, वर्ष 2013–14 में राशि रू. 90.00 करोड़, वर्ष 2014–15 में राशि रू. 139.00 करोड़ एवं वर्ष 2015–16 में राशि रू. 76.00 करोड़ एवं वर्ष 2016–17 में राशि रू. 89.62 करोड़ जनवरी, 2017 तक नगरीय निकायों को जारी किये गये है। वर्तमान तक स्वीकृत 146 नगरीय निकायों में से 31 नगरीय निकायों का कार्य पूर्ण हो चुका है, 98 नगरीय निकायों में योजना का कार्य प्रगति पर है तथा शेष नगरीय निकायों में योजना के क्रियान्वयन की कार्यवाही प्रचलित है । योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनओं विवरण **परिशिष्ट–छः** पर है।

8. मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना

8.1 प्रदेश के शहरों में अधोसंरचना विकास के लिये मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना वर्ष 2012 में प्रारंभ की गई है। योजना के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में सड़क एवं शहरी यातायात, सौंदर्यीकरण, सामाजिक अधोसंरचना विकास एवं उद्यान धरोहर संरक्षण का कार्य कराया जाता है।

8.2 योजना के अंतर्गत लागत की 30 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जाती है एवं शेष 70 प्रतिशत राशि की पूर्ति नगरीय निकायों द्वारा ऋण लेकर की जाती है, जिसमें ऋण का 75 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा एवं शेष 25 प्रतिशत नगरीय निकायों द्वारा भुगतान किये जाने की व्यवस्था है।

8.3 योजना के अंतर्गत अभी तक प्रदेश की कुल 277 नगरीय निकायों को रूपये 1,428.00 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें रूपये 1,000.00 करोड़ हडको द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

8.4 योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में 265 नगरीय निकायों को रूपये 1306.75 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है एवं रूपये 428.00 करोड़ का अनुदान विमुक्त किया गया है तथा हुडको द्वारा रूपये 820.00 करोड़ की राशि विमुक्त की गई है। योजना के अंतर्गत 108 नगरीय निकायों में निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं 157 नगरीय निकायों में निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

8.5 मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना का द्वितीय चरण भी रू. 1800.00 करोड़ का वर्ष 2016 में स्वीकृत हुआ है, जिससे वर्तमान तक 378 नगरीय निकायों को योजनान्तर्गत शहरी अधोसंरचना विकास के कार्यो के लिए 1107.00 करोड की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई है । नगरीय निकायों द्वारा आवश्कतानुसार कार्यो की डी.पी.आर. तैयार कराई जा रही है ।

9. एकमुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता

9.1 इसके अंतर्गत प्रदेश की नगरीय निकायों को विभिन्न परियोजनाओं के लिये एक मुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की जाती है, जिसमें परियोजना की 70 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा एवं 30 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है।

9.2 एकमुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत 11 नगरीय निकायों की योजना राशि रू. 157.45 करोड़ की स्वीकृत की गई है तथा इन नगरीय निकायों को कुल राशि रू. 146.30 करोड़ मुक्त की जा चुकी है। 10 निकायों की जलप्रदाय योजनायें सेंधवा, डीकेन, पृथ्वीपुर, दतिया, लटेरी, महेश्वर, अलीराजपुर, सीहोर (बैराज), गरोठ एवं सैलाना पूर्ण हो चुकी है। शेष नगर परिषद् ब्यौहारी की योजना का कार्य प्रगति पर है।

(स) बाह्य सहायता प्राप्त योजनाएं

1. एशियन डेवलपमेंट बैंक से वित्त पोषित मध्यप्रदेश नगरीय सेवाओं का उन्नयन कार्यक्रम

1.1 अन्य वित्तीय स्त्रोतों से छूटे हुए 128 नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः जल प्रदाय तथा पर्यटन/धरोहर की दृष्टि से महत्वपूर्ण 4 नगरों में सीवरेज व्यवस्था एवं उपचार की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से वित्त पोषित मध्यप्रदेश नगरीय सेवाओं का उन्नयन कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है।

1.2 परियोजना के अंतर्गत कुल 128 नगरों की जल प्रदाय योजनाएं है, जिसमें प्रथम ट्रांच में 64 नगरों की जल प्रदाय योजनाएं तथा द्वितीय ट्रांच में शेष 64 जलप्रदाय योजनाएं ली जाएंगी, 4 नगरों क्रमशः मैहर, खजुराहो, राजनगर एवं सांची में मल जल निस्तारण योजनाएं प्रस्तावित है।

1.3 परियोजना की कुल अनुमानित लागत रू. 4920.00 करोड़ अर्थात् 820 मिलियन यू.एस. डॉलर है। परियोजना में सम्मिलित वे नगर जो भारत सरकार की अमृत योजना में सम्मिलित है, को 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार का अनुदान तथा 50 प्रतिशत एशियन डेवलपमेंट बैंक से ऋण उपलब्ध होगा तथा अन्य नगरों को 30 प्रतिशत राज्य का अनुदान तथा 70 प्रतिशत एशियन डेवलपमेंट बैंक से ऋण उपलब्ध होगा।

1.4 एशियन डेवलपमेंट बैंक से प्राप्त ऋणों के 75 प्रतिशत अंश एवं उसके ब्याज का पुर्नभुगतान राज्य शासन द्वारा तथा शेष राशि एवं ब्याज का पुर्नभुगतान संबंधित निकाय द्वारा किया जाएगा।

1.5 योजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत 64 नगरीय निकायों की जल प्रदाय योजना की डीपीआर तैयार की गई । एशियन डेवलपमेंट बैंक से अनापत्ति प्राप्त कर 16 पैकेजों के अंतर्गत 43 नगरीय निकायों की जलप्रदाय व्यवस्था हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई । इनमें 7 पैकेजों के कार्यादेश (कुल लागत लगभग रू. 420.00 करोड़) साधिकार समिति सह कार्यकारी समिति के अनुमोदन उपरांत विभिन्न ठेकेदार फर्मो को जारी कर दिये गये है।

म.प्र. नगरीय सेवाओं का उन्नयन कार्यक्रम के अंतर्गत क्रियान्वित किए जाने वाले कार्यो के पर्यवेक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रबंधन के लिए पी.एम.सी. (परियोजना प्रबंधन सलाहाकारिता फर्म) फर्म मेसर्स टाटा कन्सलटिंग इंजीनियर्स लिमिटेड का चयन कर फर्म के साथ अनुबंध निष्पादित किया गया है । फर्म के द्वारा अपना कार्यालय स्थापित कर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है ।

कार्यक्रम के द्वितीय चरण के अंतर्गत 61 नगरीय निकायों की जल प्रदाय योजना के कार्य किये जाना है, जिसमें से 49 नगरीय निकायों की डी.पी.आर. तैयार की जा चुकी है एवं इन डी.पी.आर. का परीक्षण किया जा रहा है ।

2. विश्व बैंक से वित्त पोषित मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट परियोजना

2.1 नर्मदा एवं अन्य महत्वपूर्ण नदियों में शहरी सीवरेज से होने वाले प्रदूषण को रोकने की दृष्टि से सीवरेज परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए एवं जलप्रदाय योजनाओं से छूटे हुये नगरों में जल प्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विश्व बैंक के वित्त पोषण से मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्रस्तावित किया गया है।

2.2 परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित अधोसंरचना कार्यों में 16 नगरों में मल जल निस्तारण, 6 नगरों में जलप्रदाय योजना तथा 1 नगर में विरासत संरक्षण योजना प्रस्तावित है।

2.3 प्रस्तावित मल जल निस्तारण योजनाओं में नर्मदा नदी के किनारें एवं नर्मदा नदी को सीधे प्रभावित करने वाले 11 नगर क्रमशः अमरकंटक, डिण्डौरी, भेड़ाघाट, शाहगंज, बुदनी, नसरूल्लागंज, नेमावर, ओंकारेश्वर, मण्डलेश्वर, महेश्वर, धरमपुरी तथा 5 अन्य महत्वपूर्ण नगर क्रमशः मंदसौर, शाजापुर, नागदा, छिंदवाड़ा, शहडोल सम्मिलित है।

2.4 जल प्रदाय योजना बुरहानपुर, मुरैना, खरगौन, सेवढ़ा, बड़ामलहरा एवं पटेरा में तथा विरासत संरक्षण योजना बुरहानपुर में प्रस्तावित है ।

2.5 परियोजना की कुल लागत रू. 996.00 करोड़ (166.00 मिलियन यू.एस. डॉलर) है। परियोजना में सम्मिलित वे नगर जो भारत सरकार की अमृत योजना में सम्मिलित है, को 50 प्रतिशत केन्द्र का अनुदान तथा 50 प्रतिशत विश्व बैंक से ऋण उपलब्ध होगा तथा अन्य नगरों को 30 प्रतिशत राज्य सरकार का अनुदान एवं 70 प्रतिशत विश्व बैंक से ऋण उपलब्ध होगा।

2.6 विश्व बैंक से प्राप्त ऋण का 75 प्रतिशत अंश एवं उसके ब्याज का पुर्नभुगतान राज्य शासन द्वारा तथा शेष राशि एवं ब्याज का पुर्नभुगतान संबंधित निकाय द्वारा किया जाएगा।

2.7 परियोजना के अंतर्गत प्रथम चरण में 03 जलप्रदाय योजनाएं क्रमशः बुरहानपुर, खरगौन एवं सेवढ़ा तथा सीवरेज की 05 योजनाएं क्रमशः शाजापुर, छिंदवाड़ा, नसरूल्लागंज, महेश्वर एवं मंदसौर की डीपीआर पूर्ण की गई है तथा शेष कार्यों की डीपीआर तैयार करने की कार्रवाई की जा रही है।

2.8 बुरहानपुर और खरगौन नगर की जल प्रदाय योजना की निविदा कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है तथा छिन्दवाडा, महेश्वर एवं नसरूल्लागंज की सीवरेज योजना की निविदा आमंत्रित की जा चुकी है ।

2.9 परियोजना का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जावेगा।

3. केएफडब्ल्यू बैंक से वित्त पोषित मध्यप्रदेश अर्बन सेनिटेशन एण्ड एन्वायरमेंट प्रोग्राम

3.1 प्रदेश की प्रमुख नदियों को प्रदूषण से बचाने एवं पर्यावरण संरक्षण के लिये सीवरेज परियोजनाओं के लिए केएफडब्ल्यू बैंक से वित्त पोषित मध्यप्रदेश अर्बन सेनिटेशन एण्ड एन्वार्यमेंट प्रोग्राम प्रस्तावित किया गया है।

3.2 योजना के अंतर्गत नर्मदा नदी के किनारे एवं नर्मदा नदी को सीधे प्रभावित करने वाले 6 नगरों क्रमशः होशंगाबाद, नरसिंहपुर, मण्डला, बड़वानी, सेंधवा एवं सनावद में मल जल निस्तारण प्रस्तावित है ।

3.3 परियोजना की कुल लागत रू. 500.50 करोड़ (71.50 मिलियन यूरो) है। परियोजना में सम्मिलित वे नगर जो भारत शासन की अमृत योजना में सम्मिलित है, को 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार का अनुदान एवं 50 प्रतिशत केएफडब्ल्यू बैंक से ऋण उपलब्ध होगा तथा अन्य नगरों को 30 प्रतिशत राज्य सरकार का अनुदान तथा 70 प्रतिशत केएफडब्ल्यू बैंक से ऋण उपलब्ध होगा।

3.4 योजनाओं के लिए फीजिबिलिटी स्टडी की कार्रवाई प्रगति पर है।

3.5 योजना का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जायेगा।

(द) अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं/कार्यक्रम

1 चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर अनुदान

1.1 चौदहवें वित्त आयोग द्वारा प्रदेश की नगरीय निकायों के लिये दो प्रकार के अनुदानों की अनुशंसा की गई है, जो कि निम्नानुसार है :–

(1)	जनरल बेसिक ग्रांट	–	(वर्ष 2015–16 से 2019–20 तक)
(2)	परफॉरमेंस ग्रांट	–	(वर्ष 2016–17 से 2019–20 तक)

1.2 वित्तीय वर्ष 2016–17 में भारत सरकार से जनरल बेसिक ग्रांट की राशि रूपये 34394.50 लाख एवं परफॉरमेंस ग्राट रूपये 20302.00 लाख प्राप्त हुई, जिसे नगरीय निकायों को उपलब्ध कराया गया है।

2 नगरीय क्षेत्रों में विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये विशेष निधि

2.1 विभाग के बजट से विभिन्न मदों की राशि सामान्यतः नगरीय निकायों को निर्धारित मापदण्ड अनुसार अर्जित पात्रता के आधार पर दी जाती है। इस कारण नगरीय निकायों को राज्य शासन द्वारा विशेष आवश्यकताओं, आकस्मिक प्रयोजनों एवं अपूर्ण जल प्रदाय योजनाओं को पूर्ण करने के लिये राशि देने में कठिनाई होती थी। उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए विशेष निधि का गठन किया गया है।

2.2 इस निधि में विभाग को आयोजनेतर मदों जैसे सड़क मरम्मत, राज्य वित्त आयोग एवं मूलभूत सुविधा में प्रावधानित बजट राशि का 20 प्रतिशत भाग पृथक निधि के रूप में रखा जाकर नगरीय निकायों को 10 प्रतिशत विभिन्न विशेष प्रयोजनों के लिये अनुदान एवं 10 प्रतिशत अपूर्ण जल प्रदाय योजनाओं को पूर्ण करने के लिये अनुदान दिया जाता है।

2.3 इस निधि के परिचालन के लिये ''म.प्र. के नगरीय क्षेत्रों में विशेष आवश्यकताओं एवं आकस्मिक प्रयोजनों के लिये राशि के उपयोग के नियम, 2006'' बनाये गये हैं।

2.4 वर्ष 2016–17 में माह फरवरी तक इस निधि से विभिन्न विशेष प्रयोजनों के लिये राशि रूपये 15493.97 लाख नगरीय निकायों को उपलब्ध कराई गई है।

3 मध्यप्रदेश शहरी अधोसंरचना कोष (MPUIF)

3.1 राज्य शासन द्वारा प्रदेश के नगरीय स्थानीय निकायों में बड़ी अधोसंरचना विकास परियोजनाओ के चयन, उनके परियोजना प्रस्ताव तैयार करने, ऐसी परियोजनाओं के लिए शासन सहित विभिन्न वित्तीय संस्थानों/बाजार से पूंजी की व्यवस्था करने आदि के प्रयोजन से म.प्र. शहरी अधोसंरचना कोष का गठन किया गया है।

3.2 राज्य मंत्रि–परिषद् द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शहरी अधोसंरचना कोष का गठन भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के अंतर्गत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 16 मई, 2008 को हुआ है।

3.3 ट्रस्ट के अंतर्गत तकनीकी कार्यो के संचालन के लिए ''मध्यप्रदेश नगरीय अधोसंरचना एवं वित्तीय सेवायें मर्यादित'' का गठन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कंपनी के रूप में कंपनी अधिनियम के अंतर्गत किये जाने की व्यवस्था रखी गई है।

3.4 कोष को भारत सरकार द्वारा लागू ''पूल्ड फायनेंस डेवलपमेंट फंड'' योजना के अंतर्गत राज्य स्तर पर साझा वित्त इकाई के रूप में नामांकित किया गया है।

3.5 विभाग द्वारा निजी क्षेत्र की भागीदारी से प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कंपनी का गठन हेतु तीन बार ऑफर बुलाये गये थे, परंतु कंपनियों द्वारा इसमें अपेक्षित रूचि प्रदर्शित नहीं की गई, इसे देखते हुए मुख्य

सचिव, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में संपन्न बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में शत–प्रतिशत शासकीय अंशधारी कंपनी का गठन करने का निर्णय लिया गया है।

3.6 उपरोक्तानुसार बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में लिए गए निर्णय के परिपेक्ष्य में दिनांक 01 जनवरी, 2015 को **मध्यप्रदेश अर्बन डेवलेपमेंट कंपनी लिमिटेड** का गठन किया गया है।

4 मध्यप्रदेश अर्बन डेवलेपमेंट कंपनी लिमिटेड

4.1 राज्य शासन की शत प्रतिशत अंश पूंजीधारित मध्यप्रदेश अर्बन डेवलेपमेंट कंपनी लिमिटेड का गठन 1 जनवरी, 2015 को किया गया है।

4.2 मध्यप्रदेश अर्बन डेवलेपमेंट कंपनी लिमिटेड में माननीय मुख्यमंत्री जी को चेयरमेन तथा माननीय मंत्रीजी नगरीय विकास एवं आवास विभाग एवं मुख्य सचिव को कंपनी का वाइस चेयरमेन नियुक्त किया गया है।

4.3 आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास को कंपनी का प्रबंध संचालक तथा अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास को कंपनी का अतिरिक्त प्रबंध संचालक नियुक्त किया गया है।

4.4 कंपनी के कार्यों को विस्तार देते हुए राज्य शासन द्वारा कंपनी को न केवल नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का दायित्व सौंपा गया है, बल्कि बड़ी परियोजनाओं के क्रियान्वयन का भी उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

4.5 नगरीय निकायों में बाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं जैसे, विश्व बैंक, एशियन विकास बैंक तथा केएफडब्ल्यू इत्यादि द्वारा वित्त पोषित योजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य कंपनी द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार कंपनी के माध्यम से रूपये 6416.00 करोड़ की पेयजल, सीवेज परियोजनाओं के कार्यों का क्रियान्वयन किए जाने का निर्णय राज्य शासन द्वारा लिया गया है।

4.6 इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कंपनी की 13 परियोजना क्रियान्वयन ईकाईयों का गठन किया जा रहा है।

4.7 स्मार्ट सिटी योजना हेतु चयनित नगरों में गठित स्पेशल परपज व्हीकल (SPV) कंपनियों को मध्यप्रदेश अर्बन डेवलेपमेंट कंपनी लिमिटेड की Subsidary Company बनाया गया है।

5 मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी

5.1 राज्य शासन द्वारा प्रदेश के भोपाल एवं इंदौर शहरों में मेट्रो परियोजना क्रियान्वित किए जाने का निर्णय लिया गया है। मेट्रो परियोजना क्रियान्वित किए जाने के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही संपादित की जा चुकी है :–

- माननीय मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में मध्यप्रदेश मेट्रो कंपनी एवं मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मेट्रो कंपनी की कार्यकारी समिति का गठन किया जा चुका है।
- मध्यप्रदेश मेट्रो कंपनी हेतु प्रबंध संचालक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है।
- राज्य शासन द्वारा उभय शहरों में प्रस्तावित मेट्रो परियोजना के लिये मल्टीलैटरल / बायलैटरल वित्तीय एंजेसियों से वित्तपोषण हेतु अनुमति प्रदाय की जा चुकी है।
- मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग द्वारा Debt Sustainability Clearance Certificate जारी किया जा चुका है।

5.2 उभय शहरों में मेट्रो परियोजना के कियान्वयन हेतु डीपीआर का अनुमोदन राज्य शासन द्वरा किया जा चुका है। डी.पी.आर. के अनुसार भोपाल में मेट्रो परियेजना हेतु लगभग 95.03 कि.मी. एवं इंदौर में लगभग 104.25 कि.मी. का नेटवर्क प्रस्तावित है। भोपाल मेट्रो परियोजना की लागत लगभग

रूपये 22504.25 करोड़ एवं इंदौर मेट्रो परियोजना की लागत लगभग रूपये 26762.21 करोड़ है। इस प्रकार उभय शहरों में प्रस्तावित मेट्रो परियोजना की कुल लागत लगभग राशि रूपये लगभग 49266.46 करोड़ है।

5.3 राज्य शासन द्वारा उभय शहरों में मेट्रो परियोजना का क्रियान्वयन चरणवार किया जाएगा।

5.4 भोपाल के लिए प्रस्तावित मेट्रो परियोजना का प्रथम चरण निम्नानुसार है :-

कॉरिडोर नंबर	**कॉरिडोर का विवरण**	**लगभग लम्बाई (किमी)**	**लगभग लागत (करोड़ में)**
कॉरिडोर नं. 2	करोंद चौराहा–भोपाल टॉकिज–रेल्वे स्टेशन–भारत टॉकिज–पुल बोगदा–सुभाष नगर अंडर पास–डी.बी. मॉल–बोर्ड ऑफिस चौराहा–हबीबगंज नाका–अल्कापुरी बस स्टेंड–एम्स	14.99	4411.18
कॉरिडोर नं. 5	डिपो चौराहा–जवाहर चौक–रोशनपुरा चौराहा–मिंटो हॉल–लिली टॉकिज–जिंसी चौराहा–पुल बोगदा–प्रभात चौराहा–अप्सरा टॉकिज–गोविंदपुरा इन्ड्स्ट्रीयल एरिया–रत्नागिरी तिराहा	12.88	2551.74
	कुल	**27.87**	**6962.92**

5.5 परियोजना के प्रथम चरण का वित्त पोषण निम्नवत् होगा :-

(राशि करोड़ में)

परियोजना की लगभग कुल लागत (करोड़ में)	**मल्टीलैटरल/बायलैटरल एजेंसी**	**राज्य शासन**	**भारत सरकार**
6962.92	3885.19	1782.66	1295.07

5.6 प्रथम चरण 2017–18 से प्रारंभ होकर वर्ष 2021–22 तक पूर्ण होगा।

5.7 इंदौर के लिए प्रस्तावित मेट्रो परियोजना का प्रथम चरण निम्नानुसार है :-

कॉरिडोर नंबर	**कॉरिडोर का विवरण**	**लगभग लम्बाई (किमी)**	**लगभग लागत (करोड़ में)**
कॉरिडोर नं. 3	ननोद–सुपर कॉरिडोर–भंवरसाला चौराहा–एम.आर टेन फलाईओवर–विजय नगर चौराहा–रेडिसन चौराहा–बंगाली चौराहा–पलासिया चौराहा–राजवाड़ा –बड़ा गणपति–कलानी नगर–एयरपोर्ट–ननोद	31.53	**7522.63**
	कुल	**31.53**	**7522.63**

5.8 परियोजना के प्रथम चरण का वित्त पोषण निम्नवत् होगा :-

(राशि करोड़ में)

परियोजना की लगभग कुल लागत	**मल्टीलैटरल/बायलैटरल एजेंसी**	**राज्य शासन**	**भारत सरकार**

7522.63	4211.38	1907.46	1403.79

5.9 प्रथम चरण 2017—18 से प्रारंभ होकर वर्ष 2021—22 तक पूर्ण होगा।

6 प्रदेश के बड़े शहरों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के संबंध में शासन की पहल

6.1 प्रदेश के शहरों में पार्किंग को व्यवस्थित करने एवं नवीन पार्किंग संस्कृति के विकास हेतु राज्य शहरी पार्किंग नीति तैयार की गई।

6.2 प्रदेश के 04 जेएनएनयूआरएम मिशन शहरो यथा— भोपाल, इन्दौर, जबलपुर एवं उज्जैन में Organized City बस सेवा संचालित है। प्रदेश के अमृत मिशन शहरों में से 20 शहरों जिसमें भोपाल, इन्दौर, जबलपुर एवं उज्जैन के साथ—साथ अन्य 16 प्रमुख शहरों यथाः— ग्वालियर, देवास, मुरैना, सतना, सागर, रतलाम, रीवा, कटनी, सिंगरौली, छिन्दवाड़ा, बुरहानपुर, खण्डवा, भिंड, गुना, शिवपुरी एवं विदिशा में सिटी बस सेवा संचालन का कार्य प्रचलित है।

6.3 प्रदेश के शहरो में लोक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु राज्य स्तरीय Dedicated Urban Transport Fund (S-DUTF) गठित किया जा चुका हैं। शहरों में Dedicated Urban Transport Fund (DUTF) गठन प्रस्तावित है।

6.4 प्रदेश के शहरों में व्यवस्थित विज्ञापन प्रबंधन सुनिश्चित करने तथा भूमि उपयोग, लोक परिवहन नियोजन एवं विज्ञापन प्रबंधन में समन्वय किये जाने हेतु शहरों के लिये विज्ञापन नियम एवं विज्ञापन कार्ययोजना तैयार की जा रही है।

6.5 प्रदेश के शहरों में सुव्यवस्थित नगर नियोजन सुनिश्चित किये जाने हेतु Transit Oriented Development (TOD) नीति तैयार की जा रही है।

6.6 प्रदेश के शहरों में लोक परिवहन को शहर स्तरीय स्वरूप प्रदान किये जाने हेतु शहर स्तरीय यूनिफाईड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथोरिटी (C-UMTA) के गठन हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है।

6.7 विभाग के प्रस्ताव के आधार पर देश के विभिन्न शहरों में से विश्व बैंक द्वारा GEF-5 अंतर्गत Modernization of Bus Service हेतु भोपाल शहर का चयन किया गया है, जिसके अंतर्गत विश्व बैंक द्वारा राशि रूपये 10 करोड़ के अनुदान से भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड के माध्यम से संचालित बस सेवा का आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

6.8 विभाग के प्रस्ताव के आधार पर विश्व बैंक द्वारा Global Environment Facility (GEF) अंतर्गत इन्दौर शहर में BRTS कॉरिडोर पर Intelligent Transport System (ITS) संस्थान हेतु राशि रूपये लगभग 57 करोड़ की परियोजना क्रियान्वित की जा रही है।

6.9 शहरी लोक परिवहन व्यवस्था हेतु Automatic Fare Revision (AFR) Policy का क्रियान्वयन प्रस्तावित है। पॉलिसी के माध्यम से शहरी लोक परिवहन के टिकिट की दरों को ईधन के मूल्य, थोक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि इत्यादि घटकों से जोड़ा गया है। इससे शहरी लोक परिवहन की वित्तीय संवहनीयता सुनिश्चित हो सकेगी। साथ ही आवश्यकतानुसार राज्य शासन को Viability Gap Funding (VGF) हेतु राशि निर्धारण में भी सहायता प्राप्त होगी।

6.10 विभाग द्वारा Passenger Fault System (PFS), Automatic Fare Revision (AFR) Policy, शहरों में DUTF गठन एवं शहरी परिवहन हेतु अन्य आवश्यक सुधारों के क्रियान्वयन हेतु रोडमैप तैयार किया गया है, जिससे शहरी लोक परिवहन की संवहनीयता में वृद्धि होगी।

6.11 प्रदेश के भोपाल एवं इंदौर शहर में त्वरित एवं स्तरीय लोक परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से Bus Rapid Transit System (BRTS) का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिससे शहर

की लोक परिवहन व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है एवं आम नागरिकों को स्तरीय लोक परिवहन सुविधा प्राप्त हो रही है।

7. सिंहस्थ, 2016

7.1 राज्य शासन द्वारा सिंहस्थ, 2016 को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिये दिनांक 13.10.2011 को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मंत्रि–परिषद् समिति का गठन किया गया था। मंत्रि–परिषद् समिति का पुर्नगठन पुनः दिनांक 25.01.2014 को किया गया तथा सिंहस्थ, 2016 से संबंधित कार्य योजना तैयार करने, निर्माण कार्यो की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने एवं सामग्री खरीदी के लिये दिनांक 17.10.2011 को संभागायुक्त उज्जैन की अध्यक्षता में समिति का भी गठन किया गया।

7.2 समिति द्वारा सिंहस्थ, 2016 की विस्तृत कार्य योजना अंतर्गत राशि रू. 2790.37 करोड़ के कार्य स्वीकृत किये गये। उक्त कार्यों के क्रियान्वयन हेतु 13 फरवरी, 2017 तक (विगत वित्तीय वर्षों सहित) राशि रू. 2150.63 करोड़ जारी की गई है। विभिन्न विभागों द्वारा सिंहस्थ–2016 से संबंधित कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है। स्वीकृत कार्यों का विवरण **परिशिष्ट–सात** पर है।

8 मध्यप्रदेश प्रापर्टी टैक्स बोर्ड

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा नगरीय निकायों को दी जाने वाली परफार्मेंस ग्राण्ट के लिये निर्धारित शर्त क्रमांक 6.4.9 के क्रियान्वयन के प्रयोजन से प्रदेश की नगरीय निकायों में संपत्ति कर के आरोपण/वसूली की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और इस संबंध में नगरीय निकायों को मार्गदर्शन/सहायता प्रदान करने हेतु राज्य शासन द्वारा आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास की अध्यक्षता में मध्यप्रदेश प्रापर्टी टैक्स बोर्ड का गठन किया गया है।

9 आश्रय स्थल (रैनबसेरा)

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में बाहर से आने वाले शहरी गरीबों के विश्राम के लिये 100 रैनबसेरों के निर्माण कर संचालन किया जा रहा है। रैनबसेरों में पुरूष एवं महिलाओं के लिए अलग–अलग रहने की व्यवस्था है। रैनबसेरों मे आवश्यक बुनियादी सुविधायें जैसेः– बिस्तर, प्रकाश, पानी, शौचालय, टेलीविजन, सामाचार पत्र, लाकर, सर्दी में कंबल एवं अलाव आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। उपरोक्त के अतिरिक्त 31 NULM शहरों में आश्रय स्थल निर्माणाधीन है, जिसमें 28 शहरों में निर्माण पूर्ण होकर संचालन प्रारंभ हो गया है, तथा आश्रय स्थलों का संचालन एवं वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है।

10 शहरी सुधार कार्यक्रम

प्रदेश के नगरीय निकायों की प्रणाली में सुधार कर पारदर्शिता लाने तथा कार्यक्षमता में वृद्धि करने हेतु ''शहरी सुधार योजना'' लागू की गई है। योजना के अंतर्गत सम्मिलित प्रमुख घटक तथा उनकी प्रगति निम्नानुसार हैः–

1.	नगरीय निकायों की लेखा प्रणाली के संभूति आधारित द्विप्रविष्टीय लेखा प्रणाली में परिवर्तन करना।	56 निकायों में कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 98 निकायों में कार्य प्रगति पर है। 94 निकायों में कार्य हेतु विशेषज्ञ फर्मों का चयन कर लिया गया है तथा शेष 130 निकायों में पुनः निविदाएं आमंत्रित किये जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है।
2.	नगरीय निकायों में ई–प्रशासन स्थापित करना।	पॉयलेट शहरों 7 शहरों में ई–नगरपालिका पद्धति लागू कर दी गई है जिसके अंतर्गत नगर निगम के समस्त मुख्य कार्यप्रणालियों को ऑनलाइन कर दिया गया है। अगले चरण में भोपाल और जबलपुर संभाग के अंतर्गत 110 नगरीय निकायों में ई–नगरपालिका पद्धति लागू किया जाना है, जिस

		पर ट्रायल रन शुरू कर दिया गया है। सम्पूर्ण 378 नगरीय निकायों में 31 मार्च 2017 तक ई–नगरपालिका को लागू किया जाना लक्षित है।
3.	ऑटोमेटेड बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम	14 नगर निगमों में यह प्रणाली लागू की जा चुकी है तथा सफलतापूर्वक संचालित है। शेष नगरीय निकायो में इस प्रणाली को लागू करने के लिये निविदा आमंत्रित करके एजेन्सी चयन की कार्यवाही अंतिम चरण में है।
4.	जीआईएस आधारित नक्शे तैयार कर संपत्तिकर के दायरे तथा वसूली में वृद्धि किया जाना।	26 निकायों में कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 121 निकायों में कार्य प्रगति पर है। 158 निकायों में कार्य हेतु विशेषज्ञ फर्मों का चयन कर लिया गया है तथा शेष 73 निकायों में पुनः निविदाएं आमंत्रित किये जाने की प्रकिया प्रचलन में है।
5.	शहरी गरीबों के लिये मूलभूत सेवाओं का प्रावधान।	इस हेतु नगरीय निकायों के बजट में 25 प्रतिशत राशि का प्रावधान किया जा रहा है।
6.	निकायों की क्रेडिट रेटिंग	अमृत योजना के अन्तर्गत प्रदेश के चयनित 34 शहरों में क्रेडिट रेटिंग का कार्य कराया जा रहा है। भोपाल, इंदौर तथा जबलपुर में क्रेडिट रेटिंग का कर्य पूर्ण किया जा चुका है।

11 करों के संग्रहण हेतु प्रोत्साहन पुरूस्कार योजना

राज्य शासन द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों को राजस्व संग्रहण के लिये प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रोत्साहन पुरूस्कार योजना प्रारंभ की गई है। तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2016–17 में गत वर्ष के राजस्व संग्रहण के लिये नगर निगम, नगरपालिका परिषद एवं नगर परिषदों को क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान के लिये प्रोत्साहन पुरूस्कार प्रदान किये गये ।

(इ) कर्मचारी कल्याण योजनाएं

1. नगरीय निकायों के अधिकारियों / कर्मचारियों के लिये पेंशन योजना

1.1 विभाग द्वारा प्रदेश की नगरीय निकायों के अधिकारियों / कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करने के लिये **मध्यप्रदेश नगर पालिका सेवा (पेंशन) नियम, 1980** बनाये गये हैं, जिसमें वर्णित प्रावधानों एवं विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार पेंशन प्रदान की जाती है।

1.2 योजना का संचालन संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास पदेन ''नियंत्रक पेंशन, स्थानीय निकाय'' नामांकित हैं। योजना के संचालन के लिये संचालनालय स्तर पर ''कंट्रोलर ऑफ पेंशन फार लोकल बाडीज मध्यप्रदेश'' के नाम से एक पृथक बैंक खाता खोला गया है, जिसमें पेंशन अंशदान की राशि जमा की जाती है।

1.3 योजना के संचालन के लिये वर्तमान में नगरीय निकायों द्वारा उनकी निकायों में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतनमान का अधिकतम के 12 प्रतिशत की दर से अंशदान पेंशन निधि में जमा किया जा रहा है। साथ ही नगरीय निकायों को देय चुंगी क्षतिपूर्ति अनुदान से भी अतिरिक्त राशि काटकर पेंशन निधि में जमा की जा रही है।

1.4 प्रदेश की नगरीय निकायों के पेंशनरों को राज्य शासन के कर्मचारियों के समान पेंशन प्रदान की जा रही है। वर्तमान में नगरीय निकायों के कुल 15,673 सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जिस पर रूपये 14.88 करोड़ प्रतिमाह वित्तीय भार आ रहा है।

1.5 नगरीय निकायों के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को उपदान की राशि का भुगतान भी उपरोक्त निधि से ही किया जा रहा है।

1.6 वित्तीय वर्ष 2016–17 में योजना के अंतर्गत पेंशन के कुल 1450 प्रकरण निराकृत किये गये हैं, जिसमें उपदान के रूप में रूपये 39.06 करोड़ का भुगतान किया गया है। साथ ही नियमित पेंशन भुगतान पर कुल रूपये 173.90 करोड़ का व्यय हुआ है।

1.7 वर्तमान में प्रदेश की नगरीय निकायों के पेंशनरों को भारतीय स्टेट बैंक की भोपाल स्थित शाखा लिंक रोड़–1 के माध्यम से पेंशन का नियमित रूप से वितरण किया जा रहा है। पेंशन वितरण की उक्त प्रक्रिया को और अधिक लाभदायक एवं पारदर्शी बनाए जाने के उद्देश्य से संचालनालय द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के Central Pension Proccessing Center के माध्यम से पेंशन वितरण करने हेतु भारतीय स्टेट बैंक से अनुबंध निष्पादित किया गया है, जिसके अंतर्गत भी पेंशन का वितरण किया जा रहा है।

1.8 प्रदेश के नगर पालिक निगम इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन एवं रतलाम अपने अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये स्वयं के स्तर पर पेंशन योजना संचालन कर रहे हैं।

2. परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (NPS)

2.1 विभाग द्वारा राज्य शासन के शासकीय कर्मचारियों के समान ही प्रदेश की नगरीय निकायों /अधीनस्थ कार्यालयों में दिनांक 01.01.2005 अथवा उसके पश्चात् नियुक्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए ''परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना'' लागू की गई है।

2.2 योजना का संचालन संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल द्वारा किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत NSDL (National Securities Depository Limited) मुम्बई द्वारा संचालनालय के अधीनस्थ सभी संभागीय कार्यालयों/नगर निगमों/नगर पालिका परिषदों/नगर परिषदों/जिला शहरी विकास अभिकरणों के लिये पृथक–पृथक DDO Registration Number आवंटित किये गये हैं।

2.3 अधीनस्थ कार्यालयों/नगरीय निकायों को आवंटित DDO Registration Number के अंतर्गत NSDL मुम्बई द्वारा सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को Permanent RetirementAccount Number (PRAN) आवंटित किये जा रहे हैं।

2.4 वित्तीय वर्ष के दौरान कुल 1427 अधिकारियों/कर्मचारियों को PRAN आवंटित किये गये हैं एवं योजना के अंतर्गत अभी तक कुल 4568 कर्मचरियों को PRAN आवंटित हो चुके हैं। जिन कर्मचारियों को PRAN आवंटित हो चुके हैं, उनके संबंध में अधीनस्थ कार्यालयों/नगरीय निकायों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर उनके Data & Fund NSDL मुंबई को अंतरित किये जा रहे हैं।

3. मध्यप्रदेश नगरपालिका सेवक कर्मचारी–बीमा–सह–बचत योजना, 2014

3.1 विभाग द्वारा प्रदेश के नगरपालिका सेवकों के लिए पूर्व से लागू की गई परिवार कल्याण निधि योजना, 1987 का पुनरीक्षण किया जाकर इसे अधिक लाभकारी बनाते हुए प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के समान ही मध्यप्रदेश नगरपालिका सेवक कर्मचारी–बीमा–सह–बचत योजना अक्टूबर, 2014 से लागू की गई है।

3.2 योजना का संचालन परिवार कल्याण निधि योजना, 1987 की भांति पूर्वानुसार ही संचालनालय द्वारा किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत यूनिट के आधार पर अधिकारियों/कर्मचारियों को मासिक अंशदान देना होता है। इस योजना के अंतर्गत अंशदान तथा बीमा मूल्य निम्नानुसार हैः–

अधिकारी/कर्मचारी	यूनिट की	यूनिट का	अंशदान की	बीमा	बीमा	बचत

की श्रेणी	संख्या	मूल्य	राशि	मूल्य	धन	राशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
चतुर्थ श्रेणी	1	100	100	1,25,000	35	65
तृतीय श्रेणी	2	100	200	2,50,000	70	130
द्वितीय श्रेणी	4	100	400	5,50,000	140	260
प्रथम श्रेणी	6	100	600	7,50,000	210	390

3.3 योजना के अंतर्गत सदस्य कर्मचारी की दुर्भाग्यवश मृत्यु होने पर परिवार के नामांकित सदस्य/वैध उत्तराधिकारी को बीमा राशि के साथ–साथ बचत निधि में जमा राशि भी ब्याज सहित भुगतान की जाती है, परन्तु कर्मचारी की सेवानिवृत्ति/सेवा से निकाले जाने/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अथवा त्याग पत्र देने पर उसे केवल बचत निधि में जमा राशि भुगतान की जाती है।

3.4 वित्तीय वर्ष 2016–17 में योजना के अंतर्गत कुल 1152 प्रकरण स्वीकृत किये गये, जिनमें कुल राशि रूपये 5.75 करोड़ का भुगतान किया गया है।

4. सफाई कामगारों के लिए समूह बीमा योजना, 1988

4.1 प्रदेश की नगरीय निकायों में कार्यरत नियमित सफाई कामगारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा समूह बीमा योजना दिनांक 01.04.1988 से प्रारंभ की गई है।

4.2 वर्तमान में उक्त योजना के अंतर्गत प्रति हितग्राही रूपये 120.00 और राज्य शासन का अंशदान प्रति हितग्राही रूपये 360.00 वार्षिक निर्धारित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत सफाई कामगारों की सेवा में रहते हुए सामान्य मृत्यु की स्थिति में रूपये 50,000.00 और दुर्घटनाजनित मृत्यु पर रूपये 1,00,000.00 सफाई कामगारों द्वारा नामांकित व्यक्तियों को भुगतान किये जाने की व्यवस्था है।

4.3 वित्तीय वर्ष 2016–2017 में कुल 86 प्रकरणों में कर्मचारी की मृत्यु उपरांत नामांकित व्यक्तियों को कुल राशि रूपये 42.75 लाख का भुगतान किया गया है।

————

भाग–चार

अन्य प्रशासनिक विषय

1 विभाग एवं नगरीय निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन एवं प्रबोधन कार्यक्रम

1.1 74 वे संविधान संशोधन में अंतर्निहित समावेशी शहरों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सहभागिता, पारदर्शिता, जवाबदेही एवं समता मूलक अभिशासन आवश्यक है। प्रशिक्षण उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रभावी साधन है। इस महत्पूर्ण कार्य को संपादित करने के लिए विभाग द्वारा मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1973 के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी राष्ट्रीय अभिशासन एवं नगर प्रबंध संस्थान का गठन किया गया है।

1.2 संस्थान की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा 10.12 हेक्टेयर भूमि राजाभोज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के समीप ग्राम भौंरी में प्रदान की गई है। भारत सरकार द्वारा भी संस्थान के वित्तीय सहयोग के लिए रूपये 60.00 करोड़ का अनुदान उपलब्ध कराए जाने का आश्वासन दिया गया है। संस्थान के सभी कार्य शासी–परिषद् के मार्गदर्शन में संपन्न होते हैं तथा दैनंदिनी के प्रशासनिक मामलों से संबंधित निर्णय कार्यकारी परिषद् द्वारा लिये जाते है। शासी–परिषद् एवं कार्य परिषद् में केन्द्र तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधि, नगरीय विकास से सरोकार रखने वाले विषय विशेषज्ञ, उद्यमी, सामुदायिक संगठनों एवं शहरी निकायों के जन प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया गया है।

1.3 संस्थान द्वारा नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालयों के लोक सेवकों, नगरीय निकायों के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों एवं नगरीय विकास से सरोकार रखने वाले प्रतिनिधियों के व्यवस्थित उन्मुखीकरण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन किया जाता है। संस्थान द्वारा वित्तीय वर्ष में कुल 45 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन स्थानीय प्रशिक्षण संस्थाओं यथाः आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, आपदा प्रबंध संस्थान एवं अखिल भारतीय स्थानीय शासन संस्थान भोपाल के माध्यम से किया गया । उपरोक्त के अतिरिक्त कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम संभागीय स्तर पर भी आयोजित किये गये । आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नगरीय निकायों के विभिन्न लोक सेवकों एवं नवनियुक्त उपयंत्रियों को सम्मिलित करते हुए कुल 1570 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया ।

1.4 संस्थान शाखा द्वारा विगत वर्षों की भांति वर्ष 2017–18 के लिए भी प्रशिक्षण पंचाग तैयार किया गया है। प्रशिक्षण पंचाग के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन मुख्य रूप से नगरीय विकास एवं प्रबंधन के 7 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए आयोजित किए जाने का लक्ष्य है। इन क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए कुल 47 विषयों पर लगभग 130 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में नगरीय निकायों के नव निर्वाचित जन प्रतिनिधियों, लोक सेवकों एवं नवनियुक्त कर्मियों को प्राथमिकता के आधार पर सम्मिलित करते हुए लगभग 4000 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किए जाने का लक्ष्य है।

2. सूचना प्रौद्योगिकी

2.1 विभाग द्वारा अपनी वेबसाईट भी प्रारंभ की गई है, जिसका यूआरएल www.mpurban.gov.in है। वेबसाईट पर विभाग द्वारा नगरीय निकायों से संबंधित समस्त आवश्यक जानकारी ''स्टेटिक'' और ''डायनेमिक'' रूप में उपलब्ध है।

2.2 **ई–नगरपालिका–** म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम (MAS) के सफल क्रियान्वयन को देखते हुए विभाग द्वारा समस्त नगरीय निकायों मे ERP आधारित E-Nagar Palika एप्लीकेशन का क्रियान्वयन

प्रारंभ कर दिया गया है। पायलेट प्रोजेक्ट के अंतर्गत सात शहर इन्दौर, ग्वालियर, उज्जैन, सतना, होशंगाबाद, बुधनी एवं बैरसिया में **ई–नगरपालिका** माडयूल क्रियान्वित है। भोपाल एवं जबलपुर संभाग अंतर्गत आने वाली सभी नगरीय निकायों में सिटिजन सर्विस एवं एच.आर माडयूल प्रारंभ किया जा चुका है एवं अन्य माडयूल 31 मार्च 2017 तक प्रारंभ किये जाने का लक्ष्य है। इन्दौर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, रीवा संभाग अंतर्गत आने वाली सभी नगरीय निकायों में कार्य प्रचलन में है तथा 31 मार्च 2017 तक **ई–नगरपालिका** अन्तर्गत सभी माडयूल प्रारंभ किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अन्तर्गत नागरिक निकाय से संबंधित समस्त भुगतान Online कर सकेंगे।

ऑटोमेटेड बिल्डिंग परमिशन एंड अप्रूवल सिस्टम (ABPAS)– एबीपीएस परियोजना के ई–गवर्नेंस घटक के अंतर्गत प्रदेश के 14 नगर निगमों में ऑटोमेटेड बिल्डिंग परमिशन एंड अप्रूवल सिस्टम (ABPAS) लागू किया गया है। ABPAS के सफल क्रियान्वयन एवं उपलब्धियों को देखते हुये इस प्रणाली को शेष नगरीय निकायों में 31 मार्च, 2018 तक लागू किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस हेतु निविदा जारी की जा चुकी है।

3. वीडियो कांफ्रेसिंग

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास के प्रशासकीय भवन में विभाग का स्वयं का वीडियो कांफ्रेसिंग रूम विकसित किया गया है। नगरीय निकायों के अधिकारियों, परियोजना अधिकारियों तथा संभागीय अधिकारियों से माह में दो बार वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की निरंतर समीक्षा की जा रही है।

4. ऑन लाईन फंड ट्रांसफर

4.1 प्रदेश स्तर से नगरीय स्थानीय निकायों को विभिन्न मदों में वित्तीय सहायता मुक्त की जाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं गति लाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा ऑन लाईन फंड ट्रांसफर की व्यवस्था सशक्त रूप से लागू की गयी है। इस प्रक्रिया में नगरीय निकायों को मुक्त की जाने वाली विभिन्न मदों की राशि सीधे बैंकों के माध्यम से ''इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर'' द्वारा संबंधित निकाय के बैंक खाते में जमा कराई जाती है।

4.2 ऑन लाईन फंड ट्रांसफर की व्यवस्था प्रारंभ करने से राशि के अंतरण में लगने वाले धन तथा समय दोनों की बचत हुई है। इस प्रक्रिया से कुछ ही समय में राशि निकाय के खाते में जमा हो जाती है। वर्तमान में कोषालय के माध्यम से भी राशि सीधे नगरीय निकायों के बैंक खातों में अंतरित हो रही है।

5. नगरीय निकायों के निर्वाचन

5.1 वर्ष 2016–17 के दौरान कुल 06 नगरीय निकायों के आम निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सम्पन्न कराए गए।

6 प्रशासनिक व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण

6.1 8 नवीन निर्वाचित नगरीय निकायों के गठन की स्वीकृति मंत्रिपरिषद से प्राप्त की गयी है। इनके निर्वाचन उपरान्त विधिवत गठन की कार्यवाही आगामी वर्षो में की जायेगी।

6.2 74 वें संविधान संशोधन के पश्चात संविधान की 12वीं अनुसूची द्वारा नगरीय निकायों के कार्यो एवं दायित्वों में व्यापक वृद्धि हुई है। अनुसूची में नगरीय निकायों को दिये गये दायित्व में वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, भूमि उपयोग का विनियमन, अग्निशमन सेवायें, नगर विकास योजना, पर्यावरण संरक्षण इत्यादि ऐसे तकनीकी विषय है, जिनके विनियमन एवं स्थानीय नागरिकों को उन्नत सेवा प्रदाय करने के लिये नगरीय निकायों में विशेषज्ञ प्रशासनिक अमले की नियुक्ति तथा विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण हेतु संचालनालय के पुनर्गठन की आवश्यकता के दृष्टिगत राज्य शासन द्वारा नगरीय निकायों की जनसंख्या को मानक मानते हुये राज्य स्तरीय

सेवाओं, नगरीय निकायों की आदर्श कार्मिक संरचना तथा संचालनालय के पुनर्गठन एवं सुदृढ़ीकरण की कार्यवाही की गयी।

6.3 मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 86 के अन्तर्गत राज्य स्तरीय 3 सेवाओं–प्रशासकीय, यांत्रिकी एवं स्वास्थ्य सेवाओं का पुनर्गठन किया गया है तथा दो नवीन राज्य स्तरीय सेवाओं – वित्त तथा राजस्व को अधिनियम की धारा 86 के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है। विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	सेवा का नाम	पूर्व के पदों की संख्या	पुनर्गठन/नवीन कुल पद संख्या	शासन आदेश क्रमांक तथा दिनांक
1	मध्यप्रदेश राज्य नगरीय प्रशासनिक सेवा	346	473	एफ 4–74/2012/18–1, दिनांक 14 अगस्त, 2012
2	मध्यप्रदेश राज्य नगरीय (यांत्रिकी) सेवा	577	959	एफ 4–145/2010/18–1, दिनांक 01 अगस्त, 2012
3	मध्यप्रदेश राज्य नगरीय (स्वास्थ्य) सेवा	165	276	एफ 4–140/2011/18–1, दिनांक 21 अगस्त, 2012
4	मध्यप्रदेश राज्य नगरीय वित्त सेवा	–	566	एफ 4–24/2012/18–1, दिनांक 21 सितम्बर, 2012

मध्यप्रदेश राज्य नगरीय राजस्व सेवा के संवर्ग के गठन की कार्यवाही प्रचलित है।

- नगरीय निकायों के स्वयं के पदों की स्वीकृति के संबंध में नगरपालिकाओं/नगर परिषदों तथा नगरपालिक निगमों की जनसंख्या के आधार पर ''आदर्श कार्मिक संरचना'' को राज्य शासन द्वारा 28 फरवरी, 2014 को लागू किया गया है। नवीन आदर्श कार्मिक संरचना के अनुसार नगरीय निकायों के दायित्वों के निर्वहन हेतु पदों को स्वीकृत किया गया है। विशेष रूप से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ई–गवर्नेंस, सीवेज तथा पर्यावरण विशेषज्ञ, अग्निशमन, यातायात प्रबंधन आदि के पदों का सृजन किया गया है। पूर्व की भांति अब नगरीय निकायों को पद सृजन के लिये बार–बार राज्य शासन की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
- नगरीय निकायों के कार्यो के निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण हेतु संचालनालय तथा संभागीय संयुक्त संचालक की प्रशासनिक सेवा संवर्ग का पुनर्गठन राज्य शासन के आदेश दिनांक 26 दिसम्बर, 2014 द्वारा किया गया है।
- राज्य शासन द्वारा तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों में भर्ती में साक्षात्कार के अनिवार्यता को समाप्त करने के लिये मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम, (अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति तथा सेवा शर्ते) नियम, 2000 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा शर्ते) नियम 1968 में दिनांक 29 सितम्बर, 2016 को संशोधन किया गया है।
- नगरीय निकायों की वर्तमान क्षमता तथा मानव प्रबंधन में कमी के कारण परियेाजनाओं को समय में पूर्ण करने में होने वाली कठिनाईयां के दृष्टिगत मध्यप्रदेश के नगरीय निकायों में विभिन्न अधोसंरचनात्मक कार्यों के समय सीमा में क्रियान्वयन हेतु मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी का गठन किया गया है। वर्तमान में वाहय वित्त पोषित–एडीबी, वर्ल्ड बैंक तथा केएफडब्ल्यू परियोजनाओं के अन्तर्गत लगभग रु. 9000 करोड़ की पेयजल तथा सीवेज परियोजनायें का क्रियान्वयन एमपीयूडीसी के माध्यम से किया जा रहा है।

- भोपाल तथा इंदौर में मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु म.प्र. मेट्रो रेल कंपनी का गठन किया जा चुका है।
- प्रदेश में 1 लाख से अधिक आबादी के कुल 33 नगर है, जिनमें प्रदेश की लगभग 60 प्रतिशत शहरी आबादी निवासरत है। इन 33 शहरों में नगरीय निकायों के दायित्व के निर्वहन हेतु प्रशासनिक, तकनीकी तथा अन्य आवश्यक अमले की पदस्थापना/नियुक्ति की कार्यवाही नगरीय निकाय एवं राज्य शासन द्वारा की जा रही है। वर्तमान में 16 नगर निगमों में से 5 नगर निगमों में भारतीय प्रशासनिक सेवा, 4 नगर निगमों में राज्य प्रशासनिक सेवा तथा 7 नगर निगमों में मध्यप्रदेश राज्य नगरीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी आयुक्त के रूप में पदस्थ है।
- प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा चयनित सीधी भर्ती के 423 उपयंत्रियों की प्रदेश की नगरपालिका/नगर परिषदों में नियुक्ति की जा चुकी है। इसी प्रकार सीधी भर्ती के 60 उपयंत्रियों की नियुक्तियां नगर निगमों में भी की जा चुकी है।
- नगरीय निकायों के प्रस्ताव पर संचालनालय द्वारा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से सीधी भर्ती के अकार्यपालिक स्वच्छता निरीक्षक, सहायक लेखा अधिकारी, स्टेनोंग्राफर, लिपिक, राजस्व निरीक्षक, सहायक राजस्व निरीक्षक, सहायक लेखापाल, फायरमैन, समयपाल, उप स्वच्छता पर्यवेक्षण, लीडिंग फायरमैन तथा कार्यपालिक सहायक स्वास्थ्य अधिकारी, सहायक नियोजन अधिकारी, सहायक अतिक्रमण विरोधी अधिकारी इत्यादि के लगभग 2000 पदों की पूर्ति की कार्यवाही की जा रही है।
- कार्यपालिक पदों के लिये मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से राज्य स्तरीय परीक्षा में चयनित सीधी भर्ती के 90 मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को नियुक्ति आदेश जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 30 अन्य मुख्य नगरपालिका अधिकारियों, 79 सहायक यंत्री, 12 स्वास्थ्य अधिकारी, 4 सहायक संचालकों की भर्ती की कार्यवाही की जा रही है।

7 विधि संशोधन

7.1 नवीन मध्यप्रदेश नगरपालिका (अचल संपत्ति का अंतरण) नियम, 2016 का प्रकाशन दिनांक 24 फरवरी, 2016 को किया गया है।

7.2 मध्यप्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में विशेष आवश्यकताओं एवं आकस्मिक प्रयोजन के लिये राशि के उपयोग के नियम, 2006 में दिनांक 18 मार्च, 2016 को संशोधन किया गया है।

7.3 नगरीय निकाय के प्राधिकारियों की वित्तीय एवं प्रशासकीय शक्तियों में वृद्धि करने तथा आदर्श कार्मिक संरचना के अनुरूप निकाय के विभागों में संशोधन करने हेतु मध्यप्रदेश नगर पालिका (मेयर–इन–काउंसिल/ प्रेसीडेंट–इन–काउंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियाँ एवं कर्त्तव्य) नियम, 1998 में 04 जनवरी, 2016 को संशोधन किया गया है।

7.4 शहरी गरीबों को आवास आवंटन सरलता से कराने के लिये मध्यप्रदेश नगरपालिका (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम, 1998 में संशोधन किया गया।

7.5 मध्यप्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग को आवास उपलब्ध कराने के लिये ''मध्यप्रदेश आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग के लिये आवास गारंटी विधेयक, 2017'' को विधानसभा में प्रस्तुत करके अधिसूचित करने की कार्यवाही की जा रही है।

7.6 प्रदेश के नगरीय निकायों की अधोसंरचना विकास की योजनाओं के क्रियान्वनय तथा ऋण के पुनर्भुगतान हेतु स्टाम्प शुल्क पर प्रभार्य की राशि को ''एक प्रतिशत'' से बढ़ाकर ''दो प्रतिशत'' किये जाने हेतु मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2016 को विधान सभा से पारित कराया गया है।

7.8 प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में होर्डिंग तथा अन्य विज्ञापनों को विनियमित करने के लिये "मध्यप्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम, 2017" पर प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त करके अधिसूचित किये जाने की कार्यवाही अंतिम चरण में है।

7.9 नगरीय निकायों के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थियों के लिये उनके स्वयं के घर में जलवाहित शौचालय निर्माण की अनिवार्यता हेतु तथा नगरीय निकायों के सामान्य निर्वाचन के 6 माह पूर्व परिसीमन किये जाने की अनिवार्यता को लागू करने के लिये मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है।

7.10 मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदाय किया जाना) अधिनियम 1984 में पात्रता तिथि दिनांक 31.12.2012 को संशोधित करके 31.12.2014 किये जाने हेतु संशोधन विधेयक विधान सभा में प्रस्तुत।

7.11 नीमच बंगला बगीचा की समस्या का निराकरण करने के लिये ''नगरपालिका नीमच सीमा अन्तर्गत छावनी क्षेत्र स्थित भूमि व्यवस्थापन नियम, 2017'' को मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही अंतिम चरण में है।

7.12 नगरीय निकायों में विशेषज्ञ सेवाओं को प्रदाय करने के लिये नगर निगमों के संविदा नियम 2007 में संशोधन तथा नगरपालिका/नगर परिषदों के लिये नवीन संविदा नियमों में प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त करके अधिसूचित करने की कार्यवाही अंतिम चरण में है।

7.13 मध्यप्रदेश राज्य नगरीय स्वच्छता सेवा भर्ती नियम 2012 में संशोधन तथा मध्यप्रदेश राज्य नगरीय वित्त सेवा भर्ती नियम 2017 में प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त करके अधिसूचित करने की कार्यवाही अंतिम चरण में है।

7.14 मध्यप्रदेश पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियम 2017 नियम अधिसूचित किये जाने की कार्यवाही अंतिम चरण में है।

8. मध्यप्रदेश राज्य सफाई कामगार आयोग

8.1 प्रदेश के सफाई कर्मचारियों के हितों तथा अधिकारों को बढ़ावा देने तथा सुरक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य सफाई कामगार आयोग का गठन किया गया है, जिसमें अध्यक्ष सहित चार सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान हैं।

8.2 आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का मनोनयन राज्य शासन द्वारा 03 वर्ष अथवा मनोनयन वापस लेने तक जो भी पहले हो, के लिये किया जाता है। आयोग के कार्यालय के प्रशासकीय अमले की पूर्ति प्रतिनियुक्ति के माध्यम से की जाती है।

8.3 आयोग द्वारा प्रदेश के सफाई कर्मचारियों के लिये सुविधाएं, अवसरों में असमानताओं को दूर करने के लिये समयबद्ध कार्ययोजना बनाने, सामाजिक व आर्थिक पुनर्वास से संबंधित कार्ययोजना बनाने एवं शिकायतों आदि की जांच करने के कार्य किये जाते हैं।

8.4 उपरोक्त के अतिरिक्त आयोग द्वारा सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय संन्निर्माण प्रतिषेध अधिनियम, 1993 के क्रियान्वयन की समीक्षा करने व उक्त संबंध में राज्य शासन को सुझाव देने का कार्य भी किया जाता है।

———————

नगर तथा ग्राम निवेश

भाग – एक

1.1 विभागीय संरचना

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्य प्रदेश की स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी । आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश जिसके विभागाध्यक्ष है । जिनका मुख्यालय वर्तमान में भोपाल में ''पर्यावरण परिसर'' ई–5, अरेरा कालोनी में स्वयं के कार्यालय भवन में दिनांक 23.9.2001 से कार्यरत है। विभाग का मुख्य गतिविधियॉ, उद्देश्य एवं दायित्व नगरों को सुसंगठित एवं सुनियोजित रूप से बसाने के लिये उनकी विकास योजनाएं तैयार करना होता है, एवं एक नियमित अंतराल पर उनका नगर की जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए पुनरीक्षण करना एवं प्रादेशिक विकास योजना बनाना है । जिसकी वर्तमान संरचना निम्नानुसार हैः–

1.2 अधीनस्थ कार्यालय

वर्ष 1999 में जिला सरकार की अवधारणा एवं वर्ष 2000 में राज्य पुनर्गठन होने के पश्चात संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश के अधीनस्थ संचालनालय के समस्त संभागीय कार्यालयों को जिला कार्यालय में तब्दील किया गया, जिसके अनुसार वर्तमान में संचालनालय के अतिरिक्त 28 जिला कार्यालय जिसमें **7** संयुक्त संचालक कार्यालय, यथा– भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, उज्जैन, **10** उप संचालक कार्यालय– होशंगाबाद, छिन्दवाड़ा, रतलाम सिंगरौली शहडोल,खण्डवा, सतना, नीमच, देवास, गुना एवं **11** सहायक संचालक कार्यालय–बैतूल, राजगढ़, विदिशा, कटनी, मण्डला, भिण्ड छतरपुर, झाबुआ. अनूपपुर, श्योपुर, खरगौन वर्तमान में कार्यरत है ।

1.3 <u>अमला</u>

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश के लिये स्वीकृत अमला निम्न तालिका अनुसार है–

स.क्र.	पदनाम	श्रेणी	स्वीकृत पद
1.	आयुक्त सह संचालक	भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी (प्रथम श्रेणी)	01
2.	अपर संचालक	प्रथम श्रेणी अधिकारी (नियोजन में योग्यताधारी)	02
3.	संयुक्त संचालक	प्रथम श्रेणी अधिकारी (नियोजन में योग्यताधारी)	11
4.	उप संचालक(नियोजन)	प्रथम श्रेणी अधिकारी (नियोजन में योग्यताधारी)	15
5.	उप संचालक(सर्वे)	प्रथम श्रेणी अधिकारी (सर्वे में योग्यताधारी)	02
6.	उप संचालक(रिसर्च)	प्रथम श्रेणी अधिकारी (रिसर्च में योग्यताधारी)	01
7.	उप संचालक(स्था)	प्रथम श्रेणी अधिकारी (विभागीय सेवा)	01
8.	सहायक संचालक(योजना)	द्वितीय श्रेणी अधिकारी (नियोजन में योग्यताधारी)	26
9.	सहायक संचालक (सर्वे/प्रोजेक्ट)	द्वितीय श्रेणी अधिकारी (सर्वे/प्रोजेक्ट में योग्यताधारी)	07
10.	सहायक संचालक (रिसर्च)	द्वितीय श्रेणी अधिकारी (रिसर्च में योग्यताधारी)	05
11.	सहायक संचालक(स्था)	द्वितीय श्रेणी (विभागीय सेवा)	01
12.	लेखा अधिकारी (प्रतिनियुक्ति से)	प्रथम श्रेणी अधिकारी (वित्त सेवा का)	01
13.	कनिष्ठ लेखा अधिकारी (प्रतिनियुक्ति से)	द्वितीय श्रेणी अधिकारी (वित्त सेवा का)	01

स.क्र.	पदनाम	श्रेणी	स्वीकृत पद
14.	संपरीक्षक(आडीटर) (प्रतिनियुक्ति से)	द्वितीय श्रेणी अधिकारी (वित्त सेवा का)	01
15.	सूचना प्रोद्योगिक अधिकारी(प्रोग्रामर)	संविदा सेवा पर	01
16.	सहायक सूचना प्रोद्योगिकी अधिकारी	संविदा सेवा पर	02
17.	मानचित्रकार	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	45
18.	सहायक मानचित्रकार	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	50
19.	अनुरेखक	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	73
20	उपयंत्री	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	40
21.	वरिष्ठ भू–मापक	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	21
22.	कनिष्ठ भू–मापक	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	30
23.	वरिष्ठ रिसर्च सहायक	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	13
24.	रिसर्च सहायक	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	13
25.	अन्वेषक	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	26
26.	स्टेनोग्राफर ग्रेड–1 (स्टाफ आफिसर)	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	02
27.	स्टेनोग्राफर ग्रेड–2 (निज सचिव)	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	04
28.	स्टेनोग्राफर ग्रेड–3 (निज सहायक)	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	11
29.	स्टेनो टायपिस्ट	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	22
30.	अधीक्षक	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	10
31.	सहायक अधीक्षक	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	10
32.	सहायक ग्रेड–1	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	25
33.	सहायक ग्रेड–2	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	46
34.	सहायक ग्रेड–3	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	66
35.	स्टोर कीपर	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	10
36.	कोडर / केडआपरेटर / फोटोग्राफर / मॉडलर / सहा.मॉडलर / कलाकार / नीलमुद्रक के पदो को डाइंग केडर घोषित कर इनकी सेवा निवृत्ति के बाद कम्प्यटूर अपरेटर के नवीन पद	डाईंग केडर घोषित होने के बाद कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर संविदा सेवा नियुक्ति	41
37.	ग्रन्थपाल	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	01
38.	दफ्तरी	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	13
39.	वाहन चालक	तृतीय श्रेणी कर्मचारी–12 (संविदा पर 09)	21
40.	प्रेसमेन	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	02
41	चौकीदार	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	29
42.	भृत्य	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी–57 (संविदा सेवा पर–41)	98

स.क्र.	पदनाम	श्रेणी	स्वीकृत पद
43.	चैनमैन	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी–28 संविदा सेवा पर–06	34
44.	वाटरमैन	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1
45.	स्वीपर	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1

उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश विभागीय सेटअप का 2012 में पुनरीक्षण किया जाकर विभिन्न संवर्गो के स्वीकृत 525 पदो के स्थान पर 836 पद स्वीकृत किये गये हैं। जिनमें प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के 49 पद, तृतीय श्रेणी के लिपिक एवं कार्यपालिक व चतुर्थ वर्ग के 324 पद, संविदा सेवा के 77 पद भरे गये हैं । शेष रिक्त पदों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पूर्ति की कार्यवाही प्रचलन में है ।

1.4 विभाग के अंतर्गत आने वाली संस्थायेः–

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत नगर तथा ग्राम निवेश, संचालनालय, नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी आते हैं, जिनका गठन मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अंतर्गत किया गया है । जो वर्तमान में निम्नानुसार कार्यरत हैं :–

नगर विकास प्राधिकारी	
1	भोपाल विकास प्राधिकरण
2	इंदौर विकास प्राधिकरण
3	ग्वालियर विकास प्राधिकरण
4	जबलपुर विकास प्राधिकरण
5	उज्जैन विकास प्राधिकरण
6	देवास विकास प्राधिकरण
7	रतलाम विकास प्राधिकरण
8	कटनी विकास प्राधिकरण
9	अमरकंटक विकासप्राधिकरण
10	सिंगरौली विकास प्राधिकरण

विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी	
1	ग्वालियर, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (ग्वालियर काउंटर मेग्नेट)
2	पचमढ़ी, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
3	खजुराहो (पर्यटन क्षेत्र) विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
4	महेश्वर–मंडलेश्वर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
5	ओरछा, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण

2. <u>संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश के दायित्व :</u>

2.1 **मुख्य कार्यकलाप**–संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश के मुख्य कार्यकलाप मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अंतर्गत संचालित किये जाते हैं, जिनमें प्रमुख कार्यकलाप निम्नानुसार हैं :–

2.2 **प्रादेशिक विकास योजना तैयार करना**–मध्य प्रदेश राज्य को 8 विभिन्न निवेश प्रदेशों (रीजन) में विभक्त किया गया है, जो कृषि, उद्योग, खनिज संपदा, वन संपदा आदि के बाहुल्य पर आधारित है जिसमें बीना पेट्रोकेमीकल्स प्रदेश की प्रादेशिक विकास योजना (रीजनल प्लान) तैयार कर प्रकाशित की जा चुकी हैं एवं भोपाल केपीटल रीजन (रीजनल प्लान) 1:50,000 पर तैयार कर प्रकाशन हेतु तैयार है, तथा ग्वालियर चंबल एग्रो रीजन की प्रादेशिक योजना का कार्य आई.टी.पी.आई. के साथ कार्य करने हेतु एम.ओ.यू. किया गया है ।

2.3 **नगर विकास योजना तैयार करना**–राज्य के नगरों की विकास योजनायें बनाने का महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है, जिसमें विभिन्न श्रेणी के नगरों के अतिरिक्त पवित्र नगर, पर्यटन, ऐतिहासिक, धार्मिक, औद्योगिक महत्व के नगरों की विकास योजना तैयार की जाती है। अभी तक कुल 97 नगरों की विकास योजनायें प्रकाशित की जा चुकी हैं,जिसमें से 80 विकास योजनायें अंगीकृत की गई हैं, तथा पुनरीक्षित विकास योजनाएं 32 प्रकाशित की जा चुकी है जिसमें से 19 अंगीकृत होकर प्रभावशील हैं। विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.	नगर का नाम	प्रारूप विकास योजना प्रकाशन की तिथि	विकास योजना अनुमोदन की तिथि	कियान्वयन संस्था	योजना कालावधि	नगर का स्तर
1	2	3	4	5	6	7.
1	इंदौर	10.06.1974	01.03.1975	विकास प्राधि.	1991	जिला मुख्यालय
2	भोपाल	19.11.1974	25.08.1975	विकास प्राधि.	1991	जिला मुख्यालय
3	उज्जैन	20.05.1975	28.10.1975	विकास प्राधि.	1991	जिला मुख्यालय / धार्मिक
4	खजुराहो	26.10.1975	11.10.1977	नगर पंचायत	1991	पर्यटक
5	जबलपुर	26.08.1977	28.09.1979	विकास प्राधि.	1991	जिला मुख्यालय
6	ग्वालियर	09.03.1979	21.10.1980	विकास प्राधि.	1991	जिला मुख्यालय / पर्यटक
7	देवास	04.09.1979	10.03.1986	विकास प्राधि.	1991	जिला मुख्यालय / औद्योगिक
8	शिवपुरी	25.04.1987	05.08.1988	नगर पालिका	2001	जिला मुख्यालय / पर्यटक
9	चंदेरी	27.06.1987	24.01.1989	नगरपालिका	2001	पर्यटक / हतकरघा औघोगिक
10	रतलाम	24.06.1985	28.05.1990	नगर निगम	2001	जिला मुख्यालय / औद्योगिक
11	रीवा	28.03.1987	27.11.1990	नगर निगम	2001	जिला

क्र.	नगर का नाम	प्रारूप विकास योजना प्रकाशन की तिथि	विकास योजना अनुमोदन की तिथि	कियान्वयन संस्था	योजना कालावधि	नगर का स्तर
						मुख्यालय
12	सतना	29.08.1986	18.04.1991	नगर निगम	2001	जिला मुख्यालय /औघोगिक
13	बुरहानपुर	26.02.1993	08.06.1995	नगर निगम	2005	जिला मुख्यालय / हथ करघा औघोगिक
14	नव हरसूद	23.01.1995	14.02.1997	साडा	2011	तहसील मुख्यालय
15	दमोह	04.07.1994	19.03.1998	नगर पालिका	2005	जिला मुख्यालय
16	चित्रकूट	06.09.1994	03.08.1998	नगर पंचायत	2005	पवित्र / धार्मिक
17	बीना	15.04.1999	14.01.2000	नगरपालिका	2011	तहसील मुख्यालय / औघोगिक
18	सागर	05.06.1999	03.03.2000	नगर निगम	2011	जिला मुख्यालय
19	सांची	01.11.1999	11.07.2000	नगर पंचायत	2011	पर्यटक
20	नीमच	25.10.1999	05.07.2000	नगर पालिका	2011	जिला मुख्यालय
21	पन्ना	21.10.1999	17.05.2000	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
22	ग्वालियर साडा	22.10.1999	24.04.2000	साडा	2011	साडा
23	इटारसी	22.02.2000	09.03.2001	नगरपालिका	2011	तहसील मुख्यालय
24	खण्डवा	29.02.2000	09.03.2001	नगर निगम	2011	जिला मुख्यालय
25	मैहर	18.09.2000	31.08.2001	नगरपालिका	2011	पवित्र / धार्मिक
26	मांडव	24.01.2001	02.11.2001	नगर पंचायत	2011	पर्यटक
27	छिंदवाड़ा	14.02.2001	09.08.2002	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
28	शहडोल	22.01.2001	05.12.2002	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
29	खरगौन	16.03.2002	05.12.2002	नगर पालिका	2011	जिला मुख्यालय
30	जावरा	25.03.2002	16.12.2002	नगर पालिका	2011	तहसील मुख्यालय
31	विदिशा	10.08.2001	21.01.2003	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
32	मंदसौर	29.09.2002	12.05.2003	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
33	पाण्ढुर्ना	21.01.2003	29.08.2003	नगरपालिका	2011	तहसील

क्र.	नगर का नाम	प्रारूप विकास योजना प्रकाशन की तिथि	विकास योजना अनुमोदन की तिथि	कियान्वयन संस्था	योजना कालावधि	नगर का स्तर
						मुख्यालय
34	गुना	29.03.2003	29.08.2003	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
35	झाबुआ	05.05.2003	10.10.2003	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
36	सीहोर	27.06.2001	31.05.2004	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
37	भिण्ड	04.09.2003	28.05.2004	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
38	टीकमगढ़	28.02.2004	17.12.2004	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
39	सिहोरा	23.06.2004	28.01.2005	नगरपालिका	2011	तहसील
40	बड़वानी	06.07.2004	17.12.2004	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
41	सिंगरौली	20.08.2004	20.05.2005	नगर निगम	2011	जिला मुख्यालय / माइनिंग
42	अमरकंटक	30.10.2004	20.05.2005	नगर पंचायत	2015	पवित्र नगर / धार्मिक
43	बैतूल	10.12.2004	30.08.2005	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
44	महेश्वर	22.03.2005	12.09.2005	नगर पंचायत	2015	पवित्र नगर / धार्मिक
45	होशंगाबाद	27.04.2005	03.02.2006	नगर पालिका	2011	जिला मुख्यालय
46	बालाघाट	29.6.2005	26.05.2006	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
47	शाजापुर	06.09.2005	12.05.2006	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
48	ओंकारेश्वर	18.11.2005	11.08.2006	नगर पंचायत	2021	पवित्र नगर / धार्मिक
49.	राजगढ़	16.01.2006	11.08.2006	नगर पंचायत	2021	जिला मुख्यालय
50.	उमरिया	18.03.2006	09.03.2007	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय / माइनिंग
51.	मण्डला	31.05.2006	09.03.2007	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय / पवित्रनगर
52.	ओरछा	03.08.2002	18.05.2007	नगर पंचायत	2011	पवित्र नगर
53.	सीधी	25.09.2006	17.9.2008	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
54	छतरपुर	15.02.2007	17.9.2008	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
55	अशोकनगर	30.06.2007	4.10.2008	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय

क्र.	नगर का नाम	प्रारूप विकास योजना प्रकाशन की तिथि	विकास योजना अनुमोदन की तिथि	कियान्वयन संस्था	योजना कालावधि	नगर का स्तर
56	अलीराजपुर	30.08.2007	4.10.2008	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
57	दतिया	05.01.2008	4.10.2008	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
58	रायसेन	21.01.2008	4.10.2008	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
59.	मुरैना	28.3.2008	4.10.2008	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
60.	हरदा	27.03.2006	8.10.2008	नगरपालिका	2015	जिला मुख्यालय
61	बैरसिया	29.07.2006	8.10.2008	नगर पंचायत	2011	तहसील
62.	सिवनी	14.08.2007	8.10.2008	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
63.	कटनी	31.03.2006	19.6.2009	नगरनिगम	2021	जिला मुख्यालय / औद्योगिक
64.	अनूपपुर	05.09.2008	27.06.2009	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
65.	नरसिंहपुर	29.07.2006	30.03.2010	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
66.	श्योपुर	22.7.2008	16.04.2010	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
67.	धार	12.01.2009	16.04.2010	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
68.	डबरा	07.07.2009	16.04.2010	नगरपालिका	2021	तहसील एवं औद्योगिक
69.	मुलताई	12.10.2009	4.03.2011	नगरपालिका	2021	तहसील / पवित्र नगरी
70.	पचमढ़ी	11.08.1998	पुनर्प्रकाशन किया जाना है.	साडा	2011	पर्यटक
71.	आष्टा	30.08.2006	—	नगरपालिका	2021	तहसील
72.	नरसिंहगढ़	29.09.2006	—	नगरपालिका	2021	तहसील
73.	मंडीदीप	04.06.2009	पुनर्प्रकाशन किया जाना है.	नगरपालिका	2021	औद्योगिक
74.	डिंडोरी	31.07.2009	—	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
75.	खुरई	22.10.2009	—	नगरपालिका	2021	तहसील
76.	नौगाव	11.02.2010	—	नगरपालिका	2021	तहसील
77.	गरोठ	10.08.2011	—	नगर पंचायत	2021	तहसील
78.	पिपरिया	11.08.2011	1.8.2014	नगरपालिका	2021	तहसील
79.	भेडाघाट	15.09.2011	—	नगर पंचायत	2021	पर्यटक
80.	मढई	5.10.2011	—	नगर पंचायत	2021	पर्यटक
81.	नागदा	10.10.2011	—	नगरपालिका	2021	औद्योगिक
82.	सेंधवा	22.10.2011	16.3.2015	नगरपालिका	2021	तहसील
83.	ब्यावरा	22.12.2011	—	नगरपालिका	2021	तहसील
84.	सौंसर	23.12.2011	—	नगरपालिका	2021	तहसील
85.	सलकनपुर	23.12.2011	—	ग्राम पंचायत	2021	पवित्र नगर

क्र.	नगर का नाम	प्रारूप विकास योजना प्रकाशन की तिथि	विकास योजना अनुमोदन की तिथि	कियान्वयन संस्था	योजना कालावधि	नगर का स्तर
86.	चाकघाट	08.02.2012	—	नगर पंचायत	2021	तहसील
87.	आमला	22.03.2012	—	नगरपालिका	2021	तहसील
88.	कुक्षी	30.03.2012	—	नगर परिषद	2031	तहसील
89.	रामपुर बाघेलान	30.03.2012	26.8.2015	नगर परिषद	2021	तहसील
90.	आलोट	30.03.2012	—	नगर पंचायत	2031	तहसील
91.	बांधवगढ	17.09.2012	—	नगर पंचायत	2031	पर्यटन स्थल
92.	गोहद	08.03.2013	19.09.2013	नगर पालिका	2031	तहसील
93.	गंजबासौदा	10.05.2013	20.6.2014	नगर पालिका	2031	तहसील
94.	मण्डीदीप	24.05.2013	—	नगर पालिका	2031	औद्योगिक
95.	शुजालपुर	22.2.2014	27.2.2015	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय
96	आगर	28.1.2015				
97	हनुवंतिया	21.4.2016	8.12.2016		231	पर्यटन केन्द्र

2.4 पुनरीक्षित विकास योजना –इसके अंतर्गत प्रभावशील नगर विकास योजना के प्रथम/द्वितीय चरण उपरान्त पुनर्विलोकन एवं मूल्यांकन किया जाता है तथा आवश्यकतानुसार उपान्तरण कर पुनरीक्षित विकास योजना तैयार की जाती है । इसके अंतर्गत 32 पुनरीक्षित विकास योजनायें प्रकाशित कर 19 विकास योजनाऐं प्रभावशील की जा चुकी हैं, विवरण निम्नानुसार है –

पुनरीक्षित विकास योजनायें

क्र.	नगर का नाम	प्रारूप विकास योजना प्रकाशन की तिथि	विकास योजना अनुमोदन की तिथि	क्रियान्वयन संस्था	योजना कालावधि	नगर का स्तर
1	2	3	4	5	6	7.
1.	भोपाल	17.10.1994	09.06.1995	विकास प्राधि.	2005	जिला मुख्यालय
2.	खजुराहो	04.03.1994	05.06.1995	नगर पंचायत	2011	पर्यटक
3.	ग्वालियर	29.10.1995	19.03.1998	विकास प्राधि.	2005	जिला मुख्यालय/ पर्यटक
4.	जबलपुर, (प्रथम चक्र)	29.12.1995	08.12.1998	विकास प्राधि.	2005	जिला मुख्यालय
5.	देवास	18.03.2002	17.12.2002	विकास प्राधि.	2011	जिला मुख्यालय/ औद्योगिक
6.	उज्जैन	13.08.2005	06.06.2006	विकास प्राधि.	2021	जिला मुख्यालय/ पवित्र नगर
7.	इंदौर	13.07.2006	01.01.2008	विकास प्राधि.	2021	जिला मुख्यालय
8.	जबलपुर (द्वितीय चक्र)	09.02.2007	01.10.2008	विकास प्राधि	2021	जिला मुख्यालय
9.	रीवा	21-01-2009	30-03-2010	नगर निगम	2021	जिला मुख्यालय
10.	सतना	30-06-2009	30-03-2010	नगर निगम	2021	जिला मुख्यालय

क्र.	नगर का नाम	प्रारूप विकास योजना प्रकाशन की तिथि	विकास योजना अनुमोदन की तिथि	क्रियान्वयन संस्था	योजना कालावधि	नगर का स्तर
1	2	3	4	5	6	7.
11.	बुरहानपुर	02-07-2009	30-03-2010	नगर निगम	2021	जिला मुख्यालय
12.	भोपाल	29-08-2009	पुनःप्रकाशन किया जाना हैं।	नगर निगम	2021	जिला मुख्यालय, राजधानी
13.	रतलाम	22-10-2009	14-6-2013	नगर निगम	2021	जिला मुख्यालय
14.	ग्वालियर	12-08-2011	12-9-2014	नगर निगम	2021	जिला मुख्यालय/ पर्यटक
15.	शिवपुरी	18-11-2011	-	नगर पालिका	2021	जिला मुख्यालय/ पर्यटक
16.	बीना	2-12-2011	-	नगर पालिका	2021	औद्योगिक
17.	विदिशा	25-01-2012	-	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय
18.	खंडवा	05-09-2012	11-11-2016	नगर निगम	2031	जिला मुख्यालय
19.	देवास	09-10-2012	-	नगर निगम	2031	जिला मुख्यालय
20.	बैतूल	13-01-2013	19-09-2013	नगर पालिका	2021	जिला मुख्यालय
21	दमोह	15-03-2013	19-09-2013	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय
22.	होशंगाबाद	14-06-2013	20-6-2014	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय एवं धार्मिक नगर
23	शहडोल	28-01-2014	31-3-2015	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय
24.	नीमच	7-2-2014		नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय
25	सिंगरौली	21-2-2014	27-3-2015	विकास प्राधिकरण	2031	औद्योगिक
26	सागर	28-202014		नगर निगम	2031	जिला मुख्यालय
27	गुना	28-2-2014		नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय
28	मैहर	28-2-2014	16-3-2015	नगर पालिका	2031	धार्मिक नगर
29	सीहोर	28-6-2014	11-11-2016	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय
30	इटारसी	5-3-2015	28-10-2016	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय
31	चित्रकूट	31-3-2015		नगर परिषद	2031	धार्मिक नगर
32	हरदा	27-8-2015		नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय

3. संचालनालय द्वारा नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारियों तथा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारियों के कृत्यों से संबंधित दायित्व का निर्वहन.

3.1 नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारियों द्वारा तैयार की जाने वाली नगर विकास योजनाओं (स्कीम) का तकनीकी एवं विधिक परीक्षण।

3.2 नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारियों के वार्षिक बजट परीक्षण।

3.3 नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारियों द्वारा विभिन्न संस्थाओं से राशि उधार लेने के प्रस्तावों का परीक्षण।

3.4 नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारियों की योजनाओं एवं कार्यालयों का राज्य शासन के अनुमोदन अनुसार वार्षिक निरीक्षण ।

4. अन्य दायित्व –

अन्य महत्वपूर्ण दायित्वों में नगर विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में विकास प्राधिकरणों/ विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों को तथा अन्य विकास से संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शन देना तथा शासन की भूमि विकास एवं प्रबंधित नीतियों में सहायता करना । संचालनालय के अंतर्गत आने वाले जिला कार्यालयों के अधिकारियों को संचालक की शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी हैं ताकि विकास योजना प्रस्तावों का कियान्वयन सुचारू रूप से हो सके । भवन निर्माण गतिविधियों को नियंत्रित करने हेतु म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अधीन मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 में भवन अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है। यह प्रावधान स्थानीय संस्थाओं के अधिनियमों के अतिरिक्त है ।

4.1 <u>विशेषतायें</u>

नगरों के सुनियोजित विकास हेतु विकास योजना एवं पुनरीक्षित विकास योजना बनाना, प्रादेशिक योजना बनाना तथा वित्तीय प्रबंधन करना संचालनालय के विशिष्ट दायित्व में सम्मिलित हैं ।

4.2 <u>बेबसाईट प्रदर्शन</u>

राज्य के विभिन्न नगरों की प्रभावशील विकास योजनाओं की जानकारी बेबसाईट www.mptownplan.nic.in / www.mptownplan.gov.in पर उपलब्ध कराने की कार्यवाही प्रस्तावित है। इसमें मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 तथा उसके अंतर्गत बनाये गये अन्य नियम जैसे मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम 2012, म.प्र. भूमि विकास नियम 2012, म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश विकसित भूमियों, गृहों, भवनों तथा अन्य संरचनाओं का व्ययन नियम, 1975 आदि भी शामिल किये गये हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 तथा सिटीजन चार्टर के साथ–साथ संचालनालय से संबंधित समय–समय पर जारी किए गए परिपत्रों, विकास अनुज्ञाओं तथा विकास योजनाओं की जानकारी भी बेबसाईट पर उपलब्ध कराई जाती है ।

4.3 <u>महत्वपूर्ण उपलब्धियॉं</u> :

क्रमांक	गतिविधियां	उपलब्धि (नगर)
1.	निवेश क्षेत्र का गठन	160
2.	भूमि उपयोग मानचित्र अंगीकृत	102
3.	विकास योजना प्रकाशित /प्रभावशील	97/80
4.	जिला मुख्यालय नगरो की विकास योजना प्रकाशित	51/51
5.	पुनरीक्षित विकास योजना प्रकाशित/ प्रभावशील	35/22
6.	म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 प्रभावशील	145
7.	नगर विकास प्राधिकरण	10
8.	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	05

4.4 <u>विकास योजना बनाने में जनसंख्या का प्रतिशत</u>

नगर विकास योजनाओं के अंतर्गत प्रदेश के कुल 97 नगरों की विकास योजनायें तैयार की गई है, जिसके अंतर्गत प्रदेश की लगभग 75 प्रतिशत नगरीय जनसंख्या लाभान्वित हुई है।

भाग – दो

1. बजट

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश को विगत वर्षों में ''आयोजना'' बजट के अंतर्गत निम्नानुसार राशि आवंटित एवं व्यय हुई :–

वर्ष	आयोजना बजट आवंटन (लाख रूपये में)	व्यय (लाख रूपये में)
2013–14	975.00	771.52
2014–15	1285.02	1106.28
2015–16	2416.1	1661.13

भाग – तीन

1. राज्य प्रवर्तित योजना :

क्र.	योजना का नाम	वर्ष	भौतिक		वित्तीय (रू.लाख में)	
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	विकास योजना बनाना पुनर्विलोकन एवं उपांतरण	2013–14	14 नगरो की वि.यो.	6 नगरो के प्रारूप प्रकाशित	320.00	194.58
		2014–15	12 नगर	10 नगरों की विकास योजना तैयार	350.00	296.06
		2015–16 8 कार्या./8 नगर	6 नगर	2 नगरों की विकास योजना तैयार 4 नगरों की योजना प्रगति पर	394.08	147.47
		2016–17 (31 दिसम्बर 2016 तक)	10	4 नगरों की विकास योजना तैयार 8 नगरों की विकास योजना प्रगति पर 6 विकास योजनायें अनुमोदित	180,00	48.86
2.	प्रादेशिक योजना	2013–14	2 रीजन	भोपाल केपीटल रीजन कार्य अंतिम चरण में ग्वालियर चंबल एग्रो रीजन	85.00	79.33
		2014–15	1 रीजन	नर्मदा ताप्ति रीजन	90.00	7.43
		2015–16	1 रीजन	भोपाल केपीटल रीजन 1:50000 पर तैयार	100.00	23.63
		2016–17	1 रीजन	भोपाल केपीटल रीजन	87.11	23.28
3.	सूचना प्रौद्योगिकी	2013–14	4 कार्या./4 नगर	4 कार्यालय	265.00	229.19
		2014–15	8 कार्या./8 नगर	8 कार्या./8 नगर 4 कार्या. जी.आई.एस	270.00	228.79

		2015–16 2016–17 (31 दिसम्बर 2016 तक)	4 कार्या. जी.आई.एस में उन्नयन. 8 कार्या./8 नगर 4 कार्यालय	में उन्नयन. 8 कार्या./8 नगर 4 कार्यालय	296.99 168.30	126.68 130.30
4	विकास प्राधिकरण को अनुदान	2013–14 2014–15 2015–16 2016–17 (31 दिसम्बर 2016 तक)	7 नगर 7 नगर 7 नगर 7 नगर	7 नगर 7 नगर 7 नगर 7 नगर	305.00 574.00 574.09 454.60	305.00 574.00 451.00 129.88

वित्तीय वर्ष 2016–2017 (दिसम्बर 2016 तक) की उपलब्धियॉ :

भौतिक उपलब्धियॉ		
(अ)	प्रारुप विकास योजना प्रकाशित (4 नगर)	1.हनुवंतिया, 2. टीकमगढ़, 3. ओंकारेश्वर, 4. पाण्ढूर्णा
(ब)	प्रारूप विकास योजना प्रगति पर (8 नगर)	1.माण्डव 2. चन्देरी, 3. सिरोंज, 4. भिण्ड, 5. जावरा, 6. राजगढ़, 7. छिन्दवाड़ा, 8. मण्डला
(स)	अनुमोदित विकास योजनाऐं (6 नगर)	1.भेड़ाघाट, 2. बांधवगढ, 3. इटारसी, 4. खण्डवा, 5. सीहोर, 6. हनुवंतिया

<u>राजस्व प्राप्ति –</u>

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में 31 दिसम्बर, 2016 तक 21.81 करोड़ की राजस्व प्राप्ति हुई है ।

भाग – चार

1 **<u>न्यायालयीन कार्यों की स्थिति</u>** :

विगत एक वर्ष की अवधि में नगर तथा ग्राम निवेश से संबंधित कुल 185 प्रकरण विभिन्न स्तर के न्यायालयों में प्रस्तुत किये गये तथा 94 प्रकरणो प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये गये। 5 प्रकरणों में जबाव दावे प्रस्तुत किये जा चुके हैं, जिसमें 7 प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया ।

1.1 **<u>प्रशासकीय गतिविधियॉ</u>** –

कुल स्वीकृत 836 पदों के विरूद्ध 450 पद भरे हुए है जिसमें 78 महिलायें कार्यरत हैं, जिनमें से संविदा सेवा के कुल 123 पद स्वीकृत हैं जिसके विरूद्ध 77 पद भरे गये हैं ।

1.2 **विभागीय प्रशिक्षण** –अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नवीन नीतियों एवं विभाग से संबंधित गतिविधियों से परिचित कराने जिससे उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि हो इस हेतु अन्य संस्थानों में प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है । मध्य प्रदेश प्रशासन अकादमी भोपाल में आयोजित विभागीय प्रशिक्षण में 28 अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया इसके साथ ही अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में 19 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया गया ।

1.3 **सूचना का अधिकार –** सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में अंतर्गत संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश के कार्य का जनता के प्रति जवाबदेह, बनाने एवं पारदर्शी प्रशासन बनाये रखने के लिये अधिनियम के प्रावधानानुसार लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है । जिला स्तर के कार्यालयों में भी लोक सूचना अधिकारी तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्तियॉ की जा चुकी है । अपील आवेदनों के निराकरण तथा उस पर समय सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु अधिनियम के प्रावधानानुसार अपीलीय अधिकारी की भी नियुक्ति की गई है ।

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश की सूचना के अधिकार से संबंधित समस्त जानकारियॉ संचालनालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित कराई गई है ।

भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर एवं जबलपुर नगरों में मार्च 2014 के पूर्व की स्वीकृति अनुज्ञाओं को स्केन कर संचालनालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया गया है । समस्त जिला कार्यालयों में 31 मार्च 2015 के पूर्व जारी की गई स्वीकृत अनुज्ञाओं को स्केन कर संचालनालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने संबंधी कार्यवाही की जा रही है । इस वर्ष में 119 आवेदन प्राप्त हुये जिनका निराकरण किया गया ।

1.4 **सूचना प्रौद्योगिकी–**

सूचना प्रौद्योगिकी अन्तर्गत संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश एवं इसके समस्त 28 कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है। इस योजना हेतु शासन द्वारा मध्य प्रदेश राज्य नगर नियोजन संस्थान (म0प्र0 विकास प्राधिकरण संघ) को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया हैं। मध्य प्रदेश राज्य नगर नियोजन संस्थान (म0प्र0 विकास प्राधिकरण संघ) द्वारा 4 नगरों की बेव बेस्ड जी आई एस एप्लीकेशन तैयार की गई हैं। इसके साथ ही आम जनता की सुविधा को देखते हुए नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा अपनी दो सेवायें भू उपयोग जानकारी एवं विकास अनुज्ञा के लिये ऑन लाईन व्यवस्था अंतर्गत प्रथम चरण में मध्य प्रदेश के चार नगरों भोपाल, इन्दौर, जबलपुर एवं ग्वालियर में प्रारंभ की गई है । इस सेवा के अंतर्गत नागरिक विकास योजना में भूमि उपयोग की जानकारी एवं विकास कार्य क्रियान्वित करने हेतु विकास अनुज्ञा के आवेदन ऑन लाईन प्रस्तुत कर सकता है इस हेतु वांछित शुल्क भी सायबर ट्रेजरी के माध्यम से शुल्क जमा कराया जा रहा है एवं सभी अनुमतियॉ ऑन लाईन जमा करने के साफ्टवेयर विकसित किये गये है ।

विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वेब बेस्ड एप्लीकेशन की आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल द्वारा विकास योजना तैयार करने संबंधी प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है ।

भोपाल नगर की विकास योजना 2005 के डिजिटल मेप में मार्च 2014 के पूर्व जारी सभी स्वीकतृ अनुज्ञाओं को मानचित्र में सुपर इम्पोज किये जाने का कार्य किया जा रहा है ।

मेपकास्ट के माध्यम से 24 नगरों के डिजिटल मेप अपलोड करने की कार्यवाही की जा रही है । जिसमें से 21 नगरों डिजिटल मेप तैयार कर संचालनालय की वेबसाईट पर अपलोड किये गये है ।

राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के माध्यम से 23 नगरों के भू उपयोग एवं विकास अनुज्ञा हेतु ऑन लाईन आवेदन लेने हेतु वेब बेस्ड एप्लीकेशन तैयार करने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

1.5. <u>विधायी से संबंधित कार्यकलाप :–</u>

विधानसभा में उठाये गये विभिन्न प्रश्नों के उत्तर, दिये गये आश्वासनों तथा प्राप्त याचिकाओं की जानकारी यथासमय दी जाती रही है ।

इसके अतिरिक्त विधानसभा की लोक लेखा समिति, आश्वासन समिति आदि द्वारा चाही गई जानकारी यथासंभव उपलब्ध कराई जाती है ।

1.6 मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियमो में संशोधन

1. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17 के उपनियम (क) में अंतःस्थापित ।

भाग – पांच

1. <u>प्रकाशन</u> :

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा नियमित रूप से विभिन्न नगरों की विकास योजनाओं के प्रारूप एवं अनुमोदित विकास योजनाओं का प्रकाशन म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है ।

भाग – छः

1. राज्य की महिला नीति का क्रियान्वयन

राज्य की महिला नीति के क्रियान्वयन हेतु उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल नोडल अधिकारी नियुक्त हैं । कार्यालय में महिला कर्मियों की मूलभूत सेवा–सुविधाओं की पूर्ति हेतु अलग से व्यवस्था स्थापित की गई है। वर्तमान में विभाग में कुल 78 महिलाएं कार्यरत है, जो कार्यरत पदों का लगभग 18 प्रतिशत है।

भाग – सात

<u>सारांश</u> :

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा 160 नगरीय केन्द्रों के निवेश क्षेत्रों का गठन किया गया है तथा 102 नगरों के वर्तमान भू–उपयोग मानचित्र का प्रकाशन एवं अंगीकरण किया जा चुका है । 97 नगरों की विकास योजनाओं का प्रकाशन किया जा चुका है जिनमें से 80 विकास योजनाएं अंगीकृत है, जिसमें प्रदेश की लगभग 75 प्रतिशत नगरीय जनसंख्या का नियोजन निहित है। 35 नगरों की पुनरीक्षित विकास योजना का प्रकाशन किया गया है। जिसमें से 22 नगरो की योजनाऐं शासन द्वारा प्रभावशील की जा चुकी है ।

राजधानी परियोजना प्रशासन

भाग – एक

संरचना

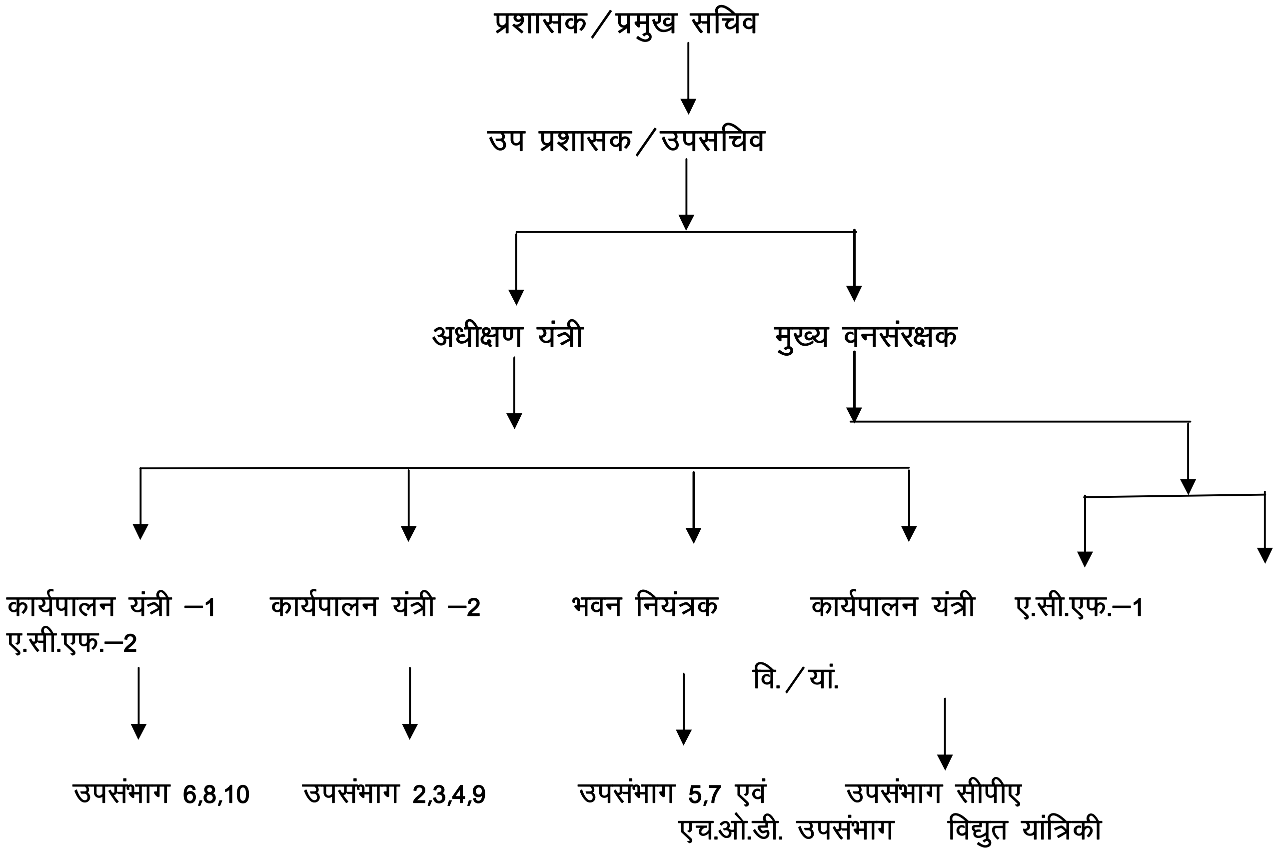

दायित्व

वर्ष 1956 में राज्य पुर्नगठन के उपरान्त जब भोपाल को मध्यप्रदेश की राजधानी बनाया गया तब यह प्रतीत हुआ कि भोपाल प्रदेश की राजधानी बनने के साथ–साथ प्रदेश की प्रशासकीय राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों का केन्द्र बनने जा रही है। इसके अनुक्रम में भोपाल नगर तथा उसके आसपास के ग्रामों का शहरीकरण क्रमशः होना प्रारम्भ हुआ। राजधानी के सुनियोजित एवं त्वरित विकास हेतु राजधानी परियोजना प्रशासन का गठन किया गया।

राजधानी परियोजना द्वारा तत्समय से ही उच्च गुणवत्ता का कार्य सम्पादित कराया गया। राजधानी परियोजना प्रशासन की स्थापना होने के समय का भोपाल शहर आज जनसंख्या के अनुसार 10 – 11 गुना बढ चुका है। और क्षेत्रफल/विस्तार में भी शहर पूर्व की अपेक्षा 12–14 गुना बढ चुका है। क्रमशः भोपाल महानगर के रुप में परिवर्तित हो गया है। भोपाल में राजधानी परियोजना की स्थापना हुई तब से उसका आगे कार्य करना राजधानी में विभिन्न आधारभूत/मूलभूत सुविधाओं को विकसित करना, विभिन्न कार्यों हेतु समन्वयक के रुप में कार्य करना तथा राजधानी क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरुप शासकीय भवन/कार्यालयों/आवास गृहों एवं सौन्दर्यीकरण हेतु बडे पैमाने पर वृक्षारोपण बाग बगीचों का विकास आदि कार्य। उस समय जितना प्रारम्भिक कार्य आवश्यक था उसकी प्रासंगिकता आवश्यकता आज 10–15 गुना बढ़ी ही है, भोपाल में राजधानी परियोजना प्रशासन की आवश्यकता एवं प्रासंगिकता तथा उपयोगिता पूर्व की अपेक्षा कई गुना अधिक आज है।

राजधानी परियोजना प्रशासन के अंतर्गत मुख्यतः दो शाखाओं द्वारा कार्य संपादित किए जा रहे हैः–

1– मण्डल कार्यालय, राजधानी परियोजना

मण्डल कार्यालय, राजधानी परियोजना प्रशासन के अन्तर्गत परियोजना क्षेत्र के विभिन्न शासकीय भवनों का निर्माण कार्य, मास्टर प्लान की सड़कों का निर्माण कार्य, डिपाजिट मद के अन्तर्गत विभिन्न निर्माण/विकास कार्य तथा अन्य विकास कार्य सम्पादित किये जा रहे। साथ ही परियोजना क्षेत्र में स्थित महत्वपूर्ण शासकीय भवनों तथा मंत्रालय सतपुड़ भवन/विन्ध्याचल भवन नई एवं पुरानी विधान सभा भवनों का रख–रखाव संबधी कार्यों के साथ ही बाग– बगीचों का विकास एवं संधारण कार्य तथा मार्गों का चौडीकरण, सुदृढ़ीकरण तथा विद्युतीकरण संबधी अनकों कार्य किये जा रहे है। इसके अन्तर्गत एक अधीक्षण यंत्री कार्यालय, चार कार्यपालन यंत्री के संभागीय कार्यालय एवं नौ उपसंभागीय कार्यालय एवं अधिनस्थ अमला लोक निर्माण विभाग के मेन्युअल अनुसार स्वीकृत होकर कार्यरत है।

2– वनमण्डल राजधानी परियोजना

राजधानी परियोजना के अन्तर्गत वनमंडल कार्यालय का गठन दिनांक 21.2.1986 को निम्नलिखित उदेद्श्यों हेतु किया गया। भोपाल शहर पहाडी एवं पथरीले होने के कारण यहां की भूमि को बडे ही सुनियोजित तरीके से व्यवस्थित कर शोभायमान, फलदार एवं छायादार वृक्षों का रोपण किया गया है और पर्यावरण महत्व के पौधों का रोपण करके आस–पास के खुले एवं वीरान क्षेत्रों में हरा–भरा कर सौन्दर्यीकरण करना एवं उसका रख–रखाव करना भी मण्डल का प्रमुख दायित्व रहा है। अवंछिनीय खरपतवार का उन्मूलन करना, शासकीय रिक्त भूमि के अवैध उत्खन्न एवं अतिक्रमण से बचाने हेतु आवश्यकता अनुसार फेंसिग तथा उपयुक्त भूमि पर पौधों का रोपण करना, नालों के आस–पास वृक्षारोपण कर पर्यावरण सुधारना एवं भूमि के कटावों को भू–संरचना उपायों से रोकना।

भाग – 2

बजट प्रावधान–लक्षय व्यय (योजनावार)

राशि रू लाख में

क्र	योजना का नाम	2014–2015		2015–2016		2016–2017	
		प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय 12/2016 तक
1	3115 भूमि भूअर्जन हेतु मुआवजा (भारित)	0.00	0.00	33.50	33.50	1000.00	0.00
2	0284 अरिहायसी भवन	265.34	265.81	152.38	152.37	422.40	365.71
3	3763 रिहायसी भवन	400.00	400.00	350.43	350.39	88.00	45.71
4	4339 सड़क एवं पुल	2434.33	2434.44	1230.79	1230.77	1500.00	1354.91
5	1021 क्षेत्रों का सौन्दर्यीकरण आदि	681.85	681.86	727.50	727.50	696.00	135.00
6	5872–64 वार मेमोरियल का निर्माण(सर्वेक्षण अन्वेक्षण रूपाकन)	149.18	149.17	750.00	750.00	237.26	32.48
7	2217–1021क्षेत्रों का सौन्दर्यीकरण (अनुरक्षण कार्य)	557.49	564.80	599.14	599.39	540.00	350.21
8	3414 मशीन एवं उपकरण	12.00	12.19	0.01	0.00	0.88	0.00
9	7218–मंत्रालय का विस्तार	200.00	199.98	9657.31	9657.31	12962.75	11000.00
10	6793 लोकायुक्त कार्यालय भवन	614.73	614.73	34.93	34.93	0.01	0.00
11	7715 –नवीन विधायक विश्राम गृहों में (बृहत निमार्ण कार्य)	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
12	2059–6720–32कार्यालय भवनों का लघु निर्माण कार्य	64.01	63.52	87.60	89.52	10.00	0.00
13	2059–6720–33कार्यालय भवन का अनुरक्षण कार्य	1490.26	1483.85	1728.30	1654.79	1613.61	1031.28

क्र	योजना का नाम	2014–2015		2015–2016		2016–2017	
		प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय 12/2016 तक
14	2059–5464–33 सतपुड़ा/विन्ध्याचल भवनों का रख रखाव	323.14	321.40	475.00	473.75	299.00	170.23
15	2059–5465–33गैस राहत चिकित्सालयों का अनुरक्षण कार्य	157.25	157.24	180.00	140.82	150.00	40.06
16	2216–6218–33सरकारी रिहायसी भवनों का लघु निर्माण कार्य	7.75	8.74	9.26	9.75	10.00	0.00
17	2216–6218–33सरकारी रिहायसी भवनों का अनुरक्षण कार्य	167.71	167.69	114.10	113.57	240.00	185.56
18	2216–5486–33गैस चिकित्सालयों का आवास गृहों का अनुरक्षण कार्य	12.38	12.38	15.42	10.48	10.00	3.83
19	2216–6989–33विधायक विश्राम गृहों का अनुरक्षण कार्य	268.79	276.43	550.00	543.80	660.00	369.91
20	4216–6989–64नवीन विधायक विश्राम गृह (बृहत निमार्ण कार्य)	0.00	0.00	10.65	10.65	390.00	10.10
21	3054–7320–33राजधानी में सड़कों का अनुरक्षण कार्य	1830.00	1830.56	1440.00	1438.13	1800.00	1591.33
22	2059–9083–33 शौर्य स्मारक का संचालन एवं संधारण (अनुरक्षण)	8.62	8.61	60.00	60.00	143.00	20.41

भाग – तीन

अ. राज्य योजनायें

वर्ष 2015–16

मांग संख्या 21 शीर्ष 4217 आयोजना के अन्तर्गत राजधानी परियोजना प्रशासन भोपाल हेतु वर्ष 2015–16 के लिये रुपये 7900.14 लाख का आवंटन प्रदाय किया गया जिसके अन्तर्गत निम्न लिखित कार्य कराये गये एवं प्रस्तावित है।

<u>संचालित कार्य :–</u>

1. नवीन ट्रांजिट हॉस्टल का निर्माण।
2. ऋषिपुरम फेस –1 से विवेकानन्द विद्यापीठ रोड तक मास्टर प्लान सड़क का निर्माण कार्य ।
3. कोलार रोड जंक्शन विशाल मेघा मार्ट से अमरनाथ कॉलोनी होते हुए जागरण कॉल कलियासोत बैराज तक 24 मीटर चौड़े को आर्डीनेशन मास्टर प्लान सड़क निर्माण (लम्बाई 3.15 कि0मी0 चौड़ाई 24 मीटर) 1. प्रथम चरणके अन्तर्गत मात्र दो लेन सड़क का निर्माण अमरनाथ कालोनी से जागरण कालेज जंक्शन तक (2.40कि0मी0)
4. बाणगंगा चौराहे से के.एन. प्रधान चौराहे (2 लेन से 4 लेन) तक चौड़ीकरण एवं डामरीकरण कार्य।
5. बाग मुंगलिया से जाटखेड़ी तक का मार्ग (4लेन) (लम्बाई 1.50 कि.मी.)।
6. नेहरू नगर चौराहे से शाहपुरा कोलार रोड़ को जोड़ने वाले मार्ग का चौड़ीकरण एवं डामरीकरण कार्य ।
7. बैरागढ़ मेन रोड़ काली मंदिर से अययपा मंदिर सी.टी.ओ. वाया रेल्वे क्रासिंग में रोड़ का निर्माण कार्य।

8. कोलार रोड़ से होशगावाद रोड को जोडने वाली मास्टर प्लान 200 फीट चौड़ी सडक का निर्माण कार्य (लम्बाई 4.5 कि.मी.)
9. होशगावाद रोड से (श्री गणेश नगर के पास) आशाराम नगर कटारा हिल्स से वायपास को जोड़ने वाली 60 मीटर चौडी मास्टर प्लान सड़क का निर्माण कार्य। (लम्बाई 2.00 कि.मी.)
10. लहारपुर से संत आशाराम नगर तक प्रस्तावित 60 मीटर चौड़ी मास्टर प्लान सड़क का निर्माण कार्य। (लम्बाई 1.50 कि.मी.)
11. कलियासोत नहर के समानन्तर मास्टर प्लान सड़क एवं कोलार रोड़ एन.एच.–12 को जोडने वालें मार्ग के बीच , को–आर्डीनेशन मार्ग निर्माण कार्य। (लम्बाई 2.00 कि.मी.)
12. मनुआभान की टेकरी में सड़क का सुद्ढ़ीकरण एवं विकास कार्य।
13. अवंतीबाई चौराहे से एम.ए.सी.टी. कॉलेज तक मार्ग चौड़ीकरण में बाधक 11 के.वी. लाइन, पोल डी.पी.स्ट्रक्चर एवं एल.टी.लाईन शिफ्टिंग का कार्य।
14. हबीबगंज नाका डी.आर.एम. ऑफिस से साकेतनगर मार्ग पर विद्युतीकरण कार्य।
15. साकेत नगर पिपलिया पेंदे खां के समीप एम्स मार्ग पर स्ट्रीट लाईट विद्युतीकरण कार्य।
16. मास्टर प्लान कोलार जक्शन से नेहरू नगर मार्ग पर स्ट्रीट लाईट विद्युतीकरण कार्य।
17. शाहपुरा तिराहा (सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के समीप)से कलियासोत मुख्य नहर तक मास्टर प्लान सड़क चौड़ीकरण एवं उन्नयनीकरण कार्य ।
18. बाग मुंगलिया से जाटखेडी तक मास्टर प्लान सड़क का निर्माण कार्य (लम्बाई 2.00 कि.मी.)। प्रथम चरण चौडाई 2 लेन का कार्य।
19. करोंद भोपाल के पास वार्ड क्रमांक–70 में सीमेन्ट कांक्रीट सड़कों का निर्माण शेष कार्य ।
20. माता मंदिर क्षेत्र में **36** नग **'एफ'** टाईप आवास गृहों का निर्माण कार्य।
21. पर्यावरण परिसर स्थित झील संरक्षक प्राधिकरण (एल.सी.ए.)में कान्फेन्स हॉल,लेक्चर हॉल, ऑडीटोरियम किचन, स्टोर फरारी , इत्यादि निर्माण कार्य ।
22. मंत्रालय वल्लभ भवन स्थित मान0 मुख्यमंत्री कक्ष , प्रतीक्षा कक्ष , पेन्ट्री तथा अन्य कक्षों का उन्नयन कार्य ।

प्रस्तावित कार्य (नवीन)

1. नवीन ट्रांजिट हॉस्टल का निर्माण।
2. कोलार रोड स्थित गार्डन में स्वीमिंग पूल एवं हेल्थ क्लब का निर्माण कार्य।
3. होशंगाबाद रोड़ से एन.एच.12 के निकट 60 मी. चौडी रोड जंक्शन से जे.एन.यू.आर.एम. कालोनी जंक्शन (निरूपम रायल पाम जंक्शन होते हुए 18 मी. चौडी मास्टर प्लान कोआर्डीनेशन सड़क का निर्माण कार्य) (लम्बाई 1 कि.मी. चौडाई 18 मीटर)।
4. अयोध्या फेस –5 से म्युजिकल गार्डन हथाईखेडा डेम तक मार्ग चौड़ीकरण एवं डामरीकरण कार्य ।
5. मछली घर से पी.एच. क्यू.तक सड़क चौडीकरण, उन्नयनीकरण एवं तालाब के किनारे का विकास कार्य ।
6. छत्रसाल नगर (सम्राट कालोनी)से भवानी धाम तक मास्टर प्लान सड़क का निर्माण कार्य ।
7. छत्रसाल नगर (फेस–1)से जुबली गेट अयोध्या बायपास तक सड़क का निर्माण कार्य ।

8. जे.के. रोड़ से बी.एच. ई.एल. गेट नं.–1 एवं भारत नगर रोड चौराहे इन्द्रपुरी (सेक्टर –ए)को जोड़ने वाली मास्टर प्लान सड़क का निर्माण कार्य ।

9. जे.के. रोड़ से बी.एच. ई.एल. जुबली गेट एवं सोनागिरी चौराहे इन्द्रपुरी को जोड़ने वाली मास्टर प्लान सड़क का निर्माण कार्य ।

10. साकेत नगर से अमरावर्द खुर्द होते हुए बायपास को जोड़ने वाली मार्ग का एम. जी. एम. स्कूल से बायपास तक का भाग का निर्माण (लम्बाई 1.50 कि.मी.)।

11. आठ कॉलोनियों को जोड़ने वाली भोज विश्वविद्यालय की बाउण्ड्रीवाल के समानान्तर सकरी सड़क का चौड़ीकरण कार्य (कोलार रोड एवं कलियासोत बांध के नीचे वाल्मी वाली मार्ग को जोड़ने वाली लिंक रोड)

12. ग्राम सिंगार चोली से भानपुरा तक सड़क मे प्रथम चरण में ग्राम सिंगार चौली से बैरसिया रोड़ तक 2 लेन का निर्माण कार्य ।

13. गोन्दिपुरा से खेजड़ा बरामद तक मास्टर प्लान सड़क का निर्माण कार्य ।

14. कोलार रोड़ से चन्दनपुरा तक 200 फीट चौड़े मार्ग का निर्माण कार्य ।

15. क्षेत्रों का सौन्द्रयीकरण आदि एवं खुले क्षेत्र में वेल्डेड–मेश फेंसिंग का कार्य।

16. भोपाल शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 65000 पौधों का रोपण कार्य एवं रोपित पौधों का रख–रखाव करना।

17. सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क का विकास एवं रख–रखाव कार्य।

18. स्वर्ण जयंती पार्क का उन्नयन कार्य।

19. सिंगार चोली एवं बोरवन नगर वनक्षेत्र को उद्यान विकास के रूप में विकसित करना। ।

20. 24 शूट्स रेस्ट हाउस के पीछे पार्क का विकास कार्य।

ब. केन्द्र प्रवर्तित योजना : – निरंक

स. विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली योजनाएं : – निरंक

द. विदेशी सहायता प्राप्त योजनाऐं/परियोजनाऐं : – निरंक

ई. अन्य योजनाऐं

हिन्दी अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य,नेशनल इन्टीटयूट आफ फैशन टेक्नोलाजी भवन का निर्माण कार्य, वाणिज्यिक कर भवन का निर्माण कार्य एवं सूचना केन्द्र भवन का निर्माण, राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के अकादमी भवन (7 & 8), लायब्रेरी ब्लॉक एवं प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य एवं खेल गतिविधियों से संबंधित केन्द्रीय खेल छात्रावास का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

भाग – चार

सामान्य प्रशासनिक विषय

1. **विभागीय पदोन्नति :–** – निरंक –
2. **नियुक्ति :–** – निरंक –
3. **विभागीय जांच :–** – निरंक –

4. **न्यायालयीन प्रकरण :—**

राजधानी परियोजना प्रशासन के अन्तर्गत चल रहे विभिन्न न्यायलयीन प्रकरणों की स्थिति संतोषजनक है तथा जवाब —दावे प्रस्तुत कर दिये गये है।

भाग — पाँच

अभिनव योजना

अभिनव योजनाओं में हाल ही में निर्मित शौर्य स्मारक सर्वोपरि है, जिसकी प्रशंसा राष्ट्रीय स्तर की है। दूसरी योजना वल्लभ भवन के विस्तार की है जो कि त्वरित गति से प्रगति में है एवं नवंबर 2017 तक पूर्ण करने का ध्येय है।

NIFT:-

राष्ट्रीय फैशन तकनीकी संस्थान का भवन भी बड़े खूबसूरत तरीके से बनकर पूर्ण होने की स्थिति में है।

भाग — छः

— निरंक —

भाग — सात

महिला नीति

महिला नीति के अन्तर्गत राजधानी परियोजना मण्डल, राजधानी परियोजना प्रशासन में कार्यरत महिलाओं के लिये विश्राम अवकाश में विश्राम कक्ष आवंटित किया गया हैं। इसके अतिरिक्त कामकाजी महिलाओं पर रोकथाम एवं यौन उत्पीडन आदि शिकायतों पर कार्यवाही करने हेतु महिला कर्मचारियों के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।

भाग — आठ

सारांश

राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा पूर्व में नवीन विधान सभा भवन, सतपुड़ा/विन्ध्याचल भवन, मध्यप्रदेश प्रशासन अकादमी, शासकीय गीतांजली कन्या महाविद्यालय, भारत भवन, संस्कृति भवन, इत्यादि अतिमहत्वपूर्ण भवनों का निर्माण कार्य कराया गया है एवं इसका संधारण संबधी कार्य भी किया जा रहा है। मध्यप्रदेश राज्य जन जाति संग्रहालय भवन का निर्माण कार्य, सुशासन नीति एवं विश्लेषण भवन का निर्माण कार्य, वाणिज्यिक कर भवन का निर्माण कार्य एवं सूचना केन्द्र भवन का निर्माण, राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के अकादमी भवन (7 & 8), लायब्रेरी ब्लॉक एवं प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य एवं खेल गतिविधियों से संबंधित केन्द्रीय खेल छात्रावास का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

राजधानी के विकास में मास्टर प्लान के अनुरुप आवश्यकताओं के अनुसार कई सडकों का निर्माण/चौड़ीकरण भी राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा किया जा रहा हैं एवं इसके अतिरिक्त मास्टर प्लान 2005 की प्रमुख 24 सड़कों के सर्वे एवं सीमांकन का कार्य पूर्ण किया जाकर नवीन मास्टर प्लान सड़को के प्रस्ताव तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे भविष्य में राजधानी परियोजना वासियों को सुगम मार्ग एवं स्वच्छ पर्यावरण का लाभ होगा, इसी तरह विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न श्रेणी के लगभग 6000 शासकीय आवास गृहों का निर्माण कार्य भी राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा कराया गया है एवं अनेक शासकीय आवास गृहों निर्माण कार्य प्रस्तावित है। राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उच्च्च स्तरीय पार्कों का विकास किया गया है तथा श्री गुरु गोविन्द सिंह पार्क, मयूर पार्क, चिनार पार्क, प्रियदर्शिनी पार्क, शाहपुरा के किनारे पार्क, 5 नं पर जवाहर बाल उद्यान, स्वराज पार्क श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क एवं बोरवन पार्क इत्यादि के संधारण कार्य भी राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। शहर में चौतरफा वृक्षारोपण कर सुन्दर तथा हरा भरा बनाने का पूरा श्रेय भी राजधानी परियोजना प्रशासन को ही है।

स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग
(राज्य नगर नियोजन संस्थान)
भाग–एक

विभागीय संरचनाः –

अध्यक्ष – श्रीमती माया सिंह, मंत्रीजी, नगरीय विकास एवं आवास विभाग
महानिदेशक – श्री मलय श्रीवास्तव,प्रमुख सचिव,नगरीय विकासएवं आवास विभाग
कार्यपालन संचालक– श्री संदीप यादव, आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश

अधीनस्थ कार्यालयः – निरंक

विभाग के अन्तर्गत आने वाले मण्डल/उपक्रम/संस्थाओ का विवरण : निरंक

सदस्य संस्थाऐं – प्रदेश में म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों के तहत गठित –10 **विकास प्राधिकरण** – भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास, ग्वालियर जबलपुर, रतलाम, कटनी, सिंगरौली तथा अमरकंटक 05–**विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण** –पचमढी, ग्वालियर काउन्टर मैग्नेट, खजुराहो, ओरछा एवं महेश्वर मण्डलेश्वर सदस्य संस्थायें हैं तथा 03 नगरीय निकाय खजुराहो, धनपुरी एवं गढ़ाकोटा संस्थान की एसोसिएट सदस्य हैं।

उद्देश्य एवं लक्ष्य :–

1. मध्य प्रदेश शासन तथा नगर एवं ग्राम निवेश विभाग की शहरी/ग्रामीण नियोजन से संबंधित विषयों में सहायता तथा परामर्श प्रदान करना।
2. विकास योजनाओं, क्षेत्रीय योजनाओं, पारिक्षेत्रीय योजनाओं, नगर विकास योजनाओं तथा योजनाओं के कियान्वयन हेतु संसाधनों के संग्रहण, अनुश्रवण तथा इनसे संबंधित कियान्वयन विषयों में योजनाऐ तैयार करना, सूक्ष्म परीक्षण तथा मूल्यांकन में सहायता
3. विभिन्न राज्यों के साथ–साथ देश के विकास प्राधिकरणों द्वारा अपनाई गई नगर नियोजन नीतियों तथा प्रकियाओं का तुलनात्मक विश्लेषण तैयार करना जिसके आधार पर नियोजित तथा एकीकृत नगर तथा निवेश विकास के माध्यम से पर्यावरण के क्षेत्र में अध्ययन तथा अनुसंधान तथा इन क्षेत्रों में परामर्शी सेवाऐं प्रदान करना।
4. मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 23 (ख) के अंतर्गत भूमि उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों का परीक्षण।
5. डाटा बेस का सृजन तथा अद्यतन करना व ई–सुशासन।
6. मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षैत्र विकास प्राधिकरणों के वार्षिक बजट का परीक्षण ।
7. पुनर्सघनीकरण परियोजनाओं का परीक्षण ।
8. कमांक 8(क) तथा (ख) के लिये नगर विकास प्राधिकरणों द्वारा हाथ में ली जा रही परियोजनाओं के कियान्वयन पर पर्यावरणीय प्रभावी के आकलन का अध्ययन ।
9. इन– हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा क्षमता निर्माण हेतु प्रतिष्ठित संस्थाओं के सहयोग से आयोजन करना– (प्रशिक्षण, विचार गोष्ठियों कार्यशालाओं, विभिन्न विषयों पर व्याख्यान, प्रकाशन तथा प्रचार)।
10. हाल ही में सम्पन्न गतिविधियों से सदस्यों तथा अधिकारियों को अद्यतन रखे जाने के उद्देश्य से न्यूजलेटर जारी करना।

11. अपने मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय तथा अन्तराष्ट्रीय प्रतिष्ठित संस्थाओं से मेल–जोल विकसित करना।
12. तत्कालीन मध्य प्रदेश विकास प्राधिकरण संघ के जारी कार्यक्रमों तथा गतिविधियों का निष्पादन करना ।
13. ऐसे समस्त दायित्वों तथा कृत्यों जैसा कि कार्यकारिणी समिति तथा साधारण सभा द्वारा विहित किया जाए,का निष्पादन करना।
14. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप आवश्यक सेवायें उपलब्ध कराना।

साधारण सभा :–

मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन एण्ड रेग्यूलेशन के प्रावधानों के अनुसार संस्था के साधारण सभा का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष माननीय मंत्रीजी, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग एवं अध्यक्ष, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग है। साधारण सभा में महानिदेशक एवं कार्यपालन संचालक सहित कुल 35 सदस्य शामिल है।

कार्यकारिणी समिति :–

मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन एण्ड रेग्यूलेशन के प्रावधानों के अनुसार संस्था के दैनंदिनीय कार्यो के निष्पादन हेतु एक कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग एवं महानिदेशक, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग है। कार्यकारिणी समिति में कार्यपालन संचालक, सदस्य सचिव तथा अन्य 07 सदस्य शामिल हैं। वर्ष 2016–17 में कार्यकारिणी समिति की 01 बैठक आयोजित की गई।

विभाग से संबंधित जानकारी :–

स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग, जिसका पूर्व नाम म.प्र.विकास प्राधिकरण संघ था, प्रदेश की नगर विकास संस्थाओं का एक पंजीकृत संगठन है । वर्ष 2013 में म.प्र. विकास प्राधिकरण संघ के साधारण सभा द्वारा संस्था के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन एण्ड रेग्युलेशन में व्यापक संशोधन किए गए तथा संस्था का नाम परिवर्तित कर स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग किया गया। संस्था के नये नाम स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग का पंजीयन 1 मई, 2013 को म.प्र.सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अन्तर्गत किया गया है, जिसका मुख्य कार्य प्रदेश की विकास संस्थाओं/नगरीय निकायों संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश एवं अन्य संस्थाओं के कार्यो में सलाहकार की भूमिका निभाते हुये सहयोग प्रदान करना तथा नगरीय निकायों की योजनायें तैयार करने तथा तकनीकी सहयोग, प्रशासनिक एवं लेखा प्रबंधन आदि क्षेत्र में मार्गदर्शन व अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण तथा कार्यशालायें आयोजित की जाती है।

सामान्य या प्रमुख विशेषताऐं :–

(अ) भारत शासन द्वारा आई.डी.एस.एम.टी. योजनान्तर्गत प्रसारित पुनरीक्षित मार्गदर्शिका अगस्त 1995 के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा म.प्र.विकास प्राधिकरण संघ को नोडल ऐजेन्सी घोषित किया गया था। प्राधिकरण संघ द्वारा इन योजनाओं हेतु समन्वयक एवं परामर्शदाता के रूप में कार्य किया जा रहा है। राज्य नगर नियोजन संस्थान द्वारा अधिकतर तकनीकी परामर्श संबंधी कार्य 'इन हाउस' किया जा रहा है। साथ ही संस्थान में वास्तुविदों, इंजीनियरों, नियोजकों का पेनल ऑफ कंसलटेंट बनाया गया है, जिनकी आवश्यकतानुसार सेवायें ली जाती है। वर्ष 2005 में आई.डी.एस.एम.टी. योजना को यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.

योजना में समाहित कर इस संस्थान को नोडल एजेन्सी बनाया गया। वर्ष 2009 तक योजना इस संस्थान में रही। वर्ष 2010 में योजना संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास को हस्तांतरित की गई।

(ब) म.प्र. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्र.एफ–6–9/10/32 भोपाल दि. 18.02.10 द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश के सूचना प्राद्योगिकी कार्य को संपादित करने हेतु स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग, भोपाल को नोडल एजेन्सी घोषित किया गया है जिसके प्रथम चरण में 04 नगरों का जी. आई.एस एप्लीकेशन का कार्य किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

भाग–दो

बजट सिंहावलोकन, आय के स्त्रोत :–

स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग की आय के मुख्य स्त्रोत, सदस्य संस्थाओं से प्राप्त सदस्यता शुल्क तथा योजनाओं के वास्तुविदीय परामर्श कार्य/तकनीकी परीक्षण/सर्वेक्षण कार्यो से प्राप्त शुल्क ही है। शासन से वर्तमान में संस्थान को कोई अनुदान प्राप्त नहीं होता है ।

बजट प्रावधान, लक्ष्य/व्यय एवं अंकेक्षण :–

वर्ष 2015–2016 के प्रस्तावित आय रू. 686.65 लाख तथा व्यय रू. 686.08 लाख अनुमानित था, जिसके विरूद्ध वास्तविक आय रू. 561.32 लाख व व्यय रू. 399.53 लाख रहा। वर्ष 2016–17 के आय व्यय क्रमशः रू. 618.75 लाख व रू. 618.15 लाख अनुमानित है। वर्ष 2017–18 के वार्षिक बजट तैयार करने की कार्यवाही प्रचलन में है।

स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग के वर्ष 2015–16 तक के आय–व्यय का अंकेक्षण कार्य संपन्न हो चुका है। वर्ष 2016–17 के अंकेक्षण का कार्य प्रगति पर है। संस्थान द्वारा लेखा/अंकेक्षण कार्यों हेतु पेनल ऑफ चाटर्ड अकाउंटेन्ट तैयार किया गया है। आवश्यकतानुसार निजी सलाहकार (चाटर्ड अकाउडटेंट) की सेवायें ली जाती है।

संसदीय कार्य, विधि विषय कार्य एवं न्यायालयीन कार्यः– निरंक

स्वीकृत सेट अप :–

स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग के स्वीकृत सेटअप में विभिन्न श्रेणी के 80 पद स्वीकृत है। इनमे से 24 कर्मचारी तकनीकी संवर्ग तथा 56 गैर तकनीकी संवर्ग के है । संस्थान में 01 सलाहकार, 01 कर्मचारी संविदा सेवा में कार्यरत है तथा शेष सभी अधिकारी/कर्मचारी नियमित सेवा में है । 05 अधिकारी/ कर्मचारी विभिन्न विभागों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ है तथा 07 कर्मचारी मंत्रालय एवं अन्य कार्यालयों में संलग्नीकरण में पदस्थ है। संस्थान में राज्य शासन के नियमानुसार कर्मचारियों के लिये समयमान वेतनमान योजना लागू है। रिक्त पदों पर पदोन्नति अथवा पात्र कर्मचारियों को समयमान वेतनमान हेतु शासन के नियमानुसार विभागीय पदोन्नत समिति की बैठके नियमित अंतराल में आयोजित की जाती है।

भाग–तीन

अ एवं ब **राज्य योजनाऐं एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाऐं** :–

स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग को प्रदेश में संचालित दो प्रमुख योजनाओं हेतु नोडल एजेन्सी घोषित किया गया था। स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग द्वारा इन योजनाओं मे से वर्तमान में आई.डी.एस.एम.टी. योजना एवं सूचना प्राद्योगिकी योजना का संचालन किया जा रहा है ।

(1) छोटे तथा मझोले नगरों की एकीकृत विकास योजना (आईडीएसएमटी) वर्ष 1995–96 में लागू की गई तथा वर्ष 2004–05 तक अनुदान योजनान्तर्गत 97 नगरों की योजनाऐं जिनकी स्वीकृति लागत रू. 14370.49 लाख है, का कियान्वयन किया जा रहा है ।

इन 97 नगरों में संभागवार नगरों की संख्या हैः– (1)चंबल संभाग–3 नगर, (2) ग्वालियर संभाग–6 नगर, (3) उज्जैन संभाग–16 नगर,(4) इंदौर संभाग–9 नगर, (5) होशंगाबाद संभाग– 2 नगर, (6) सागर संभाग–15 नगर, (7) रीवा संभाग– 18 नगर, (8) जबलपुर संभाग– 12 नगर,(9) भोपाल संभाग –16 नगर

वर्ष 1995–96 से वर्तमान वित्त वर्ष तक कुल मुक्त राशि रू. 8614.81 लाख (केन्द्राश रू. 4501.19 लाख +राज्यांश 4133.62 लाख) है। वर्तमान वित्त वर्ष में अधूरे कार्य को पूर्ण करने हेतु बजट में कोई राशि प्रावधानित नहीं की गई है। योजनान्तर्गत नगरीय निकायों द्वारा 94 नगरों हेतु कुल सूचित व्यय रू. 8484. 52 लाख है, जो कि 98.48 प्रतिशत है । वर्ष 2005 मै आईडीएसएमटी योजना यूआईडीएसएसएमटी योजना में समाहित की गई है ।

स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग द्वारा आईडीएसएमटी योजनान्तर्गत स्वीकृत नगरों की योजना घटकों का विस्तृत वास्तुविदीय कार्य किया गया इसके अन्तर्गत वाणिज्यिक, बस स्टैण्ड, आवासीय, उद्यान, कम्यूनिटी हॉल, स्टेडियम, ऑफिस काम्पलेक्स, सब्जी मार्केट जैसे अन्य विकास कार्य शामिल है । योजनानतर्गत विगत वर्षो में उपयोगिता केवल 98.82 प्रतिशत थी जो गत एक वर्ष में बढ़कर लगभग 99.39 प्रतिशत से अधिक हो गई है।

वर्ष 2016–17 में आईडीएसएमटी योजनान्तर्गत धनपुरी, उदयपुरा, कानड नगरों की लगभग रू. 100.00 लाख आईडीएसएमटी योजना घटकों का वास्तुविदीय कार्य तथा रिवाल्विंग फंड के अंतर्गत पनागर, गोविंदगढ़, उदयपुरा नगरों की लगभग रू. 90.00 लाख योजनाओं का विस्तृत वास्तुविदीय कार्य संपादित किया गया। वर्ष 2016–17 में आई.डी.एस.एम.टी. योजना के अंतर्गत रिवॉल्विंग फंड की कुल 8 नगरों के 10 योजना घटकों की रू. 362.10 लाख की योजनायें तैयार कर संस्थाओं को प्रेषित की गई।

5 नगरों के उपयोगिता प्रमाण पत्र कुल केन्द्रांश रू. 94.643 लाख तथा राज्यांश रू. 60.269 लाख कुल रू. 154.912 लाख के केन्द्र सरकार को भेजे गये एवं 3 नगरों के उपयोगिता प्रमाण पत्र रू. 130.99 लाख के तैयार किये गये।

(2) **<u>सूचना प्राद्योगिकी</u> :–**

म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग को नोडल एजेन्सी घोषित किये जाने के फलस्वरूप संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश के लिये सूचना प्राद्योगिकी के अंतर्गत प्रथम चरण मे 04 नगरों को सम्मिलित किया गया है जो निम्नानुसार है :–

1. इंदौर, 2. ग्वालियर, 3. भोपाल, 4. जबलपुर

संचालनालय द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2015–16 में कुल राशि **रू. 9.34 लाख** अभी तक उपलब्ध कराया गया है।

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश की web based Application का कार्य मैसर्स वायमटेक प्रा.लि. को दिया गया है । उनके द्वारा एस आर एस प्रस्तुत किया गया है। वेब बेस्ड एप्लीकेशन के साफ्टवेयर को विकसित कर क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2015–16 में किये गये प्रमुख कार्य निम्नानुसार है :–

- भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर जिला कार्यालय में ऑनलाईन आवेदन (भू–उपयोग प्रमाण पत्र एवं विकास अनुज्ञा) लिया जाना प्रारंभ किया गया। (अल्पास साफ्टवेयर के द्वारा)।
- एम.पी.डी.सी. डाटा सेंटर में संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश का सर्वर स्थापित कर प्रारंभ किया गया।
- भोपाल में हुजूर तहसील तथा इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर नगर के निवेश क्षेत्र का डिजिटल खसरा मेप (मोजाइक तथा जियोरिफरेंस कर) तैयार कराया गया।
- भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर नगरों के जिला कार्यालय में वर्ष 1990 से मार्च, 2013 तक जारी की गई विकास अनुज्ञा के स्केनिंग का कार्य पूर्ण कर संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश की वेबसाईट पर अपलोड कर दिया गया है
- इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर नगरों के डिजिटल भू–उपयोग मेप तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।
- भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर जिला कार्यालय (नगर तथा ग्राम निवेश) में जारी विकास अनुज्ञाओं को जियोरिफरेंस कर डिजिटल भू–उपयोग मेप में सुपर इम्पोज कराया जा रहा है।
- नगर तथा ग्राम निवेश के 2 मेप थ्री डी साफ्टवेयर को अपग्रेड कराकर 1 सर्वर में तथा जिला कार्यालय भोपाल में स्थापित किया गया है।
- संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश के आर्क जी.आई.एस. साफ्टवेयर को अपग्रेड कराकर संचालनालय में स्थापित किया गया।

(स) <u>विश्व बैंक की सहायता से चलायी जाने वाली योजनाऐं:–</u> निरंक

(द) <u>विदेशी सहायता प्राप्त योजनाऐं/परियोजनाऐं:–</u> निरंक

(ई) <u>अन्य योजनाऐं /राज्य शासन द्वारा सौपे गये कार्य :–</u>

1. स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग द्वारा कई नगरीय निकायों की स्व वित्तीय योजनाऐं भी तैयार की जा रही है ।
2. वर्ष 2013–14 में आई.डी.एस.एम.टी.योजनान्तर्गत प्रदेश के नगरीय निकायों की रिवाल्विंग फण्ड में जमा पूँजी से विभिन्न योजनाऐं तैयार करने का कार्य भी हाथ में लिया गया है, 29 नगरों द्वारा योजना तैयार करने के प्रस्ताव संस्थान को प्राप्त हुये है।
3. योजनांतर्गत 14 नगरों के विभिन्न घटकों का कार्य 10 निजी वास्तुविदों को दिया गया है योजना तैयार करने हेतु आवश्यक जानकारी/कार्यवाही की जा रही है।

4. वर्ष 2014–15 में संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा 10 नगरों क्रमशः चित्रकुट, झाबुआ, खरगोन, खजुराहों, नेपानगर, कैमोर, अमरपाटन, धनपुरी, ओबेदुल्लागंज एवं आष्टा नगरों की विकास योजना तैयार करने का कार्य संस्थान को सौपा गया है। इस हेतु संचालनालय द्वारा वर्ष 2015–16 में रू. 7.50 लाख संस्थान को उपलब्ध कराया गया है। संस्थान द्वारा विकास योजना का कार्य निजी सलाहकारों के माध्यम से कराया जा रहा है। चित्रकुट एवं खजुराहो का प्रारूप विकास योजना नगर तथा ग्राम निवेश को प्रेषित कर दिया गया है तथा खरगोन व झाबुआ नगरों के Inception रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। शेष नगरों की विकास योजना तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।
5. राजधानी परियोजना प्रशासन डिवीजन क्रमांक–1, विधानसभा कंट्रोलर तथा खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग से प्राप्त विभिन्न योजनाओं के वास्तुविदीय कार्यो के संपादन हेतु अनुबंध किये जा चुके हैं। यह कार्य संस्थान के पेनल ऑफ कंसलटेंट में शामिल निजी सलाहकारों के माध्यम से कराये जा रहे हैं। अभी तक लगभग रू.22.00 लाख के शुल्क कार्य संपन्न किये जा चुके हैं।
6. ग्वालियर चम्बल एग्रो रिजल प्लान तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।
7. राज्य शासन द्वारा स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग के कार्यकलापों/आय में वृद्धि के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण कार्य संस्थान को सौपे गये है :–

   I प्रदेश के विकास प्राधिकरणों के वार्षिक बजट का परीक्षण कर शासन को अग्रेषित करना तथा नवगठित विकास प्राधिकरणों के वार्षिक बजट तैयार करना। वर्ष 2016–17 में संस्थान द्वारा 09 विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के वार्षिक बजट का परीक्षण कर राज्य शासन की ओर प्रेषित किये गये। वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान नवगठित विकास प्राधिकरणों को कार्य संचालन के लिये संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश के माध्यम से राशि **रू. 139.98 लाख** सहायता अनुदान स्वीकृत कराया गया।

   II विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की समस्त योजनाओं का तकनीकी परीक्षण कर शासन को प्रेषित करना। इसके अंतर्गत भोपाल विकास प्राधिकरण की एफोर्डेवल योजना का परीक्षण किया गया कुछ संस्थाओं की योजनाओं का परीक्षण किया जा रहा है। कटनी विकास प्राधिकरण की 8.5 हेक्टेयर योजना हेतु अभिन्यास तैयार किया गया। कई नवगठित विकास प्राधिकरणों एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में आवासीय एवं वाणिज्यिक योजना तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है।

   III Aनगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत उपान्तरण की
   योजनाओं का परीक्षण करना। 31 दिसम्बर, 2016 तक कुल 121 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें से 113 प्रकरणों का विधि अनुसार परीक्षण कर सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित किये गए तथा 8 प्रकरण विचाराधीन है।

III B राज्य शासन द्वारा विकास अनुज्ञा हेतु धारा 16 के अन्तर्गत प्रकरणों के परीक्षण

का कार्य इस संस्थान को सौपा गया है। 31 दिसम्बर, 2016 तक संस्थान में कुल प्राप्त प्रकरणों की संख्या 63 थी जिनमें से 24 प्रकरणों को पूर्ण किया गया तथा 39 प्रकरण विचाराधीन है।

IV विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों/म.प्र. गृह निर्माण मण्डल/राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा तैयार की गई योजनाओं के Environmental Impact Assessment का परीक्षण करना। इसके अंतर्गत ई.आई.ए. कंसलटेंट के इम्पेनलमेंट का पेनल बनाया गया है। अभी तक इंदौर विकास प्राधिकरण की 3 योजनाओं, भोपाल विकास प्राधिकरण की 2 योजनाओं म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल की 6 योजनाओं तथा राजधानी परियोजना की योजनाओं हेतु सलाहकारों को नियुक्त कर LoA जारी किये गये हैं।

भोपाल विकास प्राधिकरण की नवीबाग अर्फोडेबल हाउसिंग योजना को SEAC के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यू एम.एल.ए. रेस्ट हाउस की योजना की रिपोर्ट SEIAA में जमा की गई, नवीन वन भवन की रिपोर्ट SEIAA में ऑनलाईन जमा की गई। साथ ही गृह निर्माण एवं अधोसरंचना विकास मंडल की 450 बिस्तरों का अस्पताल, उज्जैन एवं अयोध्या एक्सटेंशन योजना हेतु **एसेन्सों इन्वायरो** को कार्यादेश दिया गया। भोपाल विकास योजना की ऐरो सिटी योजना की पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त हुई। वन विभाग के वन भवन योजना की जल तथा वायु सहमति प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी गई। म0प्र0 गृह निर्माण मण्डल की बैरागढ़ चीचली एफोर्डेबल हाउसिंग योजना की पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त हुई। म0प्र0 गृह निर्माण मण्डल की कटारा हिल्स आवासीय योजना की पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त हुई एवं म0प्र0 गृह निर्माण मण्डल की अफोर्डेबल योजना महाबड़िया को ऑनलाईन SEIAA में आवेदन किया गया।

V सिंहस्थ, 2016 के अभिन्यास/नियोजन तैयार किये जाने एवं प्रस्तावित मेला क्षेत्र में भूखंडो के आवंटन ले–आउट कार्य प्रारंभ करने तथा भूखंडो के अंदर वास्तुविदीय नियोजन कार्य किया गया है। इस कार्य में माह नवम्बर, 2015 से संस्थान के 6 अधिकारी/कर्मचारी निरंतर कार्यरत रहे तथा उज्जैन में रहकर कार्य संपादित किया गया।

VI संस्थान के 12 तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को समयमान वेतनमान के अंतर्गत प्रथम/द्वितीय उच्चतर वेतनमान स्वीकृत करने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक का आयोजन किया गया तथा समिति की अनुशंसाओं के अनुसार कर्मचारियों को पात्रता के दिनांक से समयमान वेतनमान स्वीकृत किया गया तथा 1 कर्मचारी की विभागीय जॉच का निराकरण किया गया तथा 2 कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण के निराकरण की कार्यवाही की गई।

VII वर्ष 2015–16 में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्यक्रम के कार्य हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेशानुसार संस्थान के 12 कर्मचारी निरंतर बी.एल.ओ. के कार्य हेतु संलग्न है।

VIII नगर तथा ग्राम निवेश की नगर विकास योजनान्तर्गत नगरों की विकास योजना /जोनल प्लान तैयार करना।

IX विकास प्राधिकरणों के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण/क्षमता वृद्धि हेतु प्रशिक्षण कैलेण्डर तैयार करना तथा विभिन्न विषयों पर कार्यशालायें आयोजित करना।

संस्थान द्वारा प्राप्त प्रस्तावों अनुसार उपरोक्त कार्यो का सम्पादन किया जा रहा है।

भाग–चार

सामान्य प्रशासनिक विषय :–

स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग द्वारा पूर्व में यू आई डी एस एस एम टी योजनान्तर्गत आयोजित किये गये विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन से यह अनुभव किया कि संस्थाओं के कुशल कार्य संचालन तथा योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिये यह आवश्यक है कि विकास प्राधिकरणों में क्षमता वृद्धि के लिये प्रतिवर्ष विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिये एक प्रशिक्षण मॉडयूल तैयार किया जाना अति आवश्यक है। इसी क्रम में स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग द्वारा विकास प्राधिकरणों के लिये विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण हेतु एक प्रशिक्षण कैलेण्डर तैयार किया गया है, जिसके अनुसार विगत वर्षो में विभिन्न विषयों पर कुल 09 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये तथा प्रदेश के विकास प्राधिकरणों तथा संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये आगामी वर्ष में कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना प्रस्तावित है।

भाग–पांच

अभिनव योजना :– स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश के लिये सलकनुपर विकास योजना तैयार करने का कार्य पूर्ण किया गया। इसके अलावा 10 नगरों की विकास योजना तथा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण ग्वालियर काउंटर मेग्नेंट की योजना तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।

भाग–छः

स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग द्वारा सदस्य संस्थाओं को तकनीकी मार्गदर्शन व सहयोग प्रदान करने की दृष्टि से EXECUTION, OPERATION & MAINTENANCE OF WATER SUPPLY पर मार्गदर्शिका मुद्रित कर नगरीय निकायों को उपलब्ध कराई गई है जो यू. आई.डी.एस.एस.एमटी. योजना के क्रियान्वयन में सहायक सिद्ध होगी। स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग द्वारा आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा वर्ष 1977 से वर्ष 2012 तक विकास प्राधिकरणों के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों का संकलन किया जाकर राज्य शासन तथा सभी विकास प्राधिकरणों को उपलब्ध कराया गया है।

संस्थान द्वारा **Land Pooling Scheme** विषय पर तथा **EASE OF DOING BUSINESS** विषय पर कार्यशालायें आयोजित की गई।

भाग–सात

राज्य महिला नीति एवं कार्य योजना

राज्य महिला नीति की कार्ययोजना के पालन में राज्य महिला आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं पर संस्थान द्वारा अमल किया जा रहा है। महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिंक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिशेध एवं प्रतितोषण) अधिनियम, 2013 एवं नियम 2013 के कियान्वयन के संबंध में म.प्र. शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, भोपाल के पत्र दिनांक 11.2.2014 के परिपालन में संस्थान द्वारा आदेश दिनांक 26.2.2014 द्वारा एक पॉच सदस्यीय ''**आतरिक परिवाद समिति**'' का गठन किया गया है। स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग में कार्यरत महिलाओं के लिये समुचित प्रसाधन व्यवस्था की गई है। उनके बैठने के लिये पर्याप्त एवं उपयुक्त स्थान निर्धारित है ।

स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग में महिला उत्पीडन से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत दर्ज नहीं है। संस्थान में महिला कर्मियों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिये एक महिला अधिकारी श्रीमती वर्षा जैन, सहायक वास्तुविद को ''**आतरिक परिवाद समिति**'' का पीठासीन अधिकारी नामांकित किया है । वर्तमान में संस्थान में कुल– 13 महिला कर्मी कार्यरत है ।

भाग–आठ

सारांश– आगामी वर्ष की योजनाऐं व कार्यक्रम

1. आगामी वर्ष में राज्य नगर नियोजन संस्थान द्वारा आईडीएसएमटी योजनान्तर्गत नगरों के शेष योजना घटकों के वास्तुविदीय कार्य।
1. नगरीय निकायों की स्वयं वित्तीय योजनाओं का वास्तुविदीय कार्य किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही 4 नगरों की सूचना प्रौद्योगिकी का कार्य।
2. प्रदेश के 10 विकास प्राधिकरणों तथा 5 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के वार्षिक बजट का परीक्षण कर शासन को अग्रेषित करना तथा नवगठित विकास प्राधिकरणों के लिये वित्त प्रबंधन।
3. विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की समस्त योजनाओं का तकनीकी परीक्षण कर शासन को प्रेषित करना। इसके अन्तर्गत प्राधिकरणों को ई. डब्लू.एस./एल.आई.जी आवास बनाने के लिये रियायती दर पर शासकीय भूमि के संबंध में योजनाओं का परीक्षण करना तथा योजनाओं का ले–आउट तैयार करना।
4. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत उपान्तरण हेतु प्राप्त होने वाले प्रस्तावों/ योजनाओं का परीक्षण करना।
5. विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों/म.प्र. गृह निर्माण मण्डल/ राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा तैयार की गई योजनाओं के Environmental Impact Assessment का परीक्षण करना। इसके अंतर्गत इंदौर विकास प्राधिकरण

की 5, भोपाल विकास प्राधिकरण की 2 योजनाओं, राजधानी परियोजना प्रशासन की 2 वन विभाग की 1 तथा म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसरंचना विकास मंडल की 6 योजनाओं का कार्य पूर्ण करना भी शामिल है।

6. नगर तथा ग्राम निवेश की नगर विकास योजनान्तर्गत नगरों की विकास योजना /जोनल प्लान तैयार करना। इसके अंतर्गत 10 नगरों जिनका कार्य प्रगति पर है, को पूर्ण करना भी शामिल है।

7. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा–16 के अंतर्गत प्रकरणों का परीक्षण किया जाना।

8. संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश की वेब बेस्ड एप्लीकेशन के साफ्टवेयर का कार्य। इसके अंतर्गत भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर नगरों हेतु विकास अनुज्ञा/विकास अभिमत एवं भू–उपयोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन ऑनलाईन लेना, जारी करना एवं साफ्टवेयर के माध्यम से अभिन्यास का परीक्षण।

9. भोपाल,इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर जिला कार्यालयों के डिजिटल भूमि उपयोग तैयार करने का कार्य।

10. भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर जिला कार्यालयों के वर्ष 1990 से 2013 तक जारी की गई विकास अनुज्ञा के स्केनिंग तथा कम्प्यूटरीकरण का कार्य।

11. विकास प्राधिकरणों के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण हेतु तैयार किये गये प्रशिक्षण कैलेण्डर तैयार करना तथा विभिन्न विषयों के प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा कार्यशाला आयोजित करना।

12. वर्ष 2012–13 में आई.डी.एस.एम.टी. योजनान्तर्गत प्रदेश के नगरीय निकायों की रिवाल्विंग फण्ड में जमा पूँजी से विभिन्न योजनाऐं तैयार करने का कार्य भी हाथ में लिया गया है, इसके अंतर्गत 30 नगरों की 40 योजना घटक तैयार करने का प्रस्ताव है।

आगामी वर्ष में नगरीय निकायों पर संस्थान की विभिन्न मदों में देय बकाया राशि जो कि लगभग रू. 1.00 करोड़ से अधिक है, की अधिकतम वसूली का लक्ष्य है।

संस्थान द्वारा आवश्यकतानुसार उपरोक्त कार्य के निष्पादन तथा योजनाओं को तैयार करने/परीक्षण हेतु निजी सलाहकारों की सेवायें ली जाना प्रस्तावित है। इस हेतु पैनल ऑफ कन्सल्टेंट बनाया गया है। सलाहकारों की नियुक्ति/चयन हेतु एक निश्चित प्रक्रिया तथा सुस्पष्ट नीति तैयार की गई है। संस्थान का प्रयास यह है कि अधिकांश कार्य "इन हाउस" किये जाये।

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा भू–उपयोग उपांतरण, विकास योजना, सूचना प्रौद्योगिकी के कार्य इस संस्थान के माध्यम से कराये जा रहे हैं। विगत माहों में नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973, भूमि विकास नियम 1984 में किये गये व्यापक संशोधनों के परिपेक्ष्य में कई कार्य स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग के माध्यम से कराये जाने का प्रस्ताव है। इससे संचालनालय को कार्य संचालन में सहायता तथा विकास प्राधिकरणों के मध्य समन्वय स्थापित हो सकेगा व

स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग के कार्य संचालन में आ रही कठिनाईयों का निदान संभव हो सकेगा।

उक्त वर्णित स्थितियों के प्रकाश में स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग के मेमोरेन्डम में संस्था का नाम, पता, लक्ष्य तथा उद्देश्यों एवं विनियमों में परिभाषा, लक्ष्य व उद्देश्य, सदस्यता, एसोसिएशन के पदाधिकारी, साधारण सभा/कार्यकारिणी समिति के गठन संबंधी कण्डिकाओं में यथोचित संशोधन किया गया है।

म.प्र. गृह निर्माण एवं अधांसेरचना विकास मण्डल

भाग – एक

अधीनस्थ कार्यालय (1) उपायुक्त (वृत्त कार्यालय) –सिविल (सात)/ विद्युत (एक)
(2) संभागीय कार्यालय सिविल– (सत्ताईस) / विद्युत (तीन)
(3) उप संभागीय कार्यालयऋ सिविल (चौसठ)/विद्युत वृत्तवार

दृष्टिकोण

1 मंडल का हितग्राहियों के प्रति दृष्टिकोण :
- अ हितग्राहियों के लिये सुन्दर, सदृढ़ व किफायती मूल्य पर भवन निर्मित करना।
- ब जनता को आधुनिक कम लागत के निर्माण की तकनीक से अवगत कराना।
- स परियोजनायें समय पर बिना मूल्य वृध्दि के पूर्ण करना।
- द योजनाओं में आवंटियों को पूर्ण संतुष्टि देना।

2 मंडल का शासन के प्रति दृष्टिकोण :
- अ शासन की नीति के अनुसार गरीब कमजोर एवं मध्यम वर्ग के हितग्राहियों के लिये योजनाओं का क्रियान्वयन तथा शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति।
- ब शासन पर वित्तीय भार को शून्य करना और यथासंभव पूरे ब्याज का भुगतान करना।
- स शासन की नीतियों, निर्देशों एवं योजनाओं का कार्यान्वयन।

3 मंडल का अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति दृष्टिकोण :
- अ मंडल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति निष्पक्ष एवं स्वच्छ, पारदर्शी वातावरण सुनिश्चित करना। प्रशिक्षण देकर उत्थान के अवसर प्रदान करना।
- ब मानव संसाधन विकास की सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को लागू करना।
- स. अच्छो कार्य करने वाले अधिकारियों को पुरूस्कृत करना।

मण्डल के उद्देश्य

1 वर्ष वार निर्धारित कार्य योजना को मूर्त रूप देना, प्रशासकीय व्यय कम करना, किफायती मूल्य के भवन निर्माण के मार्गदर्शी सिद्धांतो को अमल में लाना।

2 भवन निर्माण में फ्लाई ऐश ईंटो तथा भवन सामग्री का उपयोग एवं पर्यावरण अनुकूल नवीन तकनीकी एवं किफायती मूल्य के भवनों का निर्माण एवं विकास कार्य सुनिश्चित करना।

3 समाज के सभी वर्गों हेतु आवासों एवं भूखण्डों का निर्माण/विकास।

4 अन्य विभागों/संस्थाओं हेतु निक्षेप योजनान्तर्गत निर्माण कार्य संपादित करना।

5 वेब साइट के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराना।

1 स्थापना

मध्यप्रदेश में म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल की स्थापना वर्ष 1960 में हुई, एवं आवास स्थान की आवश्यकता के संबंध में कार्यवाही करने तथा उस आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु तथा अधोसंरचना विकास का दायित्व लेने हेतु उपाय करने के प्रयोजन के लिए मध्यप्रदेश राज्य में गृह निर्माण और अधोसंरचना विकास मण्डल की निगमन और विनियमन के लिए तथा उससे संबंधित कार्यो के लिए उपबंध करने हेतु मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल संशोधन अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यरत है। मण्डल की स्थापना प्रदेश की आवासीय समस्याओं के निराकरण की दृष्टि से आवासहीन व्यक्तियों के लिये आवास गृहों के निर्माण एवं आवासीय भूखंडों को विकसित कर नागरिक सुविधाओं सहित उपलब्ध कराने के उददेश्य से की गई है। नागरिकों की आवासीय सुविधा के साथ–साथ बोर्ड द्वारा केन्द्र सरकार, मध्यप्रदेश शासन, अर्द्धशासकीय संस्थाओं, निगमों, मण्डलों, बैंकों, सहकारी समितियों के भवन निर्माण संबंधी कार्य डिपाजिट कार्य के अन्तर्गत संपन्न कराये जाते हैं। मण्डल की आवासीय योजनाओं में शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण का पालन किया जाता है।

2 निर्माण एवं विकास कार्य

मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल की स्थापना से मार्च 2016 तक विभिन्न आय वर्ग श्रेणियों के लिये 171295 आवास गृह तथा 157316 भूखण्डों का निर्माण एवं विकास किया गया है। भूखंड एवं भवनों के अतिरिक्त अन्य सम्पत्ति जैसे आफिस काम्पलेक्स, शापिंग सेन्टर, वाणिज्यिक क्षेत्र तथा लोकोपयोगी भवन का निर्माण भी कराया गया है।

म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल अपनी आवासीय गतिविधियों के साथ–साथ केन्द्र शासन, राज्य शासन एवं उनके उपक्रमों हेतु निर्माण कार्य सम्पादित करता है। इस क्रम में मण्डल द्वारा केन्द्र शासन हेतु केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, इसरो एवं राज्य शासन हेतु आदिमजाति कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग पर्यटन विभाग, पुलिस विभाग, प्रदेश के विभिन्न विश्व विद्यालयों हेतु निर्माण कार्य निष्पादित किये हैं।

भाग – 2

मण्डल की विगत पाँच वर्षों की भौतिक एवं वित्तीय प्राप्तियां निम्नानुसार रही :–

(1) भवन निर्माण

क्रमांक	विवरण	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
1.	ई.डब्ल्यू.एस.	310	1048	910	885	1066
2.	एल.आई.जी.	734	570	640	571	566
3.	एम.आई.जी.	398	265	340	344	319
4.	एच.आई.जी.	462	271	404	485	246
	कुल	1904	2154	2294	2245	2197

2) भूखण्ड विकास

क्रमांक	विवरण	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
1.	ई.डब्ल्यू.एस.	531	542	887	704	515
2.	एल.आई.जी.	345	472	753	499	643
3.	एम.आई.जी.	503	523	611	335	444
4.	एच.आई.जी.	355	300	288	207	271
	कुल	1734	1837	2539	1745	1873

(3) मण्डल का वित्तीय स्थिति

राशि रू.करोड़ में

क्रमांक	विवरण	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17 प्रस्तावित
1.	सम्पत्ति का विक्रय एवं निक्षेप कार्यो पर व्यय	550.27	453.72	773.00	790.00	834.00

(4) स्वीकृत परियोजनाएँ

राशि रू.लाख में

क्रमांक	विवरण	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17 दिसम्बर 2016 तक
1.	मण्डल द्वारा स्वीकृत परियोजनायें	14142.00 (9)	22890.00 (23)	96734.90 (14)	178451.51 (60)	113672.91 (35)

(5) प्रशासनिक व्यय

राशि रू.लाख में

क्रमांक	विवरण	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17

						दिसम्बर 2016 तक
1.	प्रशाासनिक व्यय	8440.00	6809.00	6500.00	8893.00	7200.00

वर्ष 2017–18 हेतु आवासीय कार्य योजना

वर्ष	भवन	भूखण्ड	भू–अर्जन (हैक्टेयर)	वित्तीय स्थिति (रू. करोड़ में)	स्वीकृत परियोजनाएँ (रू.करोड़ में)	प्रशासनिक व्यय (रू.करोड़ में)
2017–18 (अनुमानित)	8000	1400	650.00	970.00	490.00	111.64

मंडल का कम्प्यूटराईजेशन

(1) मंडल के ऑनलाईन साफ्टवेयर का **NICSI,New Delhi** से पंजीकृत संस्था से अंकेक्षण करा कर **ISO 9001:2015** प्राप्त किया गया ।

(2) एम.पी. ऑन लाईन के माध्यम से ई–पंजीयन एवं ई–ऑफर की सुविधा प्रारंभ की गई दिनांक 31/12/2016 तक मण्डल को निम्नानुसार पंजीयन राशि प्राप्त हुई।
कुल ई–पंजीयन–6048 राशि प्राप्त – रू 79,61,60,630

कुल ई–ऑफर – 2605 राशि प्राप्त – रू 44,57,36,825

(3) मंडल की योजनाओ की प्रगति की समीक्षा हेतु **Mobile application** विकसित कर लोकार्पित किया गया ।

(4) कम्प्यूटराईजेशन के अंतर्गत एवं ऑन लाईन पंजीयन/ऑफर हेतु **1,67,639** एस.एम. एस. भेजे गये।

(5) **(i)** मण्डल के सभी उप संभागों (72) को भी कम्प्यूटर, प्रिटर एवं इन्टर नेट सुविधा उपलब्ध कराई गई।
(ii) मण्डल मुख्यालय में लगभग 125 कम्प्यूटर,4 लेपटाप में 02 एम.बी.पी.एस. की लीजलाईन उपलब्ध कराई गई।
(iii) मंडल मुख्यालय को **Wi-Fi** किया गया ।

(6) मण्डल की वेबसाइट **www.mphousing.in** को यूनिकोड तकनीक आधारित हिन्दी में उपलब्ध कराई गई।

(7) मण्डल की कार्य प्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाने एवं सभी कार्यो के समयबद्ध व सुचारू रूप से निष्पादन हेतु कम्प्यूटराईजेशन कार्य को अंतिम रूप देते हुये शेष 4 और मोड्यूलस को ऑन लाईन किया गया है।

(8) मण्डल के अधिकारियों/कर्मचारियों की कार्य कुशलता बढ़ाने हेतु समय–समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मण्डल द्वारा 50 अधिकारियों/कर्मचारियों को इन हाउस प्रशिक्षण दिया गया।

(9) म.प्र. शासन की ई–मेल नीति को मन्डल द्वारा अंगीकार कर मुख्यालय एवं मैदानी कार्यालयो में पदस्थ अधिकारियों हेतु ई–मेल आई,डी, बनाकर सतत उपयोग किया जा रहा है।

माननीय न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों का विवरण ––

अनु.क्र.	न्यायालयों का नाम	प्रकरणों की संख्या	निर्णित प्रकरणों की संख्या
1.	मान. सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली	74	18
2.	मान. राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग नई दिल्ली	39	08
3.	मान. उच्च न्यायालय जबलपुर	622	31
4.	मान. उच्च न्यायालय ग्वालियर	244	30
5.	मान. उच्च न्यायालय इंदौर	187	12

कस्टमर ग्रिवेन्स रिड्रेसल सेल

म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल मे कस्टमर ग्रिवेन्स रिड्रेसल सेल की स्थापना जनवरी–2003 को हुई। इसकी स्थापना का उद्देश्य मंडल के हितग्राहियों एवं मंडल से संबंधित जनसामान्य की शिकायतों का त्वरित निराकरण करना है।

इस सेल की स्थापना से दिसम्बर 2016 तक 3106 शिकायतें मंडल के हितग्राहियों से म.प्र. शासन के जन शिकायत निवारण विभाग से एवं अन्य विभागों से प्राप्त हुई, उनमें से 2795 अर्थात 90 प्रतिशत शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है।

गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ

मंडल द्वारा अपने निर्माण कार्यों को निर्धारित गुणवत्ता के साथ निष्पादन की सुनिश्चितता हो, इस उद्देश्य से गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ का गठन मुख्यालय स्तर पर किया गया है। गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ द्वारा मंडल के विभिन्न स्थानों पर निर्माण कार्यो का निरीक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य शासकीय विभागों से सेवानिवृत्त अधीक्षण यंत्री, मुख्य अभियंता एवं प्रमुख अभियंता की सेवायें भी मण्डल के निर्माण कार्यों कि गुणवत्ता बनाये रखने हेतु क्वालिटी मानिटर्स के रुप में ली जा रही है। निरीक्षण के अंतर्गत प्रकोष्ठ द्वारा जारी की जाने वाली निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर आवश्यक कार्यवाही की जाती है। मुख्य तक. परीक्षक (सर्त.) म.प्र. शासन द्वारा भी समय समय पर निरीक्षण किया जाता है, तथा उनकी अनुशंसाओं का पालन मण्डल द्वारा किया जाता है।

मंडल द्वारा योजनाओं का क्रियान्वयन

मण्डल द्वारा उद्देश्यों की पूर्ति एवं जनसामान्य को आवासीय भवन एवं भूखण्ड उपलब्ध कराने की दृष्टि से इस वर्ष 35 योजनायें जिनकी लागत रू. 1136.72 करोड़ है स्वीकृत की गई हैं।

महत्वपूर्ण आवासीय योजनाओं वर्ष 2016–17 में स्वीकृत निविदाओं की जानकारी(दिसम्बर 2016 तक

क.	कार्य का नाम	निविदा राशि (लाख में)
1	2	4
1	वृत्त कमांक–1 भोपाल (अटल आश्रय योजना)	
अ	नेवरी जिला भोपाल में 72 एल.आई.जी. (पी+3), 12 ई.डब्ल्यू.एस. (पी+3), 5 दुकानें एवं 0.534 हैक्टेयर भूमि का विकास कार्य।	577.13
	योग	577.13
2	वृत्त–2 भोपाल (स्वयं वित्तीय योजना)	
अ	सफायर पार्क सिटी कटारा हिल्स भोपाल में 50 ए–टाईप, 80 बी–टाईप, 38 सी–टाईप (168) विलास का निर्माण कार्य एवं 14 एकड़ भूमि का विकास कार्य।	4502.69
	योग	4502.69
3	वृत्त–ग्वालियर (स्वयं वित्तीय योजना)	
अ	कांदबरी नगर डोंगरपुर पुतलीघर ग्वालियर में 19 एम.आई.जी.	3252.81

	डीलक्स, 42 एम.आई.जी. सीनियर, 79 एम.आईकृजी. जूनियर, 80 एल.आई.जी. सीनियर, 53 ई.डब्ल्यू.एस. एवं 9.125 हैक्टेयर भूमि का विकास कार्य।	
ब	दर्पण कालोनी (गेस्ट हाउस) थाटीपुर ग्वालियर में कावेरी इन्क्लेव (पी+6) एवं विकास कार्य।	533.58
	योग	3786.39
	(अटल आश्रय योजना)	
स	आनंदम नगर ईसागढ़ अशोक नगर में 56 एल.आई.जी., 40 ई. डब्ल्यू.एस. 10 दुकानें एवं 3.67 हेक्टेयर भूमि का विकास कार्य।	607.47
द	अवंती नगर गुना में 55 एल.आई.जी., 91 ई.डब्ल्यू.एस., 12 दुकानें एवं 1.672 हेक्टेयर भूमि का विकास कार्य।	733.62
इ.	तात्या टोपे नगर नौवरी खुर्द शिवपुरी में 114 एल.आई.जी., 347 ई. डब्ल्यू.एस., 10 दुकानें एवं 5.00 हेक्टेयर भूमि का विकास कार्य।	1962.71
फ.	रामेश्वर नगर श्योपुर में 134 एल.आई.जी., 117 ई.डब्ल्यू.एस.एवं 3. 55 हेक्टेयर भूमि का विकास कार्य।	1333.50
	योग	4637.30
4	वृत्त–जबलपुर (स्वयं वित्तीय योजना)	
अ	सिंकदरा वारासिवनी बालाघाट में 32 एम.आई.जी. डीलक्स, 15 एम.आई.जी. सीनियर का निर्माण कार्य।	523.87
	योग	523.87
	अटल आश्रय योजना	
ब	श्री परिसर पडवारा कटनी में 36/120 ई.डब्ल्यू.एस. (जी+2), 16/80 एल.आइ.जी. (जी+1), 48/80 एल.आई.जी. (जी+2) एवं 9 दुकानों का निर्माण कार्य।	435.69
	योग	435.69
5	वृत्त–रीवा (अटल आश्रय योजना)	
अ	अमलतास छतरपुर में 300 ई.डब्ल्यू.एस., 142 एल.आई.जी, 12 दुकानें एवं विकास कार्य।	2113.06
ब	कृपालपुर सतना में 33 ई.डब्ल्यू.एस., 48 एल.आई.जी, 7 दुकानें एवं 1.215 हैक्टेयर भूमि का विकास कार्य।	571.67
	योग	2684.73

6	वृत्त–उज्जैन (स्वयं वित्तीय योजना)	
अ	बाबा बैजनाथ नगर आगर मालवा में 16 एल.आई.जी.–बी, 2 एल. आई.जी.–बी–1, 18 ई.डब्ल्यू.एस.बी–2, 40 ई.डब्ल्यू.एस.बी.–1 एवं विकास कार्य।	786.03
	योग	786.03
	स्वयं वित्तीय योजना का योग अटल आश्रय योजना का योग महायोग	9598.98 लाख 8334.85 लाख 17933.83 लाख

म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल की स्वयं की महत्वपूर्ण निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित आवासीय योजनाओं की जानकारी

उपरोक्त योजनाओं के क्रियान्वयन से प्रदेश के विकास/रोजगार/अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण होगा जिससे निवेशकर्ता प्रदेश की ओर आकर्षित होगा एवं प्रदेश के सामाजिक स्तर के उन्नयन में सहायक होगा।

प्रदेश के कई शहरों एवं जिला मुख्यालयों पर शासकीय भवन ऐसी भूमि पर स्थित है, जिनका समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है, ऐसी भूमि का उपयोग आवास समस्या हल करने के लिए उपयोग में लाने बावत् राज्य शासन द्वारा पुनर्घनत्वीकरण (रीडेन्सीफिकेशन) योजना तैयार की गई है।

प्रमुखता

⇒ म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल द्वारा निजी भागीदारी के माध्यम से बड़ी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा, जिससे शासन पर आर्थिक भार न होते हुए शहर का विकास किया जा सके। म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल द्वारा व्यवसायिक रूप से परिसरों के निर्माण कार्य हेतु प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर की प्रतिष्ठित एवं विशेषज्ञता प्राप्त संस्थाओं से योगदान प्राप्त कर निर्माण कार्य पूर्ण किये जावेंगे, जिसके लिए अधोसंरचना का विकास इस प्रकार किया जावेगा कि उनकी भागीदारी स्वतः ही सुनिश्चित हो जावे। इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश के प्रमुख शहरों से प्रारम्भ किया जावेगा।

⇒ प्रदेश में कम मूल्य की निर्माण सामग्री का समुचित प्रचार एवं प्रसार हो, इस हेतु मुख्य निर्माण एजेन्सी के रूप में इन तकनीकी का क्रियान्वयन तथा निर्मिति केन्द्रों के माध्यम से प्रचार।

⇒ अटल आश्रय योजनांतर्गत निम्न आय वर्ग, कमजोर आय वर्ग के लिये 14 स्थानों पर 3929 भवन निर्मित किये जा रहे हैं, पंजीयनरत योजनाएं 20 स्थानों पर 4972 भवनों की है, शासन से अनुमोदित पर वैधानिक अनुमतियों के कारण लंबित योजनाएं 14 स्थानों पर 6114 की है,एवं 8 स्थानों पर 2063 भवन के लिये योजना शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित की गई है।

4 स्थानों पर 1065 भवनों की मण्डल द्वारा प्रारभिक योजना तैयार की गई है एवं इसे शीध्र ही शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

⇒ मण्डल द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जावेगा कि किये जाने वाले कार्यो में न सिर्फ जनभागीदारी सुनिश्चित की जावे, बल्कि निर्माण कार्य भी इस प्रकार हों कि प्रदेश के लोगों को अधिकाधिक रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो सकें।

⇒ **यह भी सुनिश्चित किया जावेगा कि छोटे शहरों में भी योजनायें प्रारम्भ की जावें, ताकि उनका न सिर्फ विकास हो सके अपितु उन क्षेत्रों की जनसंख्या को बड़े शहरों की ओर पलायन की प्रवृत्ति से रोका जा सके।**

⇒ **मंडल द्वारा विकसित कालोनियों के सुचारू रख–रखाव हेतु वित्तीय वर्ष 2016–2017 में 31/12/2016 तक 2 कालोनियाँ स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित की हैं, जिस हेतु राशि रूपये 140.50 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई एवं 7 कालोनियाँ हस्तान्तरण की प्रक्रिया में है।**

शासन के अन्य विभागों हेतु कन्सलटेंसी

मण्डल द्वारा अपनी परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन के अलावा भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन के अन्य विभागों के लिये डिपाजिट वर्क एवं कंसलटिंग ऐजेन्सी के तौर पर भी कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2016–2017 की प्रगतिशील योजनाऐं निम्नलिखित है :–

शासकीय विभागों हेतु निक्षेप निर्माण कार्य

मण्डल केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभागों एवं उपक्रमों के लिये प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर भवन निर्माण का कार्य संपादित करता है।

1. **केन्द्र सरकार** :–मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लिये प्रदेश के बाहर केन्द्रिय विद्यालय, दिल्ली, रायगढ (उडिसा) नक्सल प्रभावित क्षेत्र एवं परलखमुण्डी (उडिसा) स्वीकृत कुल राशि रु. 1799.37 लाख के निर्माण कार्य पूर्ण किये गये है।
2. **आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विभाग** :–आदिवासी विभाग एवं अनुसूचित जाति विभाग के अंतर्गत प्रदेश में कन्या आश्रम, प्री–मैट्रिक छात्रावास, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अनुसूचित जाति के सोनकच्छ एवं उज्जैन में दो कार्य रु. 0.85 करोड के, आदिवासी विभाग के जिला डिण्डोरी में 50 सीटेड 100 सीटेड कन्या छात्रावास उत्कृष्ठ विद्यालय समनापुर तथा धार में एक कार्य रु. 6.01 करोड, एवं पुराने श्योपुर जिले में 2 गुना में 1 तथा उमरिया में 1 कार्य रु. 4.57 करोड के स्वीकृत है एवं कार्य प्रगति पर है।
3. **तकनीकी शिक्षा** :–तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा पुरानी स्वीकृति के अंतर्गत होशंगाबाद, हरदा, बडवानी, मण्डला एवं डबरा में शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के विभिन्न भवनों, छात्रावासों, स्टॉफ क्वाटर्स, आदि के भारत सरकार की सहायता के अंतर्गत कार्य जिसकी लागत राशि रु. 24.06 करोड है, के विभिन्न कार्य पूर्ण कर हस्तांतरित कर दिये गये है। तकनीकी शिक्षा विभाग के नवीन कार्यो के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर छात्रावासों तथा 13 मुख्य भवनों का निर्माण कार्य होना हैजिसकी लागत क्रमशः रु. 23.00 करोड तथा रु. 97.18 करोड है। 10 मुख्य भवनों का कार्य पूर्ण कर हस्तांतरित किये जा रहै है, तथा 3 मुख्य भवनों का कार्य फिनिशिंग स्तर पर है।
4. **कौशल विकास संचालनालय विभाग** :–सेटर ऑफ एक्सीलेंस भोपाल में 11 निर्माण कार्य, जिनकी कुल प्रशासकीय स्वीकृति रु. 10.43 करोड है इनमें से 7 निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं 4 निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने है। वामपंथ उग्रवाद जिले के अंतर्गत बालाघाट जिले में आई.टी.आई भवन एवं छात्रावास पोलडोगरी में एक–एक कार्य जिसकी स्वीकृत लागत रु. 4.50 करोड है, सभी निर्माण कार्य प्रगति पर है।
5. **चिकित्सा शिक्षा विभाग** :–23 छात्रावास भवनों में से 21 छात्रावास भवनों का कार्य पूर्ण किया गया है। 2 छात्रावास भवनों का कार्य फण्ड के अभाव में बंद है। इंदौर में मानसिक चिकित्सालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसकी लागत रु. 6.50 करोड है, पूर्ण किया जा चुका है। विभाग को हस्तांतरण की कार्यवाही प्रगति पर है।
6. **उच्च शिक्षा विभाग** :– 16 महाविद्यालय में से 6 महाविद्यालय भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कर भवन हस्तांतरित किये जा चुके है। 6 भवनों का कार्य फिनिशिंग स्तर पर है। 4 भवनों का कार्य प्रगति पर है।

   11 महिला छात्रावास भवनों में से 8 छात्रावास भवन पूर्ण कर लिये गये है एवं 3 छात्रावासों का निर्माण कार्य फिनिशिंग स्तर पर है।
7. **जन संपर्क विभाग** :– माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्व विद्यालय के नवीन परिसर के विकास एवं निर्माझा कार्य हेतु निविदाए रु. 97.61 करोड स्वीकृत निर्माण कार्य प्रगति पर है।

8. **म.प्र.इलैक्ट्रानिक डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड** :—प्रदेश में सूचना प्राद्योगिकी विभाग के विस्तार की दृष्टि से आई.टी.पार्क के विकास का कार्य मण्डल द्वारा किया जा रहा है। ये पार्क भोपाल, इन्दौर, एवं जबलपुर में स्थित है। निक्षेपकर्ता विभाग द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति भोपाल में रु. 117.42 करोड, इन्दौर में 65.53 करोड, एवं जगलपुर में 91.12 करोड के कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है एवं मण्डल द्वारा सभी स्थानों पर विकास कार्य पूर्णता की और है।

9. **संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग** :—इस विभाग के लिये कान्हासैया भोपाल में रु. 1.17 करोड के कार्य पूर्ण कर हस्तांतरित किये जा चुके है, नूराबाद मुरैना में प्रस्तावित 18. 54 करोड कार्य प्रगति पर है।

10. सिहंस्थ उज्जैन में 450 शैया अस्पताल का निर्माण कार्य :—सिंहस्थ योजना अंतर्गत उज्जैन में 3 निक्षेप कार्य जिसमें से होमगार्ड हेतु बेरेक का निर्माण कार्य रु. 1.58 करोड, प्रगति पर है। 450 शैया अस्पताल जिसकी पुनरीक्षित स्वीकृति रु. 93.116 करोड प्राप्त हुई है, कार्य पूर्ण कर हस्तांतरित किया जा चुका है।

11 **पशु चिकित्सा विज्ञान विश्व विद्यालय** :—इस विभाग के अंतर्गत कुल 2 निक्षेप कार्य जगलपुर एवं रीवा, जिनकी लागत रु. 19.04 करोड है। कार्य पूर्ण किये जा चुके है।

12. **म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नवीन कार्य** :— इस विभाग अंतर्गत कुल 3 कार्य शहडझेल,सिंगरौली एवं सतना जिनकी स्वीकृत लागत रु. 6.90 करोड है, जिनमें से शहडोल एवं सतना के कार्य पूर्ण किये जा चुके है एवं संगरौली का कार्य फिनिशिंग स्तर पर है।

13. **नापतौल विभाग के नवीन कार्य** :— कुल 6 स्थानों पर ग्वालियर, जबलपुर, विदिशा, धार, शाजापुर, एवं मंदसौर जिनकी स्वीकृत लागत रु. 2.00 करोड है, दो कार्य प्रगति पर है। शेष हेतु जमीन उपलब्ध या उपयुक्त नही है।

14. **आयकर विभाग** :— आयकर विभाग के मेट्रोवाक भोपाल में आंतरिक साजसज्जा के 9.94 करोड की स्वीकृति प्राप्त हुई है, कार्य पूर्ण कर हस्तांतरित किया जा चुका है।

15. **महिला सशक्तिकरण विभाग** :— विभाग द्वारा भोपाल में जवाहरलाल भवन परिसर में 100 शैया कामकाजी महिला छात्रावास के निर्माण में 8.371 करोड की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय की गई है एवं कार्य प्रगति पर है। ग्वालियर, जबलपुर एवं इन्दौर में 100 शैया कामकाजी महिला छात्रावासों के निर्माण कार्य के प्रस्ताव महिला सशक्तिकरण विभाग को भेजे गये है, जिनकी प्रशासकीय स्वीकृति अपेक्षित है।

16. **हस्त करघा विकास निगम लि. भोपाल :—** आई.डी.पी.एच. योजनांतर्गत प्रदेश में 17 कलस्टरों में सी.एफ.सी. भवन निर्माण एवं जिर्णोद्धार हेतु विभिन्न स्थानों यथा पिपरीया, सीहोर, इन्दौर, होंशगाबाद, सागर, भोपाल, श्योपुर, ग्वालियर, जबलपुर, एवं बैतुल में राशि रु. 459.04 लाख इसके अतिरिक्त जोबट, नैनपुर, मण्डला, शहडोल, सीधी, एवं तारापुर नीमच में राशि रु. 170. 03 लाख ऐसे कुल 629.07 लाख की तकनीकी स्वीकृति मुख्यालय, भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक 1195—99 दिनांक 29.12.2016 द्वारा जारी की गयी । प्रशासकीय स्वीकृति निक्षेपकर्ता विभाग से अपेक्षित है।

भाग – दो

बजट

मण्डल एक स्व वित्त पोषित संस्था है। मण्डल को आवासीय भवनों/भूखण्ड की योजनाओं तथा निक्षेप योजनाओं से प्राप्त पर्यवेक्षण शुल्क मण्डल की आय के मुख्य स्त्रोत हैं।

1. मण्डल के अंतिम लेखे एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2014—15 विधान सभा पटल पर माह जुलाई 2016 को प्रस्तुत किया गया है।
2. मण्डल के इतिहार में पहली बार मण्डल गठन के पश्चात् वर्ष 2015—16 में सर्वाधित शुद्ध लाभ रू. 20.75 करोड़ हुआ है।(आयकर पश्चात्)
3. हितग्राहियों को आवास सुविधाजनक ऋण उपलब्ध कराने हेतु 6 राष्ट्रीयकृत बैंक व 6 वित्तीय संस्थानों (माईक्रो फायनेन्स) के साथ एम.ओ.यू. निष्पादित किया गया है।
4. एन.एच.बी. एवं शासकीय ऋण की प्रीमेच्युर ऋण का भुगतान एवं समस्त देयताओं का भुगतान कर ऋणयुक्त संस्थान बन गया।

5. एन.बी.एस. के अंतर्गत वर्ष 2005 के पश्चात के अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा काटी गई राशि एन.एस.डी.एल. को जमा की जा रही है।

भाग – तीन

राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

(अ) अटल आश्रय योजना

(ब) पुनर्घनत्वीकरण योजना

(स) पी एम ए वाइ (PMAY)

भाग – चार

सामान्य प्रशासनिक विषय

(अ) मार्च 2016 से दिसम्बर 2016 तक म.प्र. शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग के माध्यम से विधान सभा सचिवालय से कुल 46 प्रश्न प्राप्त हुए (16 तारांकित प्रश्न, 21 अतारांकित प्रश्न, 06 ध्यानाकर्षण, 00 राज्य सभा , शून्य काल सूचना 03 एवं 00 लोक सभा प्रश्न) । मण्डल द्वारा समय–सीमा में उक्त प्रश्नों से संबंधित जानकारी विभाग को उपलब्ध कराई गई।

(ब) वर्ष 2016–17 में दिसम्बर 2016 तक स्थानांतरण/पदोन्नति/नियुक्ति के प्रकरणों की जानकारी –

क्र.	विवरण	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी
1	स्थानांतरण	12	61	118	02
2	पदोन्नति	00	00	00	00
3	नियुक्ति	00	00	51+7	04

(स) वर्ष 2016–17 में (दिसम्बर 2016 तक) विभागीय जांच प्रकरणों की जानकारी –

1	1.1.16 को शेष प्रकरण	39
2	जांच संस्थित प्रकरण	14
3	निराकृत प्रकरण	09
4	दिसम्बर 2016 तक शेष प्रकरण	44

भाग – सात

राज्य महिला नीति एवं कार्य योजना

राज्य महिला नीति की कार्ययोजना के पालन में राज्य महिला आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं पर अमल किया जा रहा है। म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल में महिला कर्मियों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिये मंडल द्वारा एक महिला अधिकारी श्रीमती स्मिता निगम, वास्तुविद को नामांकित किया है। वर्तमान में मण्डल में कुल 155 महिला कर्मी है।

भाग – आठ

पहल 2015–2016

- माह जनवरी 2011 में मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल का नाम परिवर्तित कर म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल किया गया।
- दरों का युक्ति युक्त करण कर पुरानी संपत्ति का विक्रय
- पुरानी अविकृत संपत्ति का एम एस टीसी (MSTC) के माध्यम से विक्रय
- बैंकों से हितग्राहियों को ऋण प्रदाय हेतु समन्वय
- 5 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्टस् में cost effectiveness परीक्षण अनिवार्य
- कमजोर आय वर्ग को रियायती दर पर संपत्ति का विक्रय
- जन सामान्य की सुविधा हेतु होम शॉप
- मण्डल अधिकारियों को QUALITY CONTROL पर प्रशिक्षण
- मार्केटिंग सैल की स्थापना
- मण्डल में पदस्थ वरिष्ठ सहायको एवं उनके समकक्ष कर्मचारियों को संभागीय लेखापाल का प्रशिक्षण एवं परीक्षा आयोजित करना
- उपयंत्री/सहायक यंत्रीयों को लेखा परीक्षण प्रशिक्षण एवं परीक्षा आयोजित करना।

संरक्षात्मक उपाय

म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल द्वारा अपनी योजनाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति निःशक्तजन तथा पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण रखा जाता है। आरक्षित वर्ग को योजनाओं का लाभ मिल सके इसकी प्रभावी बनाने के लिये विज्ञापनों में स्पष्ट उल्लेख किया जाता है।

स्थानीय निकायों को कालोनी हस्तांतरण –

वर्ष 2016–17 (दिसम्बर 2016 तक) में म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल की विभिन्न स्थानों पर नगर निकायों को हस्तांतरित कालोनियों की सूची –

क्र.	कालोनी का नाम एवं स्थान	स्वीकृत राशि (रू.लाख में)	वृत्त
1	शारदापुरी कालोनी मैहर जिला सतना	125.00	रीवा
2	कसरावत खरगौन	15.50	इंदौर
	योग	140.50	

———

मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम

भाग–एक

विभागीय संरचना :–

मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम का पंजीयन मध्य प्रदेश समिति पंजीयन अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44) के अधीन किया गया है जिसका पंजीयन क्रमांक 18851 दिनांक 01 फरवरी, 1988 है। इस निगम का एकमात्र कार्यालय/मुख्यालय विन्ध्याचल भवन, भोपाल में स्थित है तथा इसका कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण उत्तरवर्ती मध्य प्रदेश है। इसके अध्यक्ष, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन एवं उपाध्यक्ष, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्य प्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग हैं तथा अपर सचिव, मध्य प्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग पदेन प्रबंध संचालक होते हैं। वर्तमान में प्रबंध संचालक पद का कार्य अपर आयुक्त स्तर के अधिकारी देख रहे हैं तथा निगम कार्यालय में 4 तृतीय श्रेणी एवं 3 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कार्यरत हैं।

अधीनस्थ कार्यालय :–

मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम का एकमात्र कार्यालय/मुख्यालय, विन्ध्याचल भवन, भोपाल (म. प्र.) में स्थित है तथा प्रदेश में इसका कोई अन्य अधीनस्थ कार्यालय नहीं है।

निगम के अन्तर्गत आने वाले मण्डल/उपक्रम/संस्थाएं :–

मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम, मध्य प्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग का एक प्रतिष्ठान है तथा इस निगम के अन्तर्गत अन्य कोई संस्था कार्यरत नहीं है।

निगम के दायित्व :–

राज्य शासन एवं उसके द्वारा स्थापित सहकारी उपक्रमों के कर्मचारियों की आवासीय समस्या के निदान के लिये इस निगम की स्थापना की गई है।

निगम से सम्बंधित सामान्य जानकारी :–

(1) निगम द्वारा कर्मचारियों की आवासीय समस्या के निदान हेतु शासन से भूमि प्राप्त की जाती है तथा आवश्यकतानुसार भूमि अर्जन की कार्यवाही की जाती है।

(2) वित्तीय संस्थाओं जैसे हाउसिंग डेव्हलपमेंट एवं फायनेंस कार्पोरेशन, जीवन बीमा निगम, नेशनल हाउसिंग बैंक आदि से आवश्यकतानुसार उक्त कार्य हेतु ऋण राशि प्राप्त कर, हितग्राहियों द्वारा उसके भुगतान के प्रबंधन का कार्य किया जाता है।

(3) सामान्य रूप से एम. पी. हाउसिंग बोर्ड, विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों एवं अन्य शासकीय संस्थाओं के माध्यम से आवास निर्माण एवं भू–खण्डों के विकास का कार्य कराया जाता है।

सामान्य या प्रमुख विशेषताएं :–

निगम द्वारा प्रदेश के सम्भागायुक्तों एवं जिला कलेक्टर्स के माध्यम से राज्य शासन एवं उसके द्वारा स्थापित सहकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को उचित दरों पर आवासीय सुविधा सुलभ कराने का कार्य किया जाता है।

महत्वपूर्ण सांख्यकी :–

क्रमांक	उपलब्धियॉ	हिग्राहियों की संख्या
01.	निर्मित आवास उपलब्ध कराना	238

02.	विकसित भू–खण्ड उपलब्ध कराना	2,868

भाग–दो

बजट :–

निगम एक स्व वित्त पोषित संस्था है। संस्था की आय के स्त्रोत निगम की आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित भू–खण्डों/भवनों से प्राप्त एक प्रतिशत स्थापना शुल्क एवं ऋण/जमा आदि पर प्राप्त ब्याज की राशि है।

मध्य प्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा निगम की आवासीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 1995–96 से एक निश्चित राशि धनवेष्ठन हेतु निगम को उपलब्ध कराई जा रही थी परन्तु मध्य प्रदेश शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2004–2005 से कोई राशि इस निगम को धनवेष्ठन हेतु उपलब्ध नहीं कराई गई है। निगम द्वारा आगामी समय में प्रस्तावित आवासीय योजनाओं को दृष्टिगत रखते हुये आगामी वर्ष से प्रतिवर्ष 200.00 लाख धनवेष्ठन हेतु तथा निगम के स्थापना व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु भी प्रतिवर्ष आवश्यकतानुसार राशि इस निगम को उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है।

निगम के वित्तीय वर्ष 2015–2016 के अंकेक्षित लेखों के अनुसार आय रूपए 2,31,36,768.75 पैसे मात्र रही तथा व्यय रूपए 2,15,50,739.75 पैसे मात्र रहा।

भाग–तीन

राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं :–

(अ) **राज्य योजनाएं :–**

निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–2017 के अन्तर्गत दिसम्बर, 2016 तक ग्वालियर, मन्दसौर, नीमच (भू–खण्डों का विकास एवं भवनों का निर्माण), धार, कटनी,रीवा,दमोह एवं रतलाम,झाबुआ में लगभग रूपए 2,789.75 लाख लागत की आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत भू–खण्डों के विकास एवं भवनों के निर्माण का कार्य गतिशील है तथा निगम द्वारा विगत तीन वर्षों में इन योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के 250 भू–खण्डों तथा विभिन्न श्रेणी के 46 भवनों का आवंटन किया गया तथा इस वर्ष विभिन्न श्रेणी के 82 आवासीय भू–खण्डों एवं विभिन्न श्रेणी के 00 आवासीय भवनों का आवंटन पात्र कर्मचारियों को किया गया है तथा शेष भू–खण्डों/भवनों के आवंटन की कार्यवाही प्रचलित है।

महामहिम राज्यपाल महोदय के विगत वर्षों के अभिभाषणों के संदर्भ में दिसम्बर, 2015 तक निगम द्वारा प्रदेश के 03 जिला मुख्यालयों में विभिन्न श्रेणी के 421 आवासीय भू–खण्डों की लगभग रूपए 870.54 लाख लागत की आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत भू–खण्डों के आवंटन हेतु तथा 01 जिला मुख्यालय में विभिन्न श्रेणी के 46 आवासीय भवनों की लगभग रूपए 377.14 लाख लागत की आवासीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही की गई।

(ब) **केन्द्र प्रवर्तित योजना :–** निरंक।

(स) **विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली योजनाएं :–** निरंक।

(द) **विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएं/परियोजनाएं :–** निरंक।

भाग–चार

सामान्य प्रशासनिक विषय :–

(अ) जाँच समितियों द्वारा किये गये अध्ययनों, नियुक्तियों तथा स्थानान्तरणों के सम्बंध मे जानकारी निरंक है।

(ब) मध्य प्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति), नियम, 2002 के क्रम में निगम कार्यालय में की गई पदोन्नतियों के सम्बंध में जानकारी निरंक है।

(स) जनवरी, 2016 से दिसम्बर, 2016 तक मध्य प्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के माध्यम से मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय से कुल 07 तारांकित,03 अतारांकित प्रश्न प्राप्त हुये। निगम द्वारा इन प्राप्त प्रश्नों के सम्बंध में वॉछित जानकारी समय–सीमा में विभाग को उपलब्ध कराई गई।

(द) इस निगम द्वारा मध्य प्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के माध्यम से प्राप्त विधान सभा से सम्बंधित आश्वासनों, विभिन्न याचिकाओं, लोक लेखा समिति, याचिका समिति, प्रश्नोत्तर समिति, प्राक्कलन समिति आदि के सम्बंध में आवश्यक कार्यवाही कर, विभाग को अवगत कराया गया।

(इ) वर्ष 2016–2017 के अन्तर्गत माह जनवरी, 2016 से दिसम्बर, 2016 तक इस निगम के विरूद्ध कुल 11 न्यायालयीन प्रकरण दर्ज हुये। निगम द्वारा सभी प्रकरणों के जवाबदावे निर्धारित समय–सीमा में माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किये गये।

भाग–पॉच

अभिनव योजना :– निरंक।

भाग–छः

इस निगम द्वारा कोई प्रकाशन नहीं प्रकाशित किये जाते हैं। अतः जानकारी निरंक है।

भाग–सात

महिलाओं के लिये किये गये कार्यों के सम्बंध में जानकारी :–

निगम द्वारा अपनी आवासीय परियोजनाओं के अन्तर्गत अपनी स्थापना से लेकर वर्ष 2008 तक 353 तथा विगत चार वर्षों में विभिन्न श्रेणी के 15 आवासीय भू–खण्डों, 07 आवासीय भवनों एवं वर्ष 2015–16 में 21 आवासीय भू–खण्डों इस प्रकार कुल 406 पात्र महिला कर्मचारियों को आवासीय भू–खण्डों/भवनों का आवंटन किया गया है।

भाग–आठ

सारांश :–

इस निगम द्वारा शासकीय सेवकों को आवासीय सुविधा सुलभ कराने के परिप्रेक्ष्य में भोपाल एवं नीमच में विभिन्न श्रेणी के 238 निर्मित आवासों तथा ग्वालियर, मन्दसौर, नीमच, धार, कटनी, रीवा, दमोह,रतलाम एवं झाबुआ में विभिन्न श्रेणी के 2868 आवासीय भू–खण्डों का आवंटन पात्र शासकीय सेवकों को किया गया है। निगम का लक्ष्य प्रदेश के समस्त आवासहीन शासकीय कर्मचारियों को आवासीय सुविधा सुविधा सुलभ कराना है। इसी परिप्रेक्ष्य में आगामी वर्ष में सम्बंधित सम्भागायुक्तों एवं जिला कलेक्टर्स द्वारा निर्धारित समयावधि में निगम की आवासीय योजनाओं हेतु प्रस्तावित भूमियों का आवंटन निगम के पक्ष में किया जाकर, आधिपत्य निगम को सौंप दिये जाने पर प्रदेश के चार जिला मुख्यालयों में अनुमानित लागत रूपए 1446.57 लाख की प्रस्तावित आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के 448 आवासीय भू–खण्डों के विकास का कार्य प्रारंभ/पूर्ण किया जाकर, इनका आवंटन पात्र कर्मचारियों को किया गया है।

परिशिष्ट–एक

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश का स्वीकृत प्रशासकीय अमला

स.क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद संख्या	भरे पद संख्या	रिक्त पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आयुक्त	01	01	00
2	अपर संचालक	03	03	00
3	संयुक्त संचालक	06	06	00
4	उप संचालक	08	03	05
5	सहायक संचालक	12	04	08
6	लेखा अधिकारी	01	01	00
7	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	04	01	03
8	अधीक्षक	09	05	04
9	वरिष्ठ निज सहायक	02	00	02
10	निज सहायक	04	01	03
11	शीघ्रलेखक वर्ग–3	09	05	04
12	सहायक वर्ग–1	19	15	04
13	सहायक वर्ग–1 (सांख्ये.)	01	01	00
14	लेखापाल	07	00	07
15	लेखापाल चुंगी	01	00	01
16	सहायक वर्ग–2	27	19	08
17	सहायक वर्ग–3	52	12	40
18	वाहन चालक	12	05	07
19	भृत्य	16	22	06 अधिक
	योग	**194**	**104**	**96**

———————

संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश

स.क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद संख्या	भरे पद संख्या	रिक्त पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	संयुक्त संचालक	10	07	03
2.	उप संचालक	03	00	03
3.	सहायक संचालक	10	00	10
4.	शीघ्रलेखक वर्ग–1	02	00	02
5.	शीघ्रलेखक वर्ग–2	05	00	05
6.	शीघ्रलेखक वर्ग–3	10	02	08
7.	अधीक्षक	10	06	04
8.	सहायक वर्ग–1	20	16	04
9.	लेखापाल	10	01	09
10.	सहायक वर्ग–2	30	16	14
11.	सहायक वर्ग–3	40	08	32
12	वाहन चालक	13	01	12
12.	भृत्य	20	10	10
	योग	**183**	**67**	**116**

————————

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, यांत्रिकी प्रकोष्ठ, मध्यप्रदेश

स.क्र.	**पदनाम**	**स्वीकृत पद संख्या**	**भरे पद संख्या**	**रिक्त पद**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	प्रमुख अभियंता	01	01	00
2.	मुख्य अभियंता	01	01	00
3.	विशेष कर्त्तव्यस्थ अधि.	03	00	03
4.	अधीक्षण यंत्री	03	03	00
5.	कार्यपालन यंत्री	06	06	00
6.	सहायक यंत्री	06	06	00
7.	प्रशासकीय अधिकारी	01	01	00
8.	सहायक संचालक	01	01	00
9.	शीघ्रलेखक वर्ग–1	01	01	00
10.	शीघ्रलेखक वर्ग–2	02	02	00
11.	शीघ्रलेखक वर्ग–3	13	02	11
12.	सहायक अधीक्षक	01	01	00
13.	सहायक वर्ग–1	10	00	10
14.	लेखापाल	01	01	00
15.	सहायक वर्ग–2	10	05	05
16.	मानचित्रकार	02	02	00
17.	स्टेनोटायपिस्ट	01	00	01
18.	अंग्रेजी टायपिस्ट	01	00	01
19.	अनुरेखक (ट्रेसर)	01	00	01
20.	सहायक वर्ग–3	20	17	03
21.	व्यवस्थापक	01	00	01
22.	इलेक्ट्रीशियन	01	00	01
23.	वाहन चालक	17	16	01
24.	भृत्य	11	11	00
25.	चेनेमेन	01	01	00
26.	माली	03	02	01
27.	चौकीदार	08	08	00
28.	मॉडलर	02	00	02
29.	पंप अटेडेंट	01	00	01
30.	वाटर मेन	01	00	01
31.	सफाई कामगार	06	02	04
	योग	**137**	**89**	**48**

————————

संभागीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास,यांत्रिकी प्रकोष्ठ, मध्यप्रदेश

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्तपद	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1.	अधीक्षण यंत्री	10	0	10	
2.	कार्यपालन यंत्री	20	10	10	
3.	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी	2	0	2	
4.	सहायक यंत्री	20	9	11	
5.	मानचित्रकार	7	7	0	
6.	ट्रेसर	7	3	4	
7.	सहायक वर्ग–3	14	14	0	
8.	वाहन चालक	7	3	4	
9.	भृत्य	14	14	0	
10.	चौकीदार	8	4	4	
	योग	109	64	45	

————————

जिला शहरी विकास अभिकरण, मध्यप्रदेश

क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	रिमार्क
1	परियोजना अधिकारी	50	38	12	प्रतिनियुक्ति से भरे जाते हैं
2	सहायक परियोजना अधिकारी	62	30	32	–''–
3	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	38	0	38	–''–
4	आशुलिपिक / स्टेनो टाइपिस्ट	50	9	41	प्रतिनियुक्ति / संविदा से भरे जाते हैं
5	वाहन चालक	25	15	10	–''–
6	भृत्य	88	20	68	संविदा
7	फर्राश सह चौकीदार	35	12	23	–''–
8	सामुदायिक संगठक	388	256	132	**संविदा (रूपये 6500 प्रतिमाह)**
	योग	**736**	**380**	**356**	

————————

परिशिष्ट–दो

प्रदेश के नगरीय निकायों की संभाग/जिलावार सूची

संभाग का नाम	जिले का नाम	नगरपालिक निगम	नगरपालिका परिषद	नगर परिषद
1 ग्वालियर	1. ग्वालियर	1. ग्वालियर	1. डबरा	1. पिछोर 2. बिलौआ 3. आंतरी 4. भितरवार 5. मोहना*
	2. शिवपुरी		2. शिवपुरी	6. करेरा 7. कोलारस 8. खनियाधाना 9. पिछोर 10. बदरवास 11. नरवर 12. बैराड
	3. गुना		3. गुना 4. राधोगढ़	13. चाचौडाबीनागंज 14. आरोन 15. कुंभराज
	4. अशोकनगर		5. अशोकनगर 6. चंदेरी	16. मुंगावली 17. ईसागढ 18. शाढौरा
	5. दतिया		7. दतिया	19. भांण्डेर 20. इंदरगढ़ 21. सेवड़ा 22. बड़ोनी
2. चंबल	6. भिण्ड		8. भिण्ड 9. गोहद	23. मेहगांव 24. लहार 25. गोरमी 26. अकोड़ा 27. मिहोना 28. आलमपुर 29. दबोह 30. मौ 31. फूफकलां
	7. मुरैना	2. मुरैना	10. अम्बाह 11. पोरसा 12. सबलगढ़	32. जौरा 33. कैलारस 34. झुण्डपुरा 35. बामौर
	8. श्योपुरकलां		13. श्योपुरकलां	36. विजयपुर 37. बड़ौदा
3. इंदौर	9. इंदौर	3. इंदौर		38. देपालपुर 39. सांवेर 40. गौतमपुरा 41. बेटमा 42. राऊ 43. हातौद 44. मानपुर 45. महुगांव
	10. धार		14. धार 15. मनावर 16. पीथमपुर	46. राजगढ़ 47. कुक्षी 48. बदनावर 49. धरमपुरी 50. धामनौद 51. सरदारपुर 52. मांडव

				53. डही
	11. बड़वानी		17. सेंधवा 18. बड़वानी	54. अंजड़ 55. राजपुर 56. खेतिया 57. पानसेमल 58. पलसूद
	12. झाबुआ		19. झाबुआ	59. थांदला 60. पेटलावद 61. रानापुर 62. मेघनगर
	13. अलीराजपुर		20. अलीराजपुर	63. जोबट 64. भावरा
	14.पश्चिमनिमाड़ (खरगौन)		21. खरगौन 22. सनावद 23. बड़वाह	65. मण्डलेश्वर 66. कसरावद 67. भीकनगांव 68. महेश्वर 69. करही एवं पांडल्याखुर्द
	15. पूर्व निमाड़ (खंडवा)	4. खंडवा		70. मूंदी 71. पंधाना 72. ओंकारेश्वर 73. छनेरा
	16.बुरहानपुर	5. बुरहानपुर	24. नेपानगर	74. शाहपुर
4. उज्जैन	17. उज्जैन	6. उज्जैन	25. बड़नगर 26. महिदपुर 27. खाचरोद 28. नागदा	75. तराना 76. उन्हेल 77. माकडोन
	18 नीमच		29. नीमच	78. मनासा 79. रामपुरा 80. जावद 81. जीरन 82. रतनगढ़ 83. सिंगोली 84. डिकेन 85. कुकड़ेश्वर 86. नयागांव 87. अठाना 88. सरवनिया महाराज
	19. देवास	7. देवास		89. कन्नौद 90. सोनकच्छ 91. खातेगांव 92. हाटपिपल्या 93. बागली 94. भौरासा 95. करनावद 96. काटाफोड़ 97. लोहारदा 98. सतवास 99. टोंकखुर्द 100. पिपलरंवा 101. नेमावर
	20. शाजापुर		30. शाजापुर 31. शुजालपुर	102. मक्सी 103. अकोदिया 104. पोलायकलां 105. पानखेडी
	21. आगर		32. आगर	106. नलखेड़ा 107. बडौद 108. कानड़

				109. सुसनेर 110. सोयतकलां 111. बड़ागांव
	22. रतलाम	8. रतलाम	33. जावरा	112. ताल 113. सैलाना 114. आलोट 115. नामली 116. बड़ावदा 117. पिपलौदा 118. धामनौद
	23. मंदसौर		34. मंदसौर	119. शामगढ़ 120. सीतामऊ 121. पिपल्यामंडी 122. नारायणगढ़ 123. मल्हारगढ़ 124. भानपुरा 125. नगरी 126. गरोठ 127. सुवासरा 128. भैंसोदा मंडी*
5. भोपाल	24. भोपाल	9. भोपाल	35. बैरसिया	
	25. सीहोर		36. सीहोर 37. आष्टा	129. इछावर 130. बुदनी 131. जावर 132. नसरूल्लागंज 133. रेहटी 134. कोठरी 135. शाहगंज
	26. रायसेन		38. रायसेन 39. बेगमगंज 40. मण्डीदीप	136. औबेदुल्लागंज 137. सुल्तानपुर 138. बरेली 139. बाड़ी 140. सांची 141. उदयपुरा 142. सिलवानी 143. गैरतगंज
	27. विदिशा		41. विदिशा 42. गंज बासौदा 43. सिरोंज	144. कुरवाई 145. लटेरी 146. शमशाबाद
	28. राजगढ़		44. राजगढ 45. नरसिंहगढ़ 46. सारंगपुर 47. ब्यावरा	147. जीरापुर 148. कुरावर 149. खिलचीपुर 150. तलेन 151. बोड़ा 152. खुजनेर 153. पचोर 154. सुठालिया 155. माचलपुर 156. छापीहेड़ा
6. नर्मदापुरम्	29. होशंगाबाद		48. होशंगाबाद 49. इटारसी 50. सिवनीमालवा 51. पिपरिया	157. बाबई 158. सोहागपुर 159. बनखेड़ी
	30. हरदा		52. हरदा	160. टिमरनी 161. खिड़किया
	31. बैतूल		53. बैतूल 54. आमला 55. सारणी	162. बैतूल बाजार 163. भैंसदेही 164. आठनेर

			56. मुलताई	165. चिचोली
7. सागर	32. सागर	10. सागर	57. बीना इटावा 58. खुरई 59. गढ़ाकोटा 60. रेहली 61. देवरी 62. मकरोनिया बुजुर्ग	166. राहतगढ़ 167. बंडा 168. शाहपुर 169. शाहगढ
	33. दमोह		63. दमोह 64. हटा	170. तेंदुखेड़ा 171. पथरिया 172. हिन्डोरिया 173. पटेरा
	34. पन्ना		65. पन्ना	174. अमानगंज 175. देवेन्द्र नगर 176. अजयगढ़ 177. ककरहटी 178. पवई
	35. छतरपुर		66. छतरपुर 67. नौगांव 68. महाराजपुर	179. धुवारा 180. सटई 181. बारीगढ़ 182. बिजावर 183. गढ़ीमल्हरा 184. बक्सवाहा 185. चंदला 186. बड़ामल्हरा 187. हरपालपुर 188. लवकुशनगर 189. खजुराहो 190. राजनगर
	36. टीकमगढ़		69. टीकमगढ़	191. निवाड़ी 192. पृथ्वीपुर 193. बल्देवगढ़ 194. खरगापुर 195. पलेरा 196. जैरोनखालसा 197. तरीचरकलां 198. जतारा 199. लिधोराखास 200. बड़ागांव 201. कारी 202. ओरछा
8. रीवा	37. रीवा	11. रीवा		203. बैंकुंठपुर 204. मउगंज 205. त्यौंथर 206. हनुमना 207. चाकघाट 208. गोविन्दगढ. 209. नईगढ़ी 210. सिरमौर 211. मनगवां 212. सेमरिया 213. गुढ़
	38. सीधी		70. सीधी	214. चुरहट 215. रामपुरनेकिन 216. मझोली
	39. सिंगरौली	12.सिंगरौली		
	40. सतना	13. सतना	71. मैहर	217. नागौद 218. बिरसिंहपुर 219. जैतवारा

				220. कोटर 221. कोठी 222. अमरपाटन 223. रामपुर–बघेलान 224. उचेहरा 225. चित्रकूट 226. न्यू रामनगर
9. शहडोल	41. शहडोल		72. शहडोल 73. धनपुरी	227. बुढ़ार 228. ब्यौहारी 229. जयसिंहनगर 230. खाण्ड 231. बकहो*
	42.अनूपपुर		74. अनूपपुर 75. कोतमा 76. पसान 77. बिजूरी	232. जैतहरी 233. अमरकंटक 234. वनगवां (राजनगर)* 235. डोला* 236. डूमरकछार*
	43. उमरिया		78. उमरिया 79. पाली	237. चंदिया 238. नौरोजाबाद 239. मानपुर*
	44. डिण्डोरी			240. डिण्डोरी 241. शाहपुरा
10. जबलपुर	45. जबलपुर	14. जबलपुर	80. पनागर 81. सिहोरा	242. बरेला 243. भेड़ाघाट 244. शाहपुरा 245. पाटन 246. मझौली 247. कटंगी
	46. कटनी	15. मुड़वारा कटनी		248. बरही 249. कैमोर 250. विजयराधवगढ़
	47. बालाघाट		82. बालाघाट 83. वारासिवनी 84. मलाजखंड	251. कटंगी 252. बैहर 253. लांजी
	48 छिन्दवाड़ा	16. छिंदवाड़ा	85. पांढुर्ना 86. जुन्नारदेव जामई) 87. डोगर परासिया 88. दमुआ 89. चौरई 90. अमरवाड़ा 91. सौंसर	254. हर्रई 255. लोधीखेड़ा 256. न्यूटन चिखली 257. चांदामेटा बुटारिया 258. मोहगांव 259. बडकुही 260. पिपलानारायणवार 261. बिछुआ 262. चांद
	49 नरसिंहपुर		92. नरसिंहपुर 93. गाडरवारा 94. करेली 95. गोटेगांव	263. तेंदूखेड़ा 264. सालीचौका 265. सांईखेडा 266. चीचली
	50. सिवनी		96. सिवनी	267. लखनादौन 268. बरघाट 269. छपारा*
	51. मंडला		97. मंडला 98. नैनपुर	270. बम्हनीबंजर 271. निवास 272. बिछिया

नगर पालिक निगम **16**
नगरपालिका परिषद **98**
नगर परिषद **272**

योग	**386**

*नव गठित नगर परिषद्।

परिशिष्ट–तीन (एक)

नगरीय प्रशासन एवं विकास

वित्त वर्ष 2016–17

आयोजना (Plan)

(राशि लाख में)

स.क्र.	योजना क्रमांक	योजना का नाम		वित्त विभाग द्वारा प्राप्त आवंटन वर्ष 2016–17 (द्वितीय अनुपूरक सहित)				कुल व्यय (01.04. 2016 से 31.12.2016 तक)			
				Normal	TSP	SCSP	**Total**	Normal	TSP	SCSP	**Total**
				22/71/75	68	53		22/71/75	68	53	
1		**2**		**7**	**8**	**9**	**10**	**7**	**8**	**9**	**10**
Cenrally Sponserd Schemes (Central+State+ULB)											
1	1263	National Urban Livelihood Mission (NULM)		7166.00	687.48	1140.47	**8993.95**	3398.83	235.48	1140.47	**4774.78**
2	1264	National River Conservation Plan (NRCP)		88.00	0.00	0.00	**88.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
3	7705	Smart City		123681.00	0.01	5500.00	**129181.01**	34500.00	0.00	5500.00	**40000.00**
4	7706	Swachchha Bharat Abhiyan		30045.00	0.00	20000.00	**50045.00**	16465.47	0.00	1259.76	**17725.23**
5	1238	Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT)		147700.00	1000.00	22500.00	**171200.00**	44185.12	0.00	0.00	**44185.12**
6	1237	Hosing For All		30000.00	0.01	10000.00	**40000.01**	27000.00	0.00	5778.75	**32778.75**
State Schemes (State+ULB)											
10	6221	UIDSSMT	191	4500.00	1143.00	6300.00	**11943.00**	281.69	0.00	0.00	**281.69**
			192	4500.00	0.00	3600.00	**8100.00**	0.00	0.00	294.83	**294.83**
			193	1822.24	3600.00	3600.00	**9022.24**	0.00	1053.15	1331.19	**2384.34**
			Total	**10822.24**	**4743.00**	**13500.00**	**29065.24**	**281.69**	**1053.15**	**1626.02**	**2960.86**
11	7146	Mukhyamantri Shahri Adhosanrachna Vikas Yojna		14807.55	2535.71	6895.08	**24238.34**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
			31-002	90.00	0.00	0.00	**90.00**	50.00	0.00	0.00	**50.00**
			31-004	180.00	0.00	0.00	**180.00**	107.89	0.00	0.00	**107.89**
			Total	**15077.55**	**2535.71**	**6895.08**	**24508.34**	**157.89**	**0.00**	**0.00**	**157.89**
12	7145	Mukhyamantri Shahri Peyjal Yojna		7380.00	702.00	2610.00	**10692.00**	5650.16	702.00	2610.00	**8962.16**
			31-002	135.00	0.00	0.00	**135.00**	117.83	0.00	0.00	**117.83**
			31-004	171.90	0.00	0.00	**171.90**	99.92	0.00	0.00	**99.92**
			Total	**7686.90**	**702.00**	**2610.00**	**10998.90**	**5867.91**	**702.00**	**2610.00**	**9179.91**
13	7144	Mukhyamantri Shahri Swachhata Mission (63-001)		1188.00	450.00	450.00	**2088.00**	217.71	0.00	0.00	**217.71**
State Schemes											
14	7056	Fire Services		1980.00	0.00	0.00	**1980.00**	1530.00	0.00	0.00	**1530.00**
15	7147	Lok Parivahan evam Yatayat Survy/Addhyan		720.00	0.00	0.00	**720.00**	68.26	0.00	0.00	**68.26**
16	7357	Jhilon aur Talabon ka sanrakshan aur sanvardhan		675.00	90.00	180.00	**945.00**	55.07	25.00	0.00	**80.07**
17	7029	National Insititute of Governence and urban management		55.44	4.50	22.50	**82.44**	55.44	4.50	22.50	**82.44**
18	6022	Mass Rapid Transport system survey		939.60	0.00	0.00	**939.60**	939.60	0.00	0.00	**939.60**
19	7400	Simhastha-2016		62150.99	0.00	5860.00	**68010.99**	55320.30	0.00	5860.00	**61180.30**

20	7039	Shahri Sudhar Karyakram		1222.20	117.00	243.00	**1582.20**	549.10	0.00	43.43	**592.53**
			31-002	18.00	0.00	0.00	**18.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
			31-004	27.00	0.00	0.00	**27.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
			Total	**1267.20**	**117.00**	**243.00**	**1627.20**	**549.10**	**0.00**	**43.43**	**592.53**
21	5726	MP Urban infarstucture fund		720.00	0.00	0.00	**720.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
22	8163	Nager Vikas Yojana (CDP)		23.76	9.00	9.00	**41.76**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
23	7358	Shahri Virasat Sanrakshan evam Samvardhan Yojna		31.68	0.00	54.00	**85.68**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
24	6047	Training		19.80	0.00	0.00	**19.80**	19.80	0.00	0.00	**19.80**
25	7172	Path par Vikraya Karne wale Shahri Garibon ki Kalyan Yojna (Infrastructure Developement)		237.60	90.00	270.00	**597.60**	237.60	90.00	270.00	**597.60**
26	0179	Group Insurance Scheme for Sweepers		65.00	0.00	0.00	**65.00**	64.00	0.00	0.00	**64.00**
27	1319	Repayment of HUDCO Loan		11880.00	0.00	0.00	**11880.00**	11494.33	0.00	0.00	**11494.33**
29	7704	Dedicated Urban Transport Fund (DUTF)		4392.02	0.00	0.00	**4392.02**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
30	7707	Mukhyamantri Shahri Swarojgar Yojna		570.24	72.00	180.00	**822.24**	570.24	72.00	180.00	**822.24**
31	7709	Mukhyamantri Shahri Garibon ke liye Arthik Kalyan Yojna		338.18	95.40	240.30	**673.88**	338.18	95.40	240.30	**673.88**
32	2045	Shahri Garibon ko uplabadh karaye jane vale Awas ke hitgrahi ansh me Rajya Sarkar ka byaj Anudan		1551.52	0.00	0.00	**1551.52**	18.94	0.00	0.00	**18.94**
33	1425	Panjiyan evam Mudrank Shulk ke Adhibhar se Nagriya Nikayon Dwara athva unki our se liye gaye Rino/Byaj ka pratisandaye		12500.00	0.00	0.00	**12500.00**	5904.46	0.00	0.00	**5904.46**
EAP Schemes											
34	7711	M.P.Urban Development Project (MPUDP) (World Bank)		6000.00	0.00	0.00	**6000.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
35	7336	M.P. Urban Services Improvement Programme (MPUSIP) (EAP) (ADB)		9500.01	0.00	9146.56	**18646.57**	1000.00	0.00	0.00	**1000.00**
36	1262	M.P.Urban Sanitation and Environment Sector Project (MPUSEP)- EAP (KFW)		3480.00	0.00	1000.00	**4480.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
37	6440	Shahri Parivahan Vyavastha Ka Sudhrikaran (GEF)		475.20	0.00	414.00	**889.20**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
38	2043	Metro Rail (JICA)		35200.00	0.00	10000.00	**45200.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
		Total		**528227.93**	**10596.11**	**110214.91**	**649038.95**	**210239.94**	**2277.53**	**24531.23**	**237048.70**

परिशिष्ट–तीन (दो)

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास

वित्तीय वर्ष 2016–17

आयोजनेतर (Non-Plan)

(राशि लाख में)

मांग	शीर्ष	योजना क्र.	योजना का नाम		वित्त विभाग द्वारा प्राप्त बजट वर्ष 2016–17	वित्त विभाग द्वारा प्राप्त आवंटन 2016–17	व्यय दिनांक 31.12.2016 तक
1	2	3	4	5	6	7	8
22	2217	2122	पेशन योजना के कियान्वयन के लिये (वेतन भत्ते एवं कार्यालय व्यय)		0.00	0.00	0.00
22	2217	3383	विशेष मरम्मत भवन		0.00	0.00	0.00
22	2217	5831	मध्यप्रदेश सफाई कामगार आयोग का गठन		36.45	35.12	7.53
22	2217	6148	वेतन भत्ते संचालनालय एवं संभागीय कार्यालय		1074.15	1078.58	766.02
22	2217	6286	लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्रतिकर की राशि का भुगतान		0.10	0.10	0.00
22	2217	7300	स्व.श्री सुशीलचंद्र वर्मा पुरस्कार योजना		0.10	0.10	0.00
22	2217	7400	सिंहस्थ मेले की व्यवस्था (मानदेय)		7.00	7.00	7.00
22	2217	7713	सिंहस्थ–2016 के पूर्व विमर्श–संगोष्ठियों का आयोजन		0.00	0.00	0.00
22	2217	7406	मध्यप्रदेश राज्य केश शिल्पी कल्याण मण्डल		15.90	15.36	0.00
22	2217	7407	मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र स्वच्छता मण्डल		15.78	15.24	0.00
22	2217	7408	मध्यप्रदेश राज्य सिलाई कला मण्डल		16.41	15.77	0.00
			योग मांग संख्या 22		**1165.89**	**1167.27**	**780.55**
75	2215	2181	नगरीय जल प्रदाय योजना का संधारण	नगर निगम	2948.88	2653.99	1773.88
				नगर पालिका	291.63	262.46	180.38
				नगर परिषद्	59.33	53.40	25.64
				योग	**3299.84**	**2969.85**	**1979.90**
75	2217	6310	निर्वाचित महिला पार्षदों को प्रशिक्षण		0.00	0.00	0.00
				योग	**0.00**	**0.00**	**0.00**
75	3604	6062	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार पेयजल योजना के लिये विद्युत व्यय की पूर्ति	नगर निगम	1000.00	900.00	0.00
				योग	**1000.00**	**900.00**	**0.00**

75	3604	6063	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार विशिष्ट अनुदान	नगर निगम	1000.00	900.00	0.00
				योग	**1000.00**	**900.00**	**0.00**
75	2217	6602	स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं को कर संग्रहण हेतु प्रोत्साहन अनुदान	नगर निगम	350.00	315.00	315.00
				नगर पालिका	275.00	247.50	247.50
				नगर परिषद्	150.00	135.00	135.00
				योग	**775.00**	**697.50**	**697.50**
75	2217	7333	निर्यातकर क्षतिपूर्ति	नगर निगम	2701.99	2701.99	1625.34
				नगर पालिका	8740.00	8740.00	5240.49
				नगर परिषद्	600.27	600.27	360.26
					12042.26	**12042.26**	**7226.09**
75	2217	7398	नगरीय निकायों के लिये स्वच्छता पुरस्कार	नगर निगम	110.00	99.00	0.00
				नगर पालिका	60.00	54.00	0.00
				नगर परिषद्	30.00	27.00	0.00
				योग	**200.00**	**180.00**	**0.00**
75	3604	7668	स्थानीय निकायों मुलभूत सेवाओं हेतु एकमुश्त अनुदान (राज्यकरों में हिस्सा)	नगर निगम	4236.72	3813.05	2522.56
				नगर पालिका	11297.92	10168.13	6062.51
				नगर परिषद्	12711.80	11440.62	6816.17
				योग	**28246.44**	**25421.80**	**15401.24**
75	3604	8017	सडक मरम्मत	नगर निगम	8460.00	7614.00	5149.21
				नगर पालिका	6060.00	5454.00	3167.93
				नगर परिषद्	4075.00	3667.50	2240.40
				योग	**18595.00**	**16735.50**	**10557.54**
75	3604	8018	चुगी क्षतिपूर्ति प्रवेश कर (पुनर्विनियोजन द्वारा कम की गई राशि)	नगर निगम	122109.05	109898.14	92055.82
				नगर पालिका	70491.13	63442.02	50455.54
				नगर परिषद्	48509.82	43658.84	37501.14
				योग	**241110.00**	**216999.00**	**180012.50**
75	3604	8860	वेटकर प्रणाली लागू होने से इसकी क्षतिपूर्ति राशि का नगरीय निकायों हस्तांतरण	नगर निगम	37078.56	33370.70	23328.80
				नगर पालिका	32958.72	29662.85	16801.26
				नगर परिषद्	12359.52	11123.57	9324.58
				योग	**82396.80**	**74157.12**	**49454.64**
75	3604	9436	यात्रीकर समाप्त किये जाने के एवज में नगरीय निकायों को विशेष अनुदान	नगर निगम	2340.36	2106.32	1475.88
				नगर पालिका	3878.04	3490.24	2288.48
				नगर परिषद्	2781.60	2503.44	1651.63
				योग	**9000.00**	**8100.00**	**5415.99**
75	3604	3217	अपमिश्रण अधिनियम के अंतर्गत अर्थ दण्ड की वसूली		0.00	0.00	0.00
				योग	**0.00**	**0.00**	**0.00**

75	3604	4035	विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत क्षतिपूर्ति भारित		25300.00	25300.00	16506.15
				योग	**25300.00**	**25300.00**	**16506.15**
75	6217	5728	पेयजल पूर्ति के लिये नगरीय निकायों को कर्ज		2000.00	2000.00	416.00
				योग	**2000.00**	**2000.00**	**416.00**
75	2217	1239	14वां वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार नगरीय निकायों को ***सामान्य अनुदान***	नगर निगम	33968.19	30571.37	16248.78
				नगर पालिका	20600.16	18540.14	10053.08
				नगर परिषद्	14220.65	12798.59	8092.64
				योग	**68789.00**	**61910.10**	**34394.50**
75	2217	1325	14वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार ***सामान्य अनुपालन अनुदान***	नगर निगम	10025.16	9022.64	0.00
				नगर पालिका	6079.84	5471.86	0.00
				नगर परिषद्	4197.00	3777.30	0.00
				योग	**20302.00**	**18271.80**	**0.00**
75	4217	3115	भू–अर्जन हेतु मुआवजा		49.35	49.35	0.00
				योग	**49.35**	**49.35**	**0.00**
75	2217	1240	दुर्घटना में मृत सफाई कर्मियों को क्षतिपूर्ति अनुदान		40.00	36.00	0.00
				योग	**40.00**	**36.00**	**0.00**
			योग मांग संख्या 75	योग	**514145.69**	**466670.28**	**322062.05**
			योग मांग संख्या 22 एवं 75	महायोग	**515311.58**	**467837.55**	**322842.60**

परिशिष्ट–चार

अमृत मिशन के अंतर्गत मिशन के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाऐ

(राशि करोड़ में)

क्र.	निकाय का नाम	जल प्रदाय	सीवरेज	स्टार्म वाटर ड्रेन	लोक परिवहन	अन्य एवं हरित क्षेत्र	कुल
1	इन्दौर	325.00	550.00	10.00	40.00	25.00	950.00
2	भोपाल	*316.00*	450.00	100.00	40.00	25.00	931.00
3	जबलपुर	150.00	350.00	0.00	30.00	15.00	545.00
4	ग्वालियर	214.00	350.00	0.00	25.00	10.00	599.00
5	उज्जैन	75.00	225.00	10.00	15.00	7.50	332.50
6	देवास	25.15	25.00	10.00	10.00	5.00	75.15
7	मुरैना	0.00	*134.00*	0.00	8.00	2.00	144.00
8	सतना	*41.50*	*191.56*	20.00	8.00	5.00	266.06
9	सागर	0.00	*299.10*	0.00	10.00	4.50	313.60
10	रतलाम	0.00	*123.85*	10.00	8.00	3.00	144.85
11	रीवा	*35.58*	*199.37*	20.00	10.00	3.12	268.07
12	कटनी	*24.10*	*96.50*	0.00	10.00	3.00	133.60
13	सिंगरौली	*41.51*	102.55	0.00	8.00	3.00	155.06
14	छिन्दवाडा	75.71	0.00	2.00	6.00	2.50	86.21
15	बुरहानपुर	0.00	75.00	6.00	6.00	2.00	89.00
16	खण्डवा	*41.58*	10.00	0.00	6.00	2.00	59.58
17	भिण्ड	0.00	70.00	0.00	4.00	2.00	76.00
18	गुना	*29.88*	*81.09*	0.00	4.00	2.50	117.47
19	शिवपुरी	15.00	25.00	3.66	4.00	2.50	50.16
20	विदिशा	0.00	86.91	0.00	6.00	2.00	94.91
21	छतरपुर	*61.95*	0.00	0.00	0.00	1.75	63.70
22	मंदसौर	*55.26*	0.00	5.52	0.00	2.13	62.91
23	खरगौन	0.00	50.00	0.00	0.00	1.50	51.50
24	नीमच	*16.18*	*62.03*	0.00	0.00	2.00	80.21
25	पीथमपुर	*84.70*	0.00	0.00	0.00	2.00	86.70
26	दमोह	0.00	50.00	10.00	0.00	2.50	62.50
27	होशंगाबाद	*47.67*	0.00	10.22	0.00	1.90	59.79
28	सीहोर	*12.83*	*50.00*	0.00	0.00	1.50	64.33
29	बैतूल	*32.18*	0.00	0.00	0.00	1.50	33.68
30	सिवनी	0.00	35.00	0.00	0.00	1.50	36.50
31	दतिया	*18.66*	*55.24*	0.00	0.00	1.00	74.90
32	नागदा	14.68	25.00	0.00	0.00	1.10	40.78
33	डबरा	40.96	0.00	0.00	0.00	1.00	41.96
34	ओंकारेश्वर	0.00	0.00	0.00	9.00	1.00	10.00
	कुल	1795.08	3772.20	217.40	267.00	149.00	6200.66

योजनांतर्गत प्रगति

क्र.	निकाय का नाम	कार्य का नाम	निविदा में स्वीकृत राशि (रू.करोड़ में)	कार्य प्रारंभ करने का दिनांक
1	छतरपुर	जल प्रदाय	61.95	05.09.2016
2	दतिया	जल प्रदाय	18.66	20.07.2016

क्र.	निकाय का नाम	कार्य का नाम	निविदा में स्वीकृत राशि (रू.करोड़ में)	कार्य प्रारंभ करने का दिनांक
		सीवरेज	55.24	24.07.2016
3	गुना	जल प्रदाय	29.88	25.05.2016
		सीवरेज	81.09	21.11.2016
4	कटनी	जल प्रदाय	24.10	04.06.2016
		सीवरेज	96.50	16.0.-2017
5	रीवा	जल प्रदाय	35.58	24.08.2016
		सीवरेज	199.37	18.11.2016
6	सतना	जल प्रदाय	41.50	27.05.2016
		सीवरेज	191.56	05.12.2016
7	सिंगरौली	जल प्रदाय	41.51	17.06.2016
		सीवरेज	124.39	17.02.2017
8	सागर	सीवरेज	299.10	08.07.2016
9	मुरैना	सीवरेज	128.07	29.07.2016
10	छिंदवाड़ा	जल प्रदाय	–	–
11	ग्वालियर	जल प्रदाय	–	–
		सीवरेज	–	–
12	जबलपुर	जल प्रदाय	–	–
		सीवरेज	–	–
13	शिवपुरी	जल प्रदाय	–	–
		सीवरेज	–	–
14	डबरा	जल प्रदाय	–	–
15	भिण्ड	सीवरेज	–	–
16	सिवनी	सीवरेज	–	–
17	दमोह	सीवरेज	–	–
18	भोपाल	जल प्रदाय (भोपाल)	–	–
		जल प्रदाय (कोलार)	136.69	24.11.2016
		जल प्रदाय (भौंरी)	17.97	24.11.2016
		सीवरेज (भोपाल)	–	–
		सीवरेज (शाहपुरा झील)	7.25	–
19	खण्डवा	जल प्रदाय–1	12.6	30.06.2016
		जल प्रदाय–2	14.49	30.06.2016
		जल प्रदाय–3	14.49	30.06.2016
20	मंदसौर	जल प्रदाय	55.26	03.06.2016
21	नीमच	जल प्रदाय	16.18	24.05.2016
		सीवरेज	67.89	24.11.2016
22	पीथमपुर	जल प्रदाय	84.7	08.09.2016
23	होशंगाबाद	जल प्रदाय	47.67	07.04.2016
24	सीहोर	जल प्रदाय	12.83	30.06.2016
		सीवरेज	50	07.06.2016
25	बैतूल	जल प्रदाय	24.99	26.05.2015
		जल प्रदाय (बेराज निर्माण)	6.93	26.05.2015
26	नागदा	जल प्रदाय	12.83	03.02.2017 (LOA)
27	रतलाम	सीवरेज	136.67	28.12.2016

क्र.	निकाय का नाम	कार्य का नाम	निविदा में स्वीकृत राशि (रू.करोड़ में)	कार्य प्रारंभ करने का दिनांक
28	विदिशा	सीवरेज	86.91	09.02.2017
29	खरगौन	सीवरेज	-	-

परिशिष्ट–पांच

यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं

(राशि रू. लाख में)

क्र.	निकाय का नाम	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि
1	2	4	5
1	नगरपालिका विदिशा	जल प्रदाय योजना	1557.52
		सीवरेज	218.00
		सड़क	73.58
2	नगरपालिका इटारसी	जल प्रदाय योजना	1467.83
		सड़क	844.57
3	नगर पंचायत बुदनी	जल प्रदाय योजना	194.60
		सड़क	504.20
		सीवरेज	195.05
4	नगर पंचायत रेहटी	जल प्रदाय योजना	276.48
		सड़क	211.60
		सीवरेज	143.48
5	नगरपालिका सीहोर	जल प्रदाय योजना	1454.52
6	नगरपालिका ब्यावरा	जल प्रदाय योजना	709.47
7	नगरपालिका सिरोंज	जल प्रदाय योजना	622.95
8	नगरपालिका आष्टा	जल प्रदाय योजना	980.40
		सड़क	541.28
9	नगर पंचायत नसरूल्लागंज	जल प्रदाय योजना	488.96
		सड़क	365.39
10	नगरपालिका होशंगाबाद	जल प्रदाय योजना	1615.26
11	नगरपालिका हरदा	जल प्रदाय योजना	1735.00
12	नगरपालिका गढ़ाकोटा	जल प्रदाय योजना	596.36
		सडक	143.76
13	नगरपालिका दमोह	जल प्रदाय योजना	874.20
		जीर्ण–शीर्ण पाईप लाईन को बदलना	62.35
		गजानन वितरण नलिका का उन्नयन	130.17
		तालाब संरक्षण	53.00
		सडक	418.97
		जलप्रदाय फेस– 2	3715.95
14	नगरपालिका टीकमगढ़	जल प्रदाय योजना	983.18
15	नगरपालिका रहली	जल प्रदाय योजना	602.35
16	नगरपालिका छतरपुर	जल प्रदाय योजना	1593.80
17	नगरपालिका पन्ना	जल प्रदाय योजना	1808.37
18	नगर निगम सागर	सीवरेज	7661.55
19	नगरपालिका जावरा	जल प्रदाय योजना	663.00
20	नगर निगम रतलाम	जल प्रदाय योजना	3265.10
21	नगर निगम देवास	जल प्रदाय योजना	5837.00
		जल प्रदाय योजना–2	3975.00
		सीवरेज	14062.53
		सड़क	1254.50
22	नगरपालिका शुजालपुर	जल प्रदाय योजना	1745.32
		सड़क	499.00

23	नगरपालिका मंदसौर	जलस्त्रोत उन्नयन	1552.45
		जलप्रदाय	5636.37
24	नगरपालिका आगर	जल प्रदाय योजना	1005.80
25	नगरपालिका शाजापुर	जल प्रदाय योजना	996.00
26	नगर निगम खण्डवा	जल प्रदाय योजना	10672.30
27	नगरपालिका सनावद	जल प्रदाय योजना	729.68
28	नगरपालिका मलाजखंड	जल प्रदाय योजना	525.42
		सड़क एवं नाली	829.43
		नाला निर्माण	27.60
29	नगर निगम कटनी	जल प्रदाय योजना	4080.95
		सड़क	4567.00
30	नगरपालिका डबरा	जल प्रदाय योजना	1441.84
		जल स्त्रोत उन्नयन	1112.10
31	नगर निगम ग्वालियर	सीवरेज,	6650.00
32	नगरपालिका शिवपुरी	जल प्रदाय योजना	5964.66
		ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	649.76
33	नगर निगम रीवा	जल प्रदाय योजना	1427.87
34	न.पा.पाढुंना	जल प्रदाय योजना	4611.62
		सड़क फेस– 2	2063.75
		सड़क	2054.76
35	न.पा. छिन्दवाड़ा	जल प्रदाय योजना	5732.87
		सड़क	5352.70
		सड़क एवं नाली फेस– 2	2736.76
		आर.यू.बी.	1245.82
		तालाब संरक्षण	382.87
36	न.पा. डोंगर परासिया	जल प्रदाय योजना	3013.33
		सड़क	1098.03
		सड़क एवं नाली	1206.37
37	न.पा. सौसर	जल प्रदाय योजना	1930.22
		सड़क	2332.73
38	नगर पंचायत पिपलानारायणवार	जल प्रदाय योजना	81.20
		जल प्रदाय योजना फेस–2	773.34
		सड़क	408.09
39	न.पा. चौरई	जल प्रदाय योजना	886.38
		सड़क	189.17
40	न.पा. पिपरिया	जल प्रदाय योजना	2408.11
		सड़क	385.46
41	न.पा. बैतुल	जल प्रदाय योजना	3262.07
42	न.पा.मुलताई	जल प्रदाय योजना	1929.60
		सड़क	723.34
43	नगर परिषद् खुरई	जल प्रदाय योजना	3662.82
		सड़क	457.60
44	न.पा.बीना	जल प्रदाय योजना	3875.50
45	न.पा.सीधी	जल प्रदाय योजना	2118.55
46	न.पं.खिरकिया	जल प्रदाय योजना	1225.70
47	न.पा.महिदपुर	जल प्रदाय योजना	1683.75
48	न.प.जुन्नारदेव	सड़क	345.96
		जलप्रदाय	2432.07

49	न.पा. अमरवाड़ा	जलप्रदाय	1609.30
		सड़क	424.16
		ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	128.80
50	नगर निगम सतना	जलप्रदाय	8087.57
51	नगर पालिका सबलगढ़	सड़क	459.10
		ड्रेनेज	980.94
52	न.पा. करेली	सड़क	444.47
		जलप्रदाय	3550.77
53	न.पा. आमला	सड़क	477.66
54	न. पा. दमुआ	सड़क	652.52
		सड़क एवं नाली	611.30
		जलप्रदाय	1479.19
55	न.पा. मनावर	सड़क	475.15
		जलप्रदाय	1125.60
56	न.पा. वारासिवनी	जलप्रदाय	2232.00
		सड़क	810.96
57	न.पा. अनूपपुर	जलप्रदाय	1521.22
58	न.पा. बेगमगंज	जलप्रदाय	1392.22
59	नगर पंचायत चुईट	सड़क	232.10
60	नगर पंचायत हर्रई	सड़क	177.27
		जलप्रदाय	873.87
		सड़क एवं नाली	324.93
61	नगर पंचायत चाँदामेटा	सड़क	321.30
		जलप्रदाय	1432.20
62	नगर पंचायत चित्रकुट	जलप्रदाय	1319.68
63	नगर पंचायत बरकुही	जलप्रदाय	1211.82
		सड़क	476.42
64	नगर पंचायत शमशाहबाद	जलप्रदाय	882.47
65	नगर पंचायत बैकुंठपुर	जलप्रदाय	732.75
66	नगर पंचायत तेंदुखेड़ा (नरसिंहपुर)	जलप्रदाय	1028.64
67	नगर पंचायत शाहगंज	जलप्रदाय	436.45
		सड़क	477.96
68	नगर पंचायत शामगढ़	जलप्रदाय	2374.00
69	नगर पंचायत हिन्डोरिया	जलप्रदाय	1138.34
70	नगर पंचायत आठनेर	सड़क	217.90
		जलप्रदाय	1309.00
71	नगर पालिका गुना	जलप्रदाय	7140.42
72	नगर पालिका राजगढ़	जलप्रदाय	1907.76
73	नगर परिषद् राजपुर	सड़क	489.00
74	नगर परिषद् मण्डलेश्वर	जलप्रदाय	799.29
		सड़क	659.08
75	नगर पालिका सिवनी	जलप्रदाय	4735.80
76	नगर परिषद् जीरन	जलप्रदाय	549.92
77	नगर परिषद् मल्हारगढ़	जलप्रदाय	548.92
78	नगर परिषद् पिपल्यामण्डी	जलप्रदाय	968.72
		सड़क	487.50
79	नगर परिषद् रामपुरा	जलप्रदाय	1956.37
80	नगर परिषद् सुवासरा	जलप्रदाय	1764.30

81	नगर परिषद् भेड़ाघाट	सड़क	603.40
82	नगर परिषद् सिंगौली	सड़क	264.71
83	नगर परिषद् लोधीखेड़ा	सड़क	417.33
		जलप्रदाय	611.76
84	नगर परिषद् सोनकच्छ	सड़क	499.00
85	नगर परिषद् मोहगांव	सड़क	462.18
		जलप्रदाय	848.87
86	नगर परिषद् पिपलरवां	सड़क	364.70
		जलप्रदाय	964.22
87	नगर परिषद् न्यूटन चिखली	सड़क	604.25
		सड़क एवं नाली	163.30
		जलप्रदाय	1055.90
88	नगर परिषद् चंदेरी	सड़क	614.85
89	नगर परिषद् मुंगावली	जलप्रदाय	1070.40
		सड़क	550.00
90	नगर परिषद् कोलारस	सड़क	1234.03
91	नगर परिषद् पृथ्वीपुर	सड़क	504.80
92	नगर पालिका पोरसा	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	236.47
		जलप्रदाय	959.25
93	नगर निगम सिंगरौली	जलप्रदाय	7795.24
94	नगर पालिका कोलार	जलप्रदाय	5210.42
95	नगर पालिका बड़वाह	जलप्रदाय	1704.96
96	नगर पालिका मण्डला	सड़क एवं नाली	133.22
97	नगर पालिका चाचौड़ा–बीनागंज	सड़क एवं नाली	134.27
98	नगर परिषद् ईसागढ़	सड़क	629.40
99	नगर परिषद् चिचौली	सड़क	200.00
100	नगर पालिका देवरी	जलप्रदाय	2301.68
101	नगर पालिका बालाघाट	जलप्रदाय	4283.00
102	नगर पालिका कोतमा	जलप्रदाय	1799.58
103	नगर पालिका नीमच	जलस्त्रोत उन्नयन	1545.98
104	नगर परिषद् लांजी	सड़क	815.88
		जलप्रदाय	1825.00
105	नगर परिषद् लखनादौन	सड़क	519.37
106	नगर परिषद् बैहर	सड़क	405.61
107	नगर परिषद् सतवास	जलप्रदाय	1397.40
108	नगर परिषद् बाड़ी	जलप्रदाय	785.60
109	नगर परिषद् सिरमौर	जलप्रदाय	980.00
110	नगर परिषद् भैंसदेही	सड़क	483.00
111	नगर परिषद् पाटन	सड़क	329.60
112	नगर परिषद् डही	जलप्रदाय	931.80
113	नगर परिषद् बल्देवगढ़	जलप्रदाय	1264.80
114	नगर परिषद् शाहपुरा	जलप्रदाय	1368.66
कुल योग			**284936.37**

परिशिष्ट–छः

मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजनांतर्गत स्वीकृत पेयजल योजनाऐ

(राशि रूपये लाख में)

क्र.	संभाग	जिले का नाम	निकाय का नाम	जनसंख्या 2011	स्वीकृत राशि
1	इन्दौर	धार	नगर पालिका धार	93917	2174.54
2			नगर परिषद् राजगढ़ (धार)	20668	898.25
3			नगर परिषद् सरदारपुर	7293	405.49
4			नगर परिषद् कुक्षी	28331	1848.08
5			नगर परिषद् बदनावर	20917	952.31
6			नगर पालिका पीथमपुर	126200	2766.99
7			नगर परिषद् धरमपुरी	16363	911.35
8		झाबुआ	नगर पालिका झाबुआ	36000	4762.66
9			नगर परिषद्, रानापुर	12371	1955.01
10			नगर परिषद्, थांदला	15756	1368.13
11		बड़वानी	नगर पालिका बड़वानी	55504	1990.05
12			नगर परिषद् पलसूद	10113	676.26
13			नगर परिषद्, अंजड़	26289	1095.01
14			नगर परिषद्, खेतिया	15739	2121.72
15		खण्डवा	नगर परिषद् पंधाना	13694	998.00
16			नगर परिषद् ओंकारेश्वर	10063	720.14
17			नगर परिषद् मूंदी	12889	578.92
18		अलीराजपुर	नगर परिषद् जोबट	16971	1251.92
19		खरगौन	नगर परिषद् भीकनगांव	16217	760.93
20		इन्दौर	नगर परिषद् सांवेर	16150	851.28
21			नगर परिषद् मानपुर	7621	488.88
22			नगर परिषद् राऊ	36055	932.77
23			नगर परिषद् हातौद	10425	648.67
24			नगर परिषद् महूँगांव	30012	1078.40
25	भोपाल	विदिशा	नगर पालिका विदिशा	155954	3355.91
26			नगर पालिका गंजबासौदा	78289	4216.00
27			नगर परिषद्, कुरवई	15487	1243.42
28		भोपाल	नगर पालिका बैरसिया	30951	1745.98
29		रायसेन	नगर परिषद् सुल्तानपुर	10268	787.35
30			नगर पालिका रायसेन	44162	3317.60

31			नगर परिषद्, गैरतगंज	18184	1756.89
32			नगर पालिका मण्डीदीप	59677	1307.77
33			नगर परिषद् औबेदुल्लागंज	22845	1343.63
34			नगर परिषद् सिलवानी	18623	1755.64
35			नगर परिषद्, बरेली	31579	2659.18
36		राजगढ़	नगर परिषद् खिलचीपुर	18928	999.36
37			नगर पालिका सारंगपुर	37435	1353.08
38			नगर परिषद् जीरापुर	21724	876.35
39			नगर परिषद् तलेन	10588	638.52
40			नगर परिषद् ब्यावरा	49093	939.79
41			नगर परिषद् छापीहेड़ा	8501	517.27
42			नगर परिषद् माचलपुर	9556	569.41
43			नगर परिषद्, नरसिंहगढ़	32229	2389.87
44			नगर परिषद्, सुठालिया	10596	1076.36
45		सीहोर	नगर परिषद्, बुधनी	16808	697.37
46			नगर पालिका, सीहोर	109118	251.05
47			नगर परिषद्, इछावर	14582	1015.77
48		हरदा	नगर परिषद् टिमरनी	22359	1923.58
49		होशंगाबाद	नगर परिषद् बाबई	16741	951.62
50			नगर पालिका सिवनीमालवा	30100	2286.19
51		बैतूल	नगर परिषद्, चिचौली	9278	595.83
52	रीवा	शहडोल	नगर पालिका शहडोल	86681	3614.19
53			नगर परिषद् जयसिंहनगर	8233	1012.71
54			नगर परिषद् धनपुरी	45156	1645.82
55			नगर परिषद्, बुढ़ार	19276	1535.93
56		रीवा	नगर निगम रीवा (फेस 1 एवं 2)	235654	4718.06
57			नगर परिषद् गुढ़	14608	793.00
58			नगर परिषद् चाकघाट	10678	453.36
59			नगर परिषद् सेमरिया	13446	808.48
60			नगर परिषद् त्यौंथर	17039	1046.86
61			नगर परिषद् हनुमना	16771	1035.34
62			नगर परिषद्, नईगढ़ी	10401	751.05
63			नगर परिषद् गोविन्दगढ़	10547	1127.32
64		सतना	नगर परिषद् रामपुर बघेलान	13638	575.17
65			नगर परिषद्, नागौद	22567	1879.03

66			नगर परिषद् उचेहरा	18377	1414.32
67		उमरिया	नगर पालिका उमरिया	33102	1559.51
68			नगर परिषद् नौरोजाबाद	21883	1581.00
69			नगर परिषद् पाली	22324	1169.33
70		अनूपपुर	नगर परिषद् अमरकंटक	8416	595.00
71			नगर परिषद, बिजुरी	32682	1686.10
72		सीधी	नगर परिषद् चुरहट	14962	776.14
73			नगर परिषद, मझौली	11907	1638.57
74	**सागर**	सागर	नगर पालिक निगम सागर	274556	133.38
75			नगर परिषद् शाहगढ़	16300	895.45
76			नगर पालिका, गढ़ाकोटा	30796	627.28
77			नगर पालिका, खुरई	51108	228.80
78			नगर परिषद् बण्डा	30966	547.83
79		पन्ना	नगर परिषद् अमानगंज	13886	2029.59
80		दमोह	नगर पालिका दमोह	139415	2634.75
81			नगर परिषद् पथरिया	21026	2228.20
82		छतरपुर	नगर पालिका नौगांव	40580	2780.67
83			नगर परिषद् लवकुशनगर	22075	1481.00
84		टीकमगढ़	नगर परिषद् निवाडी	23724	2103.40
85			नगर परिषद् तरीचरकलां	7674	1493.03
86			नगर परिषद् ओरछा	11511	578.23
87			नगर पालिका पलेरा	17493	1268.93
88	**उज्जैन**	आगर–मालवा	नगर परिषद् नलखेड़ा	16690	480.33
89			नगर परिषद् बड़ागांव	7217	964.40
90			नगर परिषद् बड़ौद	13834	844.38
91			नगर परिषद्, कानड़	10457	656.43
92			नगर परिषद्, सोयतकलां	14471	1250.80
93		रतलाम	नगर निगम रतलाम	264914	2392.99
94			नगर परिषद् ताल	14913	777.01
95			नगर परिषद् नामली	9774	595.41
96			नगर परिषद् बड़ावदा	8700	691.55
97			नगर परिषद् पिपलौदा	7302	448.25
98		देवास	नगर परिषद् टोंकखुर्द	7979	484.15
99			नगर परिषद् भौरासा (पुनरीक्षित)	12166	711.68
100			नगर परिषद् करनावद	11266	950.22
101			नगर परिषद्, कन्नौद	17744	2002.64

102			नगर परिषद्, सोनकच्छ	16532	1076.08
103	उज्जैन	नीमच	नगर पालिका नीमच	128561	3367.75
104			नगर परिषद् सिंगौली	9523	891.42
105			नगर परिषद् मनासा	26551	780.85
106		नीमच	नगर परिषद् रतनगढ़	7994	563.28
107			नगर परिषद् जावद	17129	1108.26
108		शाजापुर	नगर परिषद् मक्सी	20088	1540.39
109			नगर परिषद् अकौदिया	11652	1129.64
110		मंदसौर	नगर परिषद् नारायणगढ़	10191	425.90
111			नगर परिषद् सीतामऊ	14056	2146.68
112			नगर परिषद् भानपुरा	21000	914.86
113		उज्जैन	नगर परिषद् उन्हेल	14774	1116.00
114			नगर पालिका बड़नगर	36438	2090.42
115			नगर परिषद् तराना	24908	799.20
116			नगर परिषद् खाचरौद	34191	1628.63
117	जबलपुर	बालाघाट	नगर परिषद् बैहर (फेस–1 एवं 2)	16651	1126.55
118			नगर परिषद्, कटंगी	16143	1020.86
119		मण्डला	नगर पालिका मण्डला	55133	2471.17
120			नगर परिषद्, भुआ बिछिया	10423	708.47
121			नगर परिषद्, नैनपुर	22618	2123.69
122		डिण्डोरी	नगर परिषद् डिण्डोरी	21323	843.00
123			नगर परिषद् शाहपुरा	13601	1283.15
124		सिवनी	नगर परिषद्, लखनादौन	17302	1592.39
125			नगर परिषद्, बरघाट	11700	1141.63
126		नरसिंहपुर	नगर पालिका, नरसिंहपुर	59966	3217.95
127			नगर परिशद्, गाडरवाड़ा	47000	2559.78
128			नगर परिषद्, गोटेगांव	38090	2337.76
129		छिन्दवाड़ा	नगर परिषद्, बिछुआ	6678	519.64
130	ग्वालियर	ग्वालियर	नगर निगम, ग्वालियर	1054420	480.00
131			नगर परिषद् भितरवार	19096	958.69
132		शिवपुरी	नगर परिषद् खनियाधाना	15877	566.00
133			नगर परिषद् कोलारस	19828	1780.68
134			नगर परिषद्, नरवर	19385	1001.62
135		दतिया	नगर परिषद् बड़ौनी	10309	456.36
136			नगर परिषद्, भाण्डेर	25204	1370.75
137			नगर परिषद्, इंदरगढ़	23045	2325.55

138		अशोकनगर	नगर पालिका अशोकनगर	81828	1326.71
139			नगर पालिका चंदेरी	33081	1129.95
140			नगर परिषद्, मुंगावली	20685	317.95
141		गुना	नगर परिषद् कुम्भराज	19707	1481.71
142			नगर परिषद्, चाचौड़ा–बीनागंज	21785	964.12
143		मुरैना	नगर पालिका सबलगढ़	40333	2120.03
144			नगर पालिका अम्बाह	47177	2721.45
145			नगर परिषद्, बामौर	32838	1500.41
146		भिण्ड	नगर परिषद्, मौ	20147	2193.93
कुल योग				**5601059**	**199724.93**

परिशिष्ट–सात

सिंहस्थ 2016 के लिए स्वीकृत कार्यो का विवरण

(दिनांक 27.02.2017)

(राशि रू. करोड़ में)

क्र.	विभाग का नाम	स्वीकृत कार्यों की संख्या	स्वीकृत राशि	उपलब्ध राशि***	व्यय राशि
1	2	3	4	6	5
1	जल संसाधन विभाग	32	206.14	172.80	150.00
2	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण	1	12.90	12.90	12.90
3	अ) लो.निर्माण विभाग (भवन/पथ) ब) धर्मस्व विभाग के कार्य	126	482.65	674.03	668.70
4	लोक निर्माण विभाग (ई.एण्ड एम.)	23	25.00		
5	लोक निर्माण विभाग (सेतु)	15	235.35		
6	म.प्र.सड़क विकास निगम	2	9.82	0.00	0.00
7	लोक स्वा. यांत्रिकी (ग्रामीण)	22	184.04	171.01	128.89
8	नगर निगम उज्जैन	72	478.63	454.61	415.01
9	गृह विभाग (पुलिस)	30	289.32	181.49	115.09
10	गृह विभाग (होमगार्ड)	7	19.04	17.06	10.49
11	ऊर्जा विभाग (म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कंपनी)	49	170.06	170.96	171.89
12	स्वास्थ्य विभाग	2	31.08	32.65	32.17
13	आयुष विभाग	1	2.30	2.30	1.42
14	म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम	10	33.69	34.41	32.01
15	उज्जैन विकास प्राधिकरण	8	40.46	28.00	25.25
16	मेला कार्यालय	15	89.60	60.77	49.10
	मेला कार्यालय मान प्रभारी मंत्री महो द्वारा स्वी./अनु. कार्य	51	27.22		
17	इंदौर विकास प्राधिकरण	2	54.71	44.51	43.62
18	नगर निगम इंदौर	3	109.00	108.59	79.38
19	इन्दौर संभाग के अन्य कार्य	25	22.68	19.81	11.08
20	नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग	17	57.20	50.98	45.59
21	एप्को (संगोष्ठी आयोजन हेतु)	1	5.00	5.00	5.00
22	म.प्र.पदूषण नियंत्रण बोर्ड	1	1.00	1.00	0.71
23	कलेक्टर उज्जैन	2	30.00	25.00	8.36
24	जनसंपर्क विभाग	8	50.61	49.79	49.79
25	जिला पंचायत	3	5.86	4.84	3.21
26	संस्कृति विभाग	10	53.25	53.72	48.92
27	पुरात्तव विभाग	1	2.00	2.00	1.98

28	स्कूल शिक्षा विभाग	2	9.71	9.71	5.83
29	पशुपालन विभाग	5	5.07	5.07	4.71
30	वन विभाग	2	4.00	0.07	0.07
31	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	1	13.50	7.00	8.09
32	परिवहन विभाग + अटल सिटी ट्रासपोर्ट	1	1.31	6.65	6.65
33	रेलवे विभाग	8	28.17	14.72	14.72
	योग	**558**	**2790.37**	**2421.44**	**2150.63**
34	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण	1	432.00		432.00
35	क्षिप्रा नदी पर इन्दौर जिले में विभिन्न 13 घाटों के स्वीकृत प्रस्ताव	13	3.36		
36	म.प्र.सड़क विकास निगम (बी.ओ.टी)	2	165.85		161.25
37	वन विभाग	11	5.39		3.93
	महायोग	**585**	**3396.97**		**2747.81**